

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/4478

भोपाल, दिनांक 10-10-2022

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेठु वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-16/2023-FC दि. 20.09.2023

—0—

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई (xiv) बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

| S.No | Conditions | Compliance |
|------|--|--|
| i | A detailed report along with justification as to why the project cannot be located in nonforest area has not been submitted. | <p>इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि इस परियोजना का विस्तृत अध्ययन एनवीडीए द्वारा किया गया है। सभी वैकल्पिक स्थलों की जांच करने पर परियोजना हेतु उपयुक्त स्थल वनक्षेत्र में पाए गए हैं जिनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहायिता सर्वोत्तम पायी गयी है। वैकल्पिक स्थलों की अध्ययन रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।</p> <p>केंद्रीय जल आयोग द्वारा पूर्व में ही परियोजना की विस्तार से जांच करने पर इस परियोजना की अनुमति प्रदान की है। परियोजना को Hydrology Directorate of CWC द्वारा स्टीक निर्धारण एवं मूल्यांकन करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।</p> <p>मोरण्ड बांध – इसका प्रस्तावित संरेखण मोरघाट गांव के पास स्थित है। बांध का स्थान मोरण्ड के साथ भाजी नाला के संगम के बीच क्षेत्र तक सीमित है जो नदी में लूप को कवर करते हुए नदी के निचले हिस्से तक है।</p> <p>गंजाल बांध – इसका प्रस्तावित संरेखण जवर्धा गांव के ठीक उपर स्थित है। जहां से नदी पहाड़ियों से निकलते हुए नीचे घाटी की ओर जाती है यहां पानी की उपलब्धता बांध स्थल के द्वितीय से एवं निर्माण प्रबंधन की दृष्टि से अच्छी प्रतीत होती है।</p> |

-2-

| | | |
|------|--|--|
| ii | The detail of the alternative sites examined along with KML files has not been submitted. | केंद्रीय जल आयोग ने प्रस्तावित स्थल का दौरा करने और सभी पहलुओं की जांच करने के बाद स्थान की अनुमति दी है। अनुमोदन की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। मोरण्ड और गंजाल दोनों बांधों की वैकल्पिक साइटों की KML files प्रस्ताव के आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-2 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है। |
| iii | The plan along with details for further distribution of water to end users has not been submitted. | इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा विस्तृत विवरण योजना को आनलाईन भाग-1 की अतिरिक्त जानकारी की टेबल में बिन्दु क्रमांक-9 में अपलोड की गई है। योजना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। |
| iv | The CAT plan was prepared in the year 2014 and cost estimated for the implementation of CAT plan was estimated Rs 1944.26 Lakhs. Now, in the year 2023 the State Govt. approved the CAT plan which was prepared in the year 2014 with reduced financial outlay of Rs. 1781.62/- Lakhs. This needs clarification. | आवेदक संस्थान द्वारा CAT plan को संशोधित कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी संशोधित तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.08.2023 से जारी की गई है। संशोधित CAT plan मय तकनीकी स्वीकृति सहित परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। संशोधित CAT plan की प्रति आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-M(a),(b) में अपलोड की गई है। |
| v | The detail of revised proposal of 2250.05 ha along with KML files has not been submitted. | आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि की संशोधित KML files को आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-3 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है। प्रस्तावित वनभूमि का घटकवार विवरण आवेदक संस्थान के पत्र में दिया गया है। |
| vi | The comment of the Chief Wildlife Warden along with availability of alternative wildlife corridors in order to mitigate the detrimental effects of submergence of proposed forest land has not been submitted. | इस संबंध में लेख है, कि प्रस्ताव में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 07/06/2022 में भी यह प्रावधान है कि सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत वन्य प्राणी प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर राशि जमा कि जा सकती है। अतः प्रस्ताव में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत प्रस्तुत कर दी जावेगी तथा तदानुसार राशि कैम्पा मद में जमा करवाई जावेगी। |
| vii | The Cost Benefit analysis shows that the cost of proposed forest land has not been calculated as per the revised NPV rates vide Ministry letter dated 06.01.2022. Moreover, details about deriving the benefits of forest diversion in monetary terms has not been mentioned in the Cost-Benefit analysis. | आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित लागत लाभ विश्लेषण पत्रक की प्रति को आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-G(i),(a) में अपलोड किया गया है। |
| viii | The KML files of the phase-wise and components wise activities proposed to be carried in the forest land proposed for diversion. Moreover, correction in the KML files of the proposed forest land located under different forest divisions has not been carried out. | आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि की संशोधित KML files को आनलाईन वेबपोर्टल के भाग-1 में अपलोड कर दी गयी है। व्यपर्वर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की चरणबद्ध एवं घटकवार KML files को प्रस्ताव के आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C के नीचे वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-5, 6 एवं 7 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है। |

| | | |
|------|---|--|
| ix | The State Govt. has not clarified that whether such lands proposed for CA does not comes in the ambit of Forest (Conservation) Act, 1980 and justify these lands as NFL. | क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमियों का सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया है यह सभी भूमि राजस्व भूमि है। संबंधित जिला कलेक्टर के आदेश पत्र आनलाईन पोर्टल भाग-1 में अपलोड किये गये हैं सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। |
| x | The approved CA scheme along with site suitability certificates from the concerned DFO has not been submitted. | <p>प्रकरण में आवेदक संस्था ने क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये अलग-अलग जिलों में गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है। इस गैर वनभूमि का अभी अधिपत्य एवं रोपण योजना नहीं बनाई गई है।</p> <p>प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा प्रथम चरण में 116.27 हेक्टेयर वनभूमि ही ढाही गई है। जिसके एवज मे समतुल्य 170.00 हेठो गैर वनभूमि का अधिपत्य जबलपुर जिले में प्राप्त कर रोपण योजना तैयार की गई है परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।</p> <p>निकट भविष्य में आवेदक संस्था द्वारा अन्य चरणों में जितनी वनभूमि की आवश्यकत होगी उसके अनुरूप समतुल्य गैर वनभूमि का अधिपत्य तत्समय आवेदक विभाग से प्राप्त कर क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक चरण में इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।</p> <p>ऐसा करना इसलिये भी उचित होगा क्योंकि यदि गैर वनभूमि का अधिपत्य अभी प्राप्त कर लिया जाता है तो इसमें अतिक्रमण होने की सम्भावना बनी रहेगी।</p> |
| xi | The State Govt. has uploaded the KML file of Non-forest land involved in the project on the PARIVESH. However, its calculated area is found 1299.887 ha instead of 1277.694 ha as mentioned in the Part-I of the online proposal. | इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित KML files को प्रस्ताव के आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C के नीचे वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-4 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है। |
| xii | The State Govt. has not submitted the justification for proposed CA area which are not free from encumbrances as per the observations from DSS analysis. Also the State Govt. has not submitted the comment that is there any requirement for rehabilitation & resettlement of people from the identified CA lands. | परियोजना को चरणबद्ध तरीके से बनाया जाना प्रस्तावित है। अभी आवेदक संस्थान को 116.27 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है इसलिए प्रथम चरण हेतु 116.27 हेठो वनभूमि के विरुद्ध 170.00 गैर वनभूमि की वृक्षारोपण योजना मय उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित संलग्न है। <p>परियोजना मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त शेष गैर भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार संबंधित वनमण्डलाधिकारी से तत्समय प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।</p> |
| xiii | A detailed plan to protect the identified CA land from encroachment in future has not been submitted. | इस संबंध में आवेदक संस्थान ने लेख किया है, कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चिन्हित सभी गैर वनभूमियों को अतिक्रमण मुक्त करा कर एवं चेनलिंक फसिंग के माध्यम से सुरक्षित कर वन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी। |

| | | |
|-----|---|--|
| xiv | <p>The KML files indicating proposed components over the Forest as well as the Non-forest land along with the KML files and Map showing the phase wise activities proposed to be carried out over the forest as well as the Non-forest land involved in the project needs submission.</p> | <p>आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि एवं गैर वनभूमि को दर्शाने वाली KML files को प्रस्ताव के आनलाईन भाग—1 के बिन्दु क्रमांक—C के नीचे वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक—3 एवं 4 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है।</p> |
|-----|---|--|

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्न:—उपरोक्तानुसार।


१०.१०.२३
(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक/०—/०—२३

पृ. क्रमांक / एफ—३ / २०१८ / १०—११ / ५५७९

प्रतिलिपि:—

1. उप वन महानिदेशक, (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई—५, लिंक रोड नं. ३ रविशंकर नगर भोपाल की ओर भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक ०६.१०.२०२३ (छायाप्रति संलग्न है) के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त होशंगाबाद/वृत्त खण्डवा/वृत्त बैतूल/वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा/होशंगाबाद/खण्डवा/उत्तर बैतूल/पश्चिम बैतूल/जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यु. सिवनी मालावा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


१०.१०.२३
(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.: 07570299010

ई-मेल:-piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 1180

सिवनी मालवा, दिनांक.... 23/09/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंधक)

वन भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में 2250.05 हेक्टेएर वनभूमि वन भूमि नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग परादेने बाबत। (वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्र. / एफ- 3/16/2018/10-11/4270, दिनांक 22.09.2023


2. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC
दिनांक 20.09.2023

.....00.....

उपरोक्त संदर्भित में निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने जिला होशंगाबाद, बैतूल हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेएर वनभूमि के व्यपर्वतन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (XIV) बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार वांछित अतिरिक्त (XIV) बिन्दुओं की जानकारी का पालन प्रतिवेदन सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए आपको और सांदर प्रेषित है।

संलग्न - पालन प्रतिवेदन एवं संबंधित अनुलग्नक।


(आर.एल.कवारिया)

परियोजना प्रशासक,

मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)


सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

सिवनी मालवा, दिनांक... 23/09/2023

पत्र क्र. 1181

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम, वृत्त खंडवा, वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल होशंगाबाद, हरदा, उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल, खंडवा, जबलपुर, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.आई.यु.), सनावट, जिला खरंगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(आर.एल.कवारिया)

परियोजना प्रशासक

मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
25/9

Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project

Compliance Report

MoEF File No. 8-16/2023-FC

Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018

| S No. | DESCRIPTION OF SHORTCOMINGS OBSERVED | COMPLIANCE OF SHORTCOMING OBSERVED |
|-------|--|---|
| 1 | A detailed report along with justification as to why the project cannot be located in non-forest area has not been submitted. | <p>Detailed studies of this project has been done by NVDA. All the suitable sites for this project were found to be in forest area only. Alternative Sites has been examined and proposed. Suitable site where the techno economic feasibility is best is selected. <i>(Enclosed note on alternate alignment studies Annexure – 1)</i></p> <p>Central water commission has already examined the hydrology and water use of the entire project in details and has approved the same. Project has been accurately determined, assessed and approved by the Hydrology Directorate of CWC. <i>(Letter of CWC enclosed as Annexure – 2)</i></p> <p>Morand Dam - The proposed alignment of the Morand dam is near Morghat village. The Dam location is restricted to the region between the confluences of Bhaji Nala with Morand to some distance downstream covering the loop in the river. A comparative account of the basic parameters relating to the three sites.</p> <p>Ganjal Dam - The proposed alignment of the Ganjal Dam is just upstream of Jawardha village and it is the site at which the river comes out of the hills and the valley opens out downstream and this site appears to be the best in terms of availability of water, approach to dam site and construction management.</p> |
| 2 | The detail of the alternative sites examined along with KML files has not been submitted. | <p>Central Water Commission has approved the location after visiting the proposed site and examining all the relevant aspect.</p> <p>KML files of all 03 alternative sites both of Morand & Ganjal Dams are <i>uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.2 as 0 Ha. file .</i></p> |
| 3 | The plan along with details for further distribution of water to end users has not been submitted. | Approved BCP along with Map is enclosed. <i>(Annexure – 3)</i> |
| 4 | The CAT plan was prepared in the year 2014 and cost estimated for the implementation of CAT plan was estimated Rs 1944.26 Lakhs. Now, in the year 2023 the State Govt. approved the CAT plan which was prepared in the year 2014 with reduced financial outlay of Rs. 1781.62/- Lakhs. This needs clarification. | Revised Plan of Rs. 60.80 Crores has been uploaded in Part-I. This CAT Plan is prepared at current wages rate. |

Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project

Compliance Report

MoEF File No. 8-16/2023-FC

Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 5 | The detail of revised proposal of 2250.05 ha along with KML files has not been submitted. | Component wise breakup | | | | | |
| | | S.n o | Component | Forest Land (ha.) | Colour of Component | | |
| | | 1 | Dam Seat and Sluice | 29.32 | Red | | |
| | | 2 | Submergence | 2133.78 | Green | | |
| | | 3 | Pipeline PH/DC | 15.76 | Yellow | | |
| | | 4 | Spillway channel with Fish Ladder | 38.09 | Pink | | |
| | | 5 | Transmission Line | 5.95 | Blue | | |
| 6 | The comment of the Chief Wildlife Warden along with availability of alternative wildlife corridors in order to mitigate the detrimental effects of submergence of proposed forest land has not been submitted | 6 | | | | | |
| | | KML file are uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.3 as 0 Ha. file. | | | | | |
| 7 | The Cost Benefit analysis shows that the cost of proposed forest land has not been calculated as per the revised NPV rates vide Ministry letter dated 06.01.2022. Moreover, details about deriving the benefits of forest diversion in monetary terms has not been mentioned in the Cost-Benefit analysis | This query is related to Forest Department. We hereby agree to accept to all conditions imposed by CWLW. | | | | | |
| 8 | The KML files of the phase-wise and components wise activities proposed to be carried in the forest land proposed for diversion. Moreover, correction in the KML files of the proposed forest land located under different forest divisions has not been carried out. | S No. | Phase | Component | Proposed area in Ha. | | |
| | | | First | Dam Seat and Sluice, Pipeline PH/DC, Spillway channel with Fish Ladder, Approach & Diversion Road, Transmission Line | 116.27 | | |
| | | | Second | (FRL-4) | 1135.57 | | |
| | | | Third | (FRL-4) | 616.748 | | |
| | | | Fourth | (FRL) | 381.462 | | |
| | | | Total | | 2250.05 | | |
| 9 | The State Govt. has not clarified that whether such lands proposed for CA does not comes in the ambit of Forest (Conservation) Act, 1980 and justify these lands as NFL | KML are uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.5,6 and 7 as 0 Ha. file. | | | | | |
| | | The KML file of Phase-IV is not uploaded. The remaining area will be covered in Phase-IV | | | | | |
| 10 | The approved CA scheme along with site suitability certificates from the concerned DFO has not been submitted. | All CA lands proposed as per revenue department are Non forest Land and same has been verified by District Collector, Revenue Officers and same has been uploaded on portal. Enclosed Collector Order.(Annexure -4) | | | | | |
| | | For Phase – 1 Forest land required is 116.24 ha. In lieu that land of Jabalpur District is 170 ha.is proposed. This query is related to Forest Department. We hereby agree to accept to all conditions imposed by forest department. | | | | | |

Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project

Compliance Report

MoEF File No. 8-16/2023-FC

Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018

| 11 | The State Govt. has uploaded the KML file of Non-forest land involved in the project on the PARIVESH. However, its calculated area is found 1299.887 ha instead of 1277.694 ha. as mentioned in the Part-I of the online proposal. | KML file of Non Forest Area has been <i>uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.4.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|-------|-----|-------|--------|---|-------------|---------|-------|---------|-----------|---|----------------|-------|--------|---------|-----|---|-----------------------------------|-------|------|---|--|---|-------------------|------|------|-------|--------|---|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| 12 | The State Govt. has not submitted the justification for proposed CA area which are not free from encumbrances as per the observations from DSS analysis. Also the State Govt. has not submitted the comment that is there any requirement for rehabilitation & resettlement of people from the identified CA lands. | As proposal is applied in phased manner CA land requirement will arise in the phases CA Scheme suitability certification from concern DFO is in process. For First Phase CA Land of Jabalpur District is proposed against requirement of 116.27 ha. forest land in First Phase. <i>(Ref. Notification No. Gol MoEF FC - F. No.10-125/2013-FC(pt.- III) Dated 25/02/2014 and our letter is enclosed. All the non-forest land provided to forest department after vacating all encroachments (Annexure – 5)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | A detailed plan to protect the identified CA land from encroachment in future has not been submitted. | Identified CA site shall be properly fenced and will be transferred and handed over to Forest Department. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | The KML files indicating proposed components over the Forest as well as the Non-forest land along with the KML files and Map showing the phase wise activities proposed to be carried out over the forest as well as the Non-forest land involved in the project needs submission. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Component wise breakup</th> </tr> <tr> <th>S.no</th> <th>Component</th> <th>Forest Land (ha.)</th> <th>Colour of Component</th> <th>Non-Forest Land (ha.)</th> <th>Colour of Component</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dam Seat and Sluice</td> <td>29.32</td> <td>Red</td> <td>2.956</td> <td>Orange</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Submergence</td> <td>2133.78</td> <td>Green</td> <td>811.272</td> <td>Neon Blue</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pipeline PH/DC</td> <td>15.76</td> <td>Yellow</td> <td>435.901</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Spillway channel with Fish Ladder</td> <td>38.09</td> <td>Pink</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Transmission Line</td> <td>5.95</td> <td>Blue</td> <td>23.76</td> <td>Purple</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Approach & Diversion Road</td> <td>27.15</td> <td>Brown</td> <td>3.805</td> <td>Brown</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Total</td><td>2250.05</td><td></td><td>1277.694</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;"><i>KML file of Forest Area has been <i>uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.3 . KML file of Non Forest Area has been <i>uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.4.</i></i></i></p> | Component wise breakup | | | | | | S.no | Component | Forest Land (ha.) | Colour of Component | Non-Forest Land (ha.) | Colour of Component | 1 | Dam Seat and Sluice | 29.32 | Red | 2.956 | Orange | 2 | Submergence | 2133.78 | Green | 811.272 | Neon Blue | 3 | Pipeline PH/DC | 15.76 | Yellow | 435.901 | Red | 4 | Spillway channel with Fish Ladder | 38.09 | Pink | 0 | | 5 | Transmission Line | 5.95 | Blue | 23.76 | Purple | 6 | Approach & Diversion Road | 27.15 | Brown | 3.805 | Brown | Total | | 2250.05 | | 1277.694 | |
| Component wise breakup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.no | Component | Forest Land (ha.) | Colour of Component | Non-Forest Land (ha.) | Colour of Component | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dam Seat and Sluice | 29.32 | Red | 2.956 | Orange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Submergence | 2133.78 | Green | 811.272 | Neon Blue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pipeline PH/DC | 15.76 | Yellow | 435.901 | Red | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Spillway channel with Fish Ladder | 38.09 | Pink | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Transmission Line | 5.95 | Blue | 23.76 | Purple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Approach & Diversion Road | 27.15 | Brown | 3.805 | Brown | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 2250.05 | | 1277.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Project Administrator

Project Implementation Unit – (PIU)
Morand Ganjal & Hoshangabad Barrage,
Seoni Malwa Dist. Narmadapuram (M.P.)

Note on Ganjal Dam Alternate alignment studies

In the proposed Ganjal Dam depending upon the topography and Geological condition three different alternate dam sites have been explored whose details are shown in the below mentioned table.

| S. No. | Particulars | Latitude/Longitude | Length In (m) | Catchment Area in Sq. Km. | Storage in MCM | Submergence area in Ha. | |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | Forest Land | Other Land |
| 1 | Alternate Dam Alignment No.1 | 22° 14' 7.8" N 77° 19' 58.3" E | 2528 | 415.20 | 91.50 | 1015.85 | 97.17 |
| 2 | Alternate Dam Alignment No.2 | 22° 13' 11.0" N 77° 20' 13.8" E | 920 | 406.37 | 86.00 | 838.32 | 97.17 |
| 3 | Final Dam Alignment | 22° 13' 47.27" N 77° 19' 50.58" E | 1148 | 413.49 | 86.803 | 736.07 | 97.17 |

Alternate Dam Alignment No.1:

This alignment is having Dam length of 2.528 Km and proposed storage of this dam alignment is 91.50 MCM with F.R.L of 377.00m, the submergence area works out to 1015.85 Ha. As compared to its storage its submergence area is more. Moreover it's also submerges two village habituations. This alignment is techno economically not feasible.

Alternate Dam Alignment No.2:

This alignment is having Dam length of 0.920 Km proposed storage of this dam alignment is 86.00 MCM with F.R.L of 380.00m, the submergence area works out to 838.32 Ha. This alignment is having shorter length but its foundation is coming in weaker zone, moreover in the initial reach of proposed left bank canal 2 to 3 Km length the may have to run in the steep terrain which will not be technically feasible.

Considering its foundation aspects of Dam and steep terrain involvement in the initial reach of canal this proposed alignment is Techno economically not found feasible.

Final Dam Alignment:

This alignment is having Dam length of 1.148 Km and proposed storage of this dam alignment is 86.803 MCM with F.R.L of 376.067m, the submergence area works out to 833.24 Ha. This alignment submerges only one village.

Compared to other two alternate dam alignment, this alignment is having lesser submergence area and its foundation is very good and this alignment is Techno economically found feasible.

Note on Morand Dam Alternate alignment studies

In the proposed Morand Dam depending upon the topography and Geological condition three different alternate dam sites have been explored whose details are shown in the below mentioned table.

| S. No. | Particulars | Latitude/ Longitude | Length in (m) | Catchment Area in Sq. Km. | Storage in MCM | Submergence area in Ha. | |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | Forest Land | Other Land |
| 1 | Alternate Dam Alignment No.1 | 22° 20' 18.7" 77° 28' 30.2" | 2320 | 1043.10 | 226.00 | 1502.04 | 756.31 |
| 2 | Alternate Dam Alignment No.2 | 22° 19' 15.0" 77° 28' 28.6" | 1720 | 1031.00 | 226.00 | 1368.92 | 807.43 |
| 3 | Final Dam Alignment | 22° 19' 17.25" 77° 28' 55.51" | 1055 | 1031.99 | 226.124 | 1437.65 | 763.03 |

Alternate Dam Alignment No.1:

This alignment is having Dam length of 2.320 Km and proposed storage of this dam alignment is 226.00 MCM with F.R.L of 364.00m, the total submergence area works out to 2258.35 Ha. This alignment submerges the forest area of 1502.04 Ha. In this alignment the Hard rock is met at deeper depth. This alignment is techno economically not feasible.

Alternate Dam Alignment No.2:

This alignment is having Dam length of 1.720 Km and proposed storage of this dam alignment is 226.00 MCM with F.R.L of 366.50m, the total submergence area works out to 2176.35 Ha. This alignment submerges the forest area of 1368.92 Ha. In this alignment the Hard rock is met at deeper depth. This alignment is techno economically not feasible.

Final Dam Alignment:

This alignment is having one Main Dam & one Saddle Dam and its length are 455m & 600m respectively. Proposed storage of this dam alignment is 226.124 MCM with F.R.L of 366.23m, the total submergence area works out to 2200.68 Ha.


Compared to other two alternate dam alignment, this alignment is having lesser Dam length and its foundation is very good and cost effective and this alignment is Techno economically found feasible.

The Dam site of Morand and Ganjal draw of catchment of 1031.99 sq km and 413.43 sq km respectively at the proposed site of the dams. The command of the project is closely located to dam sites as approximately 5 km wide strip between existing Tawa Left Bank Canal and the main canal emanating from the Dams.


The geo-physical investigations suggest economical availability of foundation grade strata on the proposed dam sites.

Central Water Commission has approved the locations after visiting the proposed sites and examining all the relevant aspects.

R. Sandal
(Rajesh Haridas)
Executive Engineer
Narmada Development Division No 23
Narmada Bhawan, Bhopal



4/5



5/5



GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL WATER COMMISSION
ND&HW DIRECTORATE

W.B-2, 2nd Flr, wing 7,
R.K. Puram, New Delhi

Subject: Detailed Project Report of MORAND & GANJAL Multi Complex project.
NVDA, MP - Technical Examination of revised compliance report.

Ref:

1. CWC ID no:MP/86/2009-PAC/26, dated 16.01.2013
2. CWC letter no. 14/3/2011/NW&HW/1493, dated 12th Jan'2012,
3. CWC letter no.14/3/2011/NW&HW 71695-961, dated 9th July'2012
4. CWC ID no MP/86/2011/PAC/431-42, dated 5.10.2012 enclosing the summary record of meeting held on 1.10.2012 in CWC.

The "REVISED COMPLIANCE REPORT - DESIGN" in response to CWC observations on the subject cited DPR forwarded to this office vide PA-C letter cited under reference (1) above has been examined. It is observed that most of the suggestions and data's as desired vide CWC letters cited under reference at sl.no's 2,3 & 4 above have been incorporated.


Keeping in view the constraints of the project authorities in drilling additional bore holes at the proposed dam alignments, the CWC team after a site visit suggested modifications in the layout of both the dams based on the investigation reports of the earlier DPR dated 1972 when intensive foundation investigations had been carried out. The proposed alignment of both Morand & Ganjal Dams lies very close to the alignment recommended by the department during 1972. The project layout now proposed by CWC is an optimized layout with a reduced cost. Project authorities have also ensured that before taking up the construction of both the dams, the foundation profile shall be further firmed up by additional boreholes as soon as the forest area is transferred to the department.

Accordingly, the DPR may be cleared in so far as the design and overall planning aspects / issues are concerned.


This issue with the approval of GE, NBP, CWC

S. Khurshid
(A. Ammuwala)
Director

✓ DIRECTOR, PA (C), CWC, 408(S), Sewa Bhawan New Delhi
F.no. 14/3/2011 / ND & HW 1393 / Dated: 21st Jan 2013




GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH



Broad Conceptual Plan, Design and GAD Report for Morand and Ganjal Dams Pressurized Pipe Irrigation Project

Morand and Ganjal Project - Total Area = 64,111 Ha CCA



TEHSIL: Khalwa, Seoni Malwa, Rahatgaon, Harda, Sirali, Khirkiya and Harsud

DISTRICT: Hoshangabad, Harda and Khandwa

| | | |
|--|---|----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| | Revision 0 | 1 of 566 |

INDEX:

| S.No | Particulars | Page No | |
|------|---|---------|-----|
| | | From | To |
| 1.0 | Introduction | 03 | |
| 1.1 | Background | 03 | |
| 1.2 | Intake Location details | 03 | |
| 1.3 | Scope & Salient Features | 03 | 06 |
| 1.4 | Area Selection | 07 | |
| 1.5 | Survey, Investigation & Chak Planning | 09 | |
| 2.0 | Design of Rising Main and Distribution Network up to 20Ha Chaks | 10 | 17 |
| 2.1 | Design Philosophy | 20 | |
| 2.2 | Design Criteria | 12 | |
| 2.3 | Network Modelling Philosophy | 14 | |
| 2.4 | Building of Pipe Network Model | 14 | |
| 2.5 | Methodology of Calculations | 14 | |
| 2.6 | Outlet Management system | 15 | 15 |
| 3.0 | Summary of Results | 16 | 17 |
| | Table-1.0 – Village wise Area Statement | 18 | 25 |
| | Table -2.0 -Pump Head and Power calculations | 26 | 30 |
| | Table -3.0 -Design of Rising mains | 31 | |
| | Table -4.0 -Abstract of Diameter Wise Pipe Lengths up to 20 ha chak | 32 | |
| | Table -5.0: Pipeline Thickness Allowable pressures | 33 | |
| | Table -6.0 Head loss calculations for Disnet Systems | 34 | 42 |
| | Table -7.0- HGL STATEMENTS from Pump house to 20 ha chak | 43 | 566 |

| | |
|--|--|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS: PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT |
| Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report Revision 0 2 of 566 |

Figure 1.2 shows the Google earth over view of the project.




Figure 1.2 Scheme Boundary of Morand and Ganjal Dams' Pressurized Pipe Irrigation Project

1.3.1 SALIENT FEATURES OF THE PROJECT:

Total 22,438 Gumeccs of water lifted in this scheme which will be used for irrigating 64,111 hectare of command area. The details of distribution system are as below:

| Pump House | Morand Dam | Ganjal Dam | TSP Reservoir | TOTAL |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|--------|
| Area (In CCA/ha) for Irrigation | 18490 | 21407 | 24214 | 64111 |
| Irrigation module | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Irrigation Discharge (m^3/s) | 6.471 | 7.492 | 8.475 | 22.438 |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | | |
| Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | | |
| | Revision 0 | | 4 of 566 |

1.3.2 Morand and Ganjal Dam Details :

| Sl. No | Name | Gross Capacity (MCM) | Dead Storage & Evaporation Loss (MCM) | Live Capacity (MCM) | Water considered for Drinking and Industrial Supply (MCM) | E-Flow (MCM) | Water available for Irrigation (MCM) |
|--------|------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Morand Dam | 249.85 | 23.72 | 226.13 | 9.18 | 8.0 | 208.95 |
| 2 | Ganjal Dam | 96.35 | 9.55 | 86.80 | 6.0 | 3.0 | 77.80 |
| | Total | 346.20 | 33.27 | 312.93 | 15.18 | 11.0 | 286.75 |

Note:

1. Complete Drinking and industrial purpose water will be taken from Morand and Ganjal Dam.
2. Drinking , Industries ,E-Flow water requirements considered as per DPR submitted by SECON, Bangalore, (Refer Annexure-1)

| Sl. No | Dam / Reservoir | Number of villages in command | ICA Proposed within Command Boundary (Ha) | ICA Proposed Outside of Command Boundary (Ha) in place of Killod LIS as shown In Tender boundary | Total Proposed ICA (Ha) | Water Requirement (MCM) |
|--------|------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Indira Sagar Reservoir | 60 | 15920 | 8261 | 24181 | 87.75 |
| 2 | Ganjal Reservoir | 72 | 18464 | 2976 | 21440 | 77.80 |
| 3 | Morand Reservoir | 68 | 18490 | 00 | 18490 | 67.10 |
| | Total | 200 | 52874 | 11237 | 64111 | 232.66 |

| | | |
|--|--|----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDIA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| | Revision 0 | 5 of 566 |

SALIENT FEATURES COMPARISION :

| S.no. | Description | Unit | As Per Tender | As per Actual |
|-------|---|--------|--|---|
| 1 | Source | | Morand Dam, Ganjal Dam and ISP Reservoir | Morand Dam, Ganjal Dam and ISP Reservoir |
| 2 | Amount Of Contract | Crs | 1753.50 | 2193.23 |
| 3 | Completion Period | Months | 48 | 48 |
| 4 | Total Culturable Command Area | Ha | 48874 | 64111 |
| 5 | Total Discharge | m3/s | 18.13 | 22.438 |
| 6 | Discharge Rate | lps/ha | 0.35 | 0.35 |
| 7 | Power Allotted | MW | 15.36 | 20.15 |
| 8 | WUA Chak size | Ha | 500 / 20 | 500 / 20 |
| 9 | Automatic control chak size | Ha | 20 | 20 |
| 10 | Flow control chak size | Ha | 500 | 500 |
| 11 | Last chak size | Ha | 2.5 | 2.5 |
| 12 | Minimum Residual head at last chak size | m | 23 | 23 |
| 13 | Rising main velocity limit | m/s | 2.1 | 2.1 |
| 14 | Total Rising main | nos. | 3 | 3 |
| 15 | Total Pump House | nos. | 3 for Rising main + 1 in command area for disnet = 4 nos. in total | 4 |
| 16 | Low water level - Morand Dam | m | 352 | 352 |
| 17 | Low water level - Ganjal Dam | m | 355.4 | 355.4 |
| 18 | Low water level - ISP Reservoir | m | 248 | 247 |
| 19 | Highest Elevation in command area | m | 355 | 365 |
| 20 | No. of Villages | nos. | 191 | 200 |
| 21 | GCA/CCA-Ratio | Ha | 63263 / 48874 | 86660 / 64111 |
| 22 | Tehsil | | Seoni, Malwa, Rahatgaon, Harda, Sirali, Khirkiya, & Harsud | Seoni, Malwa, Rahatgaon, Harda, Sirali, Khirkiya, Harsud & Khalwa |
| 23 | District | | Hoshangabad, Harda & Khandwa | Hoshangabad, Harda & Khandwa |

Client : Narmada Valley Development Authority
(NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore

Broad Concept Design and Layout Report

Revision 0

6 of 566

1.4 AREA SELECTION:

System description : Water will be lifted from three different sources namely Morand Dam, Ganjal Dam and existing Indirasagar Reservoir through Approach channel / connecting pipeline to pumphouse. From respective pump houses, water will be pumped to 20 ha chaks directly. Low water level for pumping considered is 247m for ISP Reservoir, 352 m for Morand Dam and 355.4 m for Ganjal Dam respectively.

Morand Dam side command Area = 18490 Ha

Ganjal Dam side command Area = 21407 Ha

ISP Reservoir side command Area = 24214 Ha

Total Culturable command Area = 64111 Ha CCA

Scheme -1: Scheme -1 will get water from Morand Dam. Out of total 18490 ha from Morand side command, scheme-1 will cater irrigation for 7875 ha and balance water of 10615 ha ($18490 - 7875$ ha) will be delivered to Delivery chamber (DC) located at 383m GL. Total discharge from Morand Dam side Pump house (PH1) will be 6.471 m³/s and out of this Scheme 1 will cater for 2.756 m³/s which will be pumped from PH1 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 415 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 1 will be 3.775 MW. Average Elevation within this command area ranges from 306m to 362m.

Rising Main 1 (RM1): Rising main -1 will be connected from Ganjal Dam side pump house (PH2). Total culturable command Area from Ganjal Dam is proposed for 21407 Ha. From this, area of 16707 ha will be pumped through Rising main-1 pipeline with discharge of 5.847 Cumecs and with pump head of 31.0m to lift water from Pump house 2 (PH2) to Delivery Chamber (DC) through 1900mm MS Pipeline. Lifting level at PH2 will be 355.4m and delivery level at DC will be 383m. Total Power required for this Rising main 1 will be 2.115 MW

From PH2 command area of 4700 ha CCA (21407-16707 ha) will also be irrigated by direct pressurized system to scheme-2 directly up to 20 ha chaks.

Scheme -2: Scheme -2 will get water from Ganjal Dam. Out of total 21407 ha from Ganjal side command, scheme-2 will cater irrigation for 4700 ha and balance water of 16707 ha ($21407 - 4700$ ha) will be delivered to Delivery chamber (DC) located at 383m GL through Rising main-1 pipeline. Total discharge from PH2 towards scheme-2 direct pressurized system, will be 1.645 m³/s which will be pumped from PH2 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 239 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 2 will be 1.363 MW. Average Elevation within this command area ranges from 315m to 365m.

Scheme -3: Scheme -3 will get water from Delivery chamber (water received from Morand Dam and Ganjal Dam respectively). Total Morand side command area will be 18490 ha and from Ganjal Dam command area will be 21407 and total area will be 39897 ha. Out of total 39897 ha, Scheme1 will be irrigating 7875 ha and scheme2 will

| | | | |
|--|---|--|----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | | |
| Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | | |
| | Revision 0 | | 7 of 566 |

be irrigating 4700 ha and balance area to be irrigated will be 27322 Ha. The water for 27322 ha will be available at Delivery chamber (DC) by receiving water equivalent to 10615 ha from Morand Dam and 16707 ha from Ganjal Dam respectively.

Scheme -3 will receive water from DC directly to 20 ha chaks through Gravity distribution system. Out of 27322 ha, scheme-3 will be irrigating about 13150 ha only and balance area 14171 ha equivalent water will go to Pump house-3 (PH3) situated in Kothami village. Total discharge from scheme-3 will be 9.563 m³/s, and Scheme 3 will cater for 4.603 m³/s which will be from DC directly to the command area of total 13151 Ha CCA with chaks size of up to 20 ha. Total 689 chaks catered from this scheme. Average Elevation within this command area ranges from 300m to 347m. From scheme-3, balance water for 14171 ha will go to Pump house-3 (PH3).

Scheme -4: Scheme -4 will get water from Pump house -3 (PH3). Area to be irrigated from this scheme will be 9365 Ha. Discharge of 3.277 m³/s which will be pumped from PH3 directly to the command area of total 9365 Ha CCA with chaks size of up to 20 ha. Total 497 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 4 will be 1.032 MW. Average Elevation within this command area ranges from 271m to 348m.

Scheme -5: Scheme -5 will get water from Pump house -3 (PH3). Area to be irrigated from this scheme will be 4806 Ha. Discharge of 1.682 m³/s which will be pumped from PH3 directly to the command area of total 4806 Ha CCA with chaks size of up to 20 ha. Total 249 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 5 will be 1.089 MW. Average Elevation within this command area ranges from 309m to 372m.

Scheme -6: Scheme -6 will get water from Pump house -4 (PH4) from ISP Reservoir as source. Out of total 24214 ha from ISP Reservoir side command, scheme-6 will cater irrigation for 7925 ha. Total discharge for this Scheme 6 will be 2.774 m³/s which will be pumped from PH4 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 415 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 6 will be 2.977 MW. Average Elevation within this command area ranges from 262m to 301m.

Scheme -7: Scheme -7 will get water from Pump house -4 (PH4) from ISP Reservoir as source. Out of total 24214 ha from ISP Reservoir side command, scheme-7 will cater irrigation for 11080 ha. Total discharge for this Scheme 7 will be 3.878 m³/s which will be pumped from PH4 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 567 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 7 will be 4.705 MW. Average Elevation within this command area ranges from 262m to 300m.

| | | |
|---|--|----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| | Revision 0 | 8 of 566 |

Scheme -8: Scheme -8 will get water from Pump house -4 (PH4) from ISP Reservoir as source. Out of total 24214 ha from ISP Reservoir side command, scheme-8 will cater irrigation for 5210 ha. Total discharge for this Scheme 8 will be 1.823m³/s which will be pumped from PH4 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 284 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 8 will be 1.957 MW. Average Elevation within in this command area ranges from 262m to 297m.

Total command area from scheme 1, scheme 2, Scheme 3 , Scheme 4, scheme 5, scheme 6, scheme 7 and scheme 8 will be $7875 + 4700 + 13150 + 9365 + 4806 + 7925 + 11080 + 5210 = 64111 \text{ Ha CCA}$.

1.5 Survey ,Investigation & Chak Planning:

The general methodology followed for Survey and Investigation of this lift Irrigation scheme is illustrated in the following.

- a. Spreading and constructing Temporary Bench Marks (TBM) in the command area from Great Trigonometrically Survey (GTS) values.
- b. Alignment survey with level at every 15m interval and preparation of combined revenue village map of the command area showing contours and prominent field details as per the detailed specifications.

The design of the Morand and Ganjal Project is prepared with the help of the survey data which includes fixation of headwork location and alignment. This data will be utilized in the pipe hydraulics software for determining the diameter of the pipeline. Layout and design of the distribution network is prepared which as well includes command area finalization, chak planning, alignment planning, and diameter fixation of the rising main and distribution network.

Survey data includes the following details.

- a. Grid survey at the headwork location as per the network analysis made as per the survey details.
- b. L-section of the rising main with all crossing details.
- c. Demarcation of outlet points for each chak with verification and confirmation of the ground levels.
- d. L-section of distribution network lines with all the crossing details.

As far as possible, average chak size is kept close to 20Ha (CCA). However, the CCA for each chak will be varying due to natural topographical features and other conveyance and boundary constraints. All the pipelines of Rising main and distribution network will be laid below ground with minimum depth of soil cover as 1.2m. Accordingly, the alignment of pipelines will not interfere with chak formation and its boundaries.

| | | |
|--|---|----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| | Revision 0 | 9 of 566 |

2.0 DESIGN OF RISING MAIN LINE AND DISTRIBUTION NETWORK:

Average ground levels from command within the culturable land range from 262m to 365m. Total of 22,438 cumecs of water will be delivered through various pipe diameter ranging from 63 mm to 2600mm till 20 ha chak outlets and from there water is diverted to cater up to 2.50 ha chak outlet.

The entire pipeline system is designed to take 0.35 lps/ha and to meet minimum of 23m pressures at each 2.50 ha chak outlet and accordingly hydraulic design at 20 ha level is done. Total of 3355 chaks size each varying from 5 to 40 ha and averaging close to 20 ha covering total area of 64,111 ha is covered under this Project.

A minimum residual pressure of 27m will be maintained at all 20 Ha chak outlets and also restricting maximum of 2.1 m/s velocity in the entire network system. Minimum of 63mm and maximum of 2600mm pipe diameter been used for distribution network. An outlet management system that does not require any external source of electric power will be placed at 20 Ha chak outlets in order to ensure equitable supply of water. An efficient air management system with feedback control (connected to SCADA) will be designed to ensure trouble free operation of the lift irrigation scheme and protect the pipeline system from dangerous air slam pressures.

2.1 Design Philosophy:

The main objective of the Morand and Ganjal Project is to empower the farmers in the Hoshangabad, Harda and Khandwa district with reliable and equitable supply of water for irrigating Agriculture. At the same time, the lift irrigation schemes should be designed to satisfy other criteria mentioned in the tender documents while keeping the power requirements to the lowest possible levels. This can be achieved by performing optimal design and life cycle cost analysis, so the farmers will receive right quantities of water at adequate pressures, while the government will conserve precious electrical energy and save on annual electricity expenditure. The design should also look at the potential pitfalls associated with piped irrigation systems and make use of advanced design and other technological solutions to avert such pitfalls and ensure reliable and equitable supply of water to all farmers identified under the lift irrigation scheme. The most critical component of the LIS is the pipe distribution network. A careful and efficient design of this component is essential for long-term trouble-free and fail-safe performance of the lift irrigation scheme. Efficient design of a piped irrigation system always starts at the consumer end.

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA), | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | | |
| Contractor: M/S NEC-PCL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | | |
| | Revision 0 | | 10 of 566 |

Higher residual pressures are naturally available at many chak outlets because of the undulating terrains of upland agricultural areas and careful design can ensure higher residual heads at most chak outlets. Further increase in residual heads can drop the water requirements at chak outlets dramatically as the farmers can then go for micro irrigation systems without the need for additional pumping and the associated energy burden. As micro irrigation boosts crop yield significantly, the best and most efficient design for the lift irrigation scheme would be the one that delivers crop water requirements at higher residual heads while keeping the energy requirements to the lowest possible levels (and certainly below the tender time estimates). In general, the minimum residual head at chak outlet for drip or sprinkler irrigation would be around 20m and this can ensure adequate residual pressure at drip/sprinkler emitters after all the pressure losses downstream of chak outlets.

Whether the distribution system is designed for a minimum residual pressure of 0m, 2m, or 20m, the actual residual pressures available at different chak outlets for specified demand conditions will always be greater than the minimum required value (except at one or two outlets where the minimum residual pressure is maintained). Unless the additional residual pressure at outlets is dissipated by some smart technology, water will NOT be delivered equitably to all chaks. Lack of proper outlet management system can result in many unforeseen problems and eventual declaring of failure of the entire lift irrigation scheme. Some of these problems include; periodic filling and draining of pipelines leading to air lock, pipe joint failure and eventual leakage; pumps operating well beyond rated conditions resulting in premature breakdown from excessive heating, vibration etc.; longer travel times to chak outlets; significant inequity in supply of water. Orifice or manual/motorized control valves based dissipation of residual pressures cannot work, as the water supply system will be designed for peak demand conditions but the system must work for many variable demand conditions - demands vary significantly during different stages of crop growth. The use of rugged field channels for delivery of water from chak outlet to farm boundary can make the matters worse with orifice control. Outlet Management System is essential to ensure equitable supply of water during the entire growth period without having to run pumps beyond rated conditions. However, Outlet Management System that requires little or no maintenance requirement and no additional energy requirement (that is, hydraulically actuated) can also be expensive and might only be possible with exceptionally good optimized pipe network design satisfying the tender conditions.

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | | |
| Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | | |
| | Revision 0 | | 11 of 566 |

Pump station flowrates will be designed based on bottom-up approach starting at the field channel level downstream of chak outlet working towards the pump station. The design flowrate for each chak will be at the rate of 0.35 lps/ha. This flowrate will ensure minimum required flowrate condition for efficient delivery of water from chak outlet to individual farms when the minimum chak size is not significantly below 20 ha ($20 \times 0.35 = 7.00$ lps/chak), while 12-15 lps is the suggested lower limit for field channel flow. Reference: Design and operation of irrigation systems for smallholder agriculture in South Asia by D. E. Campbell, FAO, ISBN: 9789251024812, 1987). The proposed chak outlet management system will provide flexibility to run the LIS similar to Warabandi system as practiced in M.P. For example, the group of Pani Panchayats under the LIS may decide on the rotation of water supply on a weekly basis (that is a group of chaks will receive water for one week continuously and water will be directed to another group of chaks the following week), biweekly basis, or even on an alternate day basis per crop water requirement and availability of water. Supply of water on longer time intervals (one week on and week off) is suitable for flood irrigation while water should be supplied at closer intervals (alternate day basis for example) for micro-irrigation systems. This provides flexibility for farmers within the chak that offers adequate residual pressure head to collectively switch from flood irrigation to micro irrigation whenever they are ready.

2.2 Design criteria

The general design criteria for this LIS are listed in the following:

- Water will be lifted from three different resources namely Morand Dam, Ganjal Dam and Existing Indira Sagar Reservoir Right side through an pump house, and pressurized pipe network to approximately 20 ha chaks of the command area.
- Each chak outlet should be designed for the respective flow rate based on total area under the chak and a duty flow rate of 0.35 lps per hectare.
- Minimum pressure head at each 20 ha chak outlet should be 27m and at 2.50 ha pressure will be 23m, so the farmers can go for micro irrigation whenever they are ready without the need for additional power supply and pump set.
- The network system will use MS, DI, GRP and HDPE pipes of appropriate pressure ratings will be used for distribution network and following size limitations stipulated in tender specifications. Pipe diameter up to 280 mm will be HDPE pipe diameter and from 300 mm and above will be Mild steel /DI/GRP with suitable thickness mentioned as per tender.
- Hazen-William friction equation will be used for computing head loss within the pipelines with a roughness coefficient C_r value of 140.

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS/PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | | |
| Contractor: M/S. NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | | |
| | Revision 0 | | 12 of 566 |

- Chak markings will be done making use of manual command area survey, digital contour maps, village maps and RoRs.
- Chak and distribution system layouts will be marked in such a way as to minimize the railway, highway and major stream crossings.
- Detailed field alignment survey will be carried out from source to all chak outlets to obtain accurate elevations along all critical areas of the piped distribution system.
- All Chaks (20 ha level) with residual pressures of 27m will be provided with Outlet Management System (OMS) to ensure equitable supply of water to all chaks. The OMS will be capable of measuring the volume of water delivered, limit the flow rate to designed capacity of the chak outlet, automatically close the valve when pumps are turned off thereby preventing periodic filling and draining of the pipelines which ensures enhanced project life. In addition, the opening and closing of these valves will be automatically done in a controlled manner so as to eliminate dangerously high surge pressures associated with rapid changes in velocity and hence enhanced life for the project. Unlike orifice plate based flow control, OMS will preserve the available residual head (while limiting the flow rate at chak outlet to required value) so the farmers can go for micro irrigation whenever they are ready. Orifice plate based flow control will also necessitate massive redesign and replacement of orifice plates in order to make use of available residual head and this process may need to be undertaken every time one water user association is ready for migrating to micro irrigation system.
- A detailed air management system will be designed and this will help eliminate air blockages and reduce travel-time from pump start to flow reaching the tail end chak outlets.
- Adequate number of isolation valves and scour valves of appropriate size will be provided throughout the distribution network to enhance the operational feasibility and periodic flushing of pipes preventing siltation problems.
- Bladder Vessel based Surge protection arrangements will be provided to the entire network of the pipeline system.
- User friendly SCADA and Outlet management system with automation system will be designed for seamless integration and operation of pump station and outlet management system for efficient and most cost effective operation of each LIS. The proposed system will be capable of providing periodic updates and the overall operation of the LIS to all concerned officials.

| | | |
|--|---|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor : M/S. NEG-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| | Revision 0 | 13 of 566 |

2.3 Network modeling philosophy

The rising main and distribution network models will be designed using the latest version of the most popular hydraulic network modeling software – Pipe2000 developed at University of Kentucky, USA. The entire network pipeline system associated with the distribution will be designed in such a way to minimize the life cycle costs of the project. Once the chak formation is complete following the procedure outlined in the tender specifications, a layout for the network model will be prepared that ensures minimal railway, highway and major stream crossings. The Pipe2000 software will be used to analyze the model as well as to optimize the annualized capital and operational costs of the project. Use of well-established network modeling software will not only ensure accurate results but also the most cost effective solution which can potentially provide significant savings in energy costs. The velocity considered for pipeline is maximum 2.1 m/sec and minimum 0.3 m/sec (subject to diameter constraint).

2.4 Building of pipe network model

After completion of chak planning, a detailed CAD map showing all salient and relevant features within the command area (including ground level contours) was prepared. This map included chak boundaries, highest elevations points within the chak boundaries, CCA of each chak etc. These maps were used for building the pipe network model in Pipe2000 software. Automated CAD to model conversion tools were used wherever possible in order to eliminate errors in model development. The pipe network model is comprised of a reservoir node representing the Pump house, an intricate network of rising, gravity mains, and a distribution system.

2.5 Methodology of calculations

Following methodology is adopted for the optimizatiōn study,

- Minimum required velocity in M.S./HDPE Pipeline = 0.3m/sec as per CPHEEO Manual.
- Maximum permissible velocity in M.S./HDPE pipeline = 2.1m/sec as per CPHEEO Manual.
- Head loss in friction in rising and gravity mains is worked out using Hazen William formulae.
- Other losses in bends, valves etc are taken as 10 % of pipe frictional losses.

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | | |
| Contractor : M/S NEC PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | | |
| | Revision 0 | | 14 of 566 |

2.6 Outlet Management System

Chaks are designed for covering around 20Ha area and precautions will be taken that farmer gut boundary will come in the maximum one chak only. The residual pressures at chak outlets are maintained to be no less than 27m. On a peak demand day, it is very highly likely that all outlets in distributaries are fully open and deliver peak flows to chak outlets. On the other hand (for example the days of unexpected heavy rains during a peak demand period) all outlets may need to be turned off to prevent excess watering and consequent damage to crops.

In between these two extremes, the number of outlets operating at any given time may vary from 0 to total number of outlets in the distributaries. In addition, the outlets may be operated only for certain number of hours in a day depending on their consumption etc. so it is required to control and monitor the chak outlet with effective control system. Also, operation of the system during non-peak demand months is the most critical to implement as outflow to chak from an outlet depends on the available residual pressure at that outlet and higher residual pressure at outlet means higher flow to chak unless there is a control to restrict the flow to the maximum allowable value. Therefore, it is essential to have control at all chak outlets and more importantly these controls should be set to maximum flow limits so the outlets cannot draw more water even when there is higher residual pressure at that location and so sufficient flow will be available at the outlets where pressure is low or at the higher elevation.

An outlet management system, which will control the maximum flow at the chak outlets wherever necessary irrespective of pressure available at that outlet, will be provided for all lift irrigation schemes under this cluster. The outlet management system will have the feature of anti-drain to enable to keep the network always full of water which will avoid the air entry in the pipe and will keep the network full of water. This will enable to start the flow from the outlet immediately when the outlet will be started again in operation. We will control and monitor the distribution network at downstream instead of control at upstream as it has many more advantages such as,

1. Outlet management system with downstream control will prevent the draining of water from the network.
2. Outlet management system avoid the air entry in pipeline and so reduces the problems associated with air lock such as less/partial flow, leakages etc.
3. Outlet management system enables the uniform & equitable distribution of water irrespective of its elevation and distance from the supply source. In Upstream Control the

| | | |
|---|--|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| Revision 0 | | 15 of 566 |

outlets at lower elevation and near to supply source will get the more water and other will get may be less or NIL water.

4. In Outlet Management System, the water will be immediately available at outlet once the supply will start. In Upstream Control due to draining of network it will take time for the water to reach the outlets.
5. In Outlet Management system as water always remains in pipe network it will increase the life and efficiency of pipeline.

Entire Distribution Network System will cover through Outlet Management System, Air Management System, Washout / Scour System.

In summary, the pipe network designed as per tender requirement of 0.3204 lps/ha for this LIS. The salient features of the design pertaining to this LIS are shown in the following:

- Each 20 Ha chak outlet is designed for 0.35 lps/ha
- Outlet management system is provided to allow for rotation of water similar to Warabandi system at 20 ha chak level.
- Problems associated with field channels are minimized
- Minimum pressure at 20 ha chak outlet is minimum 27m.
- Minimum pressure at 2.50 ha chak outlet is minimum 23m.
- Highest steady state pressures and pump head is 104m (for Scheme 8 Pumping).
- Highest steady state pressures in the entire Distribution network is 90m.

3.0 Summary of results

As per the above mentioned design criteria and the guidelines, the Broad conceptual design & layout hydraulic design of distribution system is prepared, showing the following and presented in various tables and drawings section of this report.

- Chak boundaries.
- GCA/GCA of each Chak.
- Location of outlet for each Chak.
- Horizontal alignments of the distribution network along with its nomenclature.
- Node numbers at each offtake point and irrigation outlet point.
- Discharge between nodes.
- Diameter of the pipe between nodes.

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | | |
| Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | | |
| | Revision 0 | | 16 of 566 |

After this report, the detailed engineering report of distribution network with kilometer wise L-sections along each alignment will be prepared and will be submitted separately (after approval of this Report) including the following details.

- Chainage, G.L., Invert R.L of Pipe, H.G.L.
- Location of various types of valves such as air valves, scour valves (washout valves), sluice / butterfly valves for discharge control etc. and its diameters.
- Position of various structures at crossings of Nallas, Roads etc. & its typical design.
- Design of surge protection system.
- Pipe Pressure classification of Pipes.
- Typical outlet management /Air management /SCADA (wireless and energyless based) arrangement at 20 ha chak head.
- Position of thrust blocks / anchor blocks & their typical design.

[Signature]
3/9/21 Assistant Engineer
BDA Divisional Office, Narmada Development
Hydrometeorology Sub-Division, Narmada Project No.23, Bhopal
N.V.D.A., Hoshangabad (M.P.)
[Signature]
SIB

[Signature]
Executive Engineer
Narmada Development
Division No.23, Bhopal

[Signature]
Chief Engineer
Indira Sagar Project (Canals)
Sanawad, Distt: Khargone (M.P.)

[Signature]
Superintending Engineer
N.D. Circle No. 08
Sanawad Distt. Khargone

[Signature]
Project Administrator
Morand, Ganjal And Hoshangabad Barrage
Project Implementation Unit
Seoni Malwa Distt. Hoshangabad (M.P.)

| | | |
|--|---|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| | Revision 0 | 17 of 566 |

TABLE 1-VILLAGEWISE AREA STATEMENT:

| Sl.No. | S.N. of DPR Additional Village | Village Name | Name of Tehsil & Name of District | GCA in Hac (As per Survey land record) | Govt. Land In Hac (As per Survey land record) | CCA in Hac [As per Survey land record] (5-6) | ICA considered (in Hac), under the proposal |
|--------|---|------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | DPR-1 | Sirupur | Seoni Malwa & Hoshangabad | 428.42 | 252.28 | 176.14 | 176.14 |
| 22 | DPR-2 | Motiya | Seoni Malwa & Hoshangabad | 495.64 | 331.19 | 164.45 | 83.04 |
| 32 | DPR-3 | Lokhartai | Seoni Malwa & Hoshangabad | 551.15 | 233.68 | 317.47 | 291.93 |
| 4 | DPR-4 | Sanrai | Seoni Malwa & Hoshangabad | 850.31 | 325.33 | 525.48 | 525.48 |
| 5 | DPR-5 | Ranipur | Seoni Malwa & Hoshangabad | 1661.17 | 47.00 | 119.17 | 124.23 |
| 6 | DPR-6 | Ghana | Seoni Malwa & Hoshangabad | 467.87 | 114.80 | 353.07 | 353.07 |
| 7 | DPR-7 | Bandarkoth | Seoni Malwa & Hoshangabad | 288.424 | 53.99 | 234.43 | 234.44 |
| 8 | DPR-8 | Gangia | Seoni Malwa & Hoshangabad | 423.63 | 185.68 | 237.94 | 237.94 |
| 9 | DPR-9 | USKALLI | Rahatgaon & Harda | 499.44 | 259.24 | 240.20 | 240.24 |
| 10 | DPR-10 | BARURGHAT | Rahatgaon & Harda | 403.78 | 124.25 | 279.53 | 279.53 |
| 11 | DPR-11 | BHADUGAON | Rahatgaon & Harda | 445.75 | 27.57 | 418.18 | 418.18 |
| 12 | DPR-12 | KAPASI | Rahatgaon & Harda | 441.15 | 220.00 | 221.15 | 221.15 |
| 13 | DPR-13 | TEMAGOY | Rahatgaon & Harda | 974.87 | 77.29 | 897.58 | 897.58 |
| 14 | DPR-14 | UNDRAKUTCH | Rahatgaon & Harda | 110.33 | 3.10 | 107.22 | 107.22 |
| 15 | DPR-15 | JOGIKHEDA | Rahatgaon & Harda | 273.44 | 23.09 | 250.35 | 250.35 |
| 16 | DPR-16 | JHIRIKHEDA | Rahatgaon & Harda | 229.17 | 14.13 | 215.04 | 215.04 |
| 17 | DPR-17 | DOLARIA | Rahatgaon & Harda | 411.77 | 28.13 | 383.64 | 383.64 |
| 18 | DPR-18 | JINIWANI | Rahatgaon & Harda | 450.01 | 180.31 | 269.70 | 269.70 |
| 19 | DPR-19 | PADAWAN | Rahatgaon & Harda | 246.82 | 20.41 | 226.41 | 250.10 |
| 20 | DPR-20 | NANDWA | Rahatgaon & Harda | 166.38 | 5.43 | 160.95 | 160.95 |
| 21 | DPR-21 | JAMDHARI(VEERAN) | Rahatgaon & Harda | 98.77 | 5.04 | 93.73 | 93.73 |

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVDA).

| | |
|---|---|
| Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT |
| Broad Concept, Design and Layout Report Revision 0 | 18 of 566 |

After this report, the detailed engineering report of distribution network with kilometer wise L-sections along each alignment will be prepared and will be submitted separately (after approval of this Report) including the following details.

- Chainage, G.L., Invert R.L. of Pipe, H.G.L.
- Location of various types of valves such as air valves, scour valves (washout valves), sluice / butterfly valves for discharge control etc. and its diameters.
- Position of various structures at crossings of Nallas, Roads etc. & its typical design.
- Design of surge protection system.
- Pipe Pressure classification of Pipes.
- Typical outlet management / Air management / SCADA (wireless and energyless based) arrangement at 20 ha chak head.
- Position of thrust blocks / anchor blocks & their typical design.

(Signature)
19/2
Assistant Engineer
Narmada Development
Division No.23, Bhopal

(Signature)
Chief Engineer
Indira Sagar Project (Canals)
Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)

(Signature)
Project Administrator
Morand, Ganjal And Hoshangabad Barrage
Project Implementation Unit
Seoni Malwa Distt. Hoshangabad (M.P.)

| | | |
|---|--|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor: M/S. NEC-PCL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| | Revision 0 | 1/ of 566 |

TABLE 1- VILLAGEWISE AREA STATEMENT:

| Sl.No. | S.N. of DPR/ Additional Village | Village Name | Name of Tehsil & Name of District | GC&A in Hac (As per Survey land record) | Govt. Land in Hac (As per Survey land record) | CCA in Hac (As per Survey land record) (5-6) | ICA considered (in Hac), under the proposal |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DPR-1 | Sripuram | Seoni Malwa & Hoshangabad | 428.415 | 252.278 | 176.137 | 176.137 |
| 2 | DPR-2 | Noriya | Seoni Malwa & Hoshangabad | 495.635 | 331.185 | 164.450 | 164.450 |
| 3 | DPR-3 | Lokhartalai | Seoni Malwa & Hoshangabad | 551.147 | 233.682 | 317.465 | 317.465 |
| 4 | DPR-4 | Santai | Seoni Malwa & Hoshangabad | 850.806 | 325.329 | 525.477 | 525.477 |
| 5 | DPR-5 | Benigur | Seoni Malwa & Hoshangabad | 166.166 | 46.995 | 119.171 | 119.171 |
| 6 | DPR-6 | Ghana | Seoni Malwa & Hoshangabad | 467.865 | 114.799 | 353.066 | 353.066 |
| 7 | DPR-7 | Bandarkhoh | Seoni Malwa & Hoshangabad | 742.405 | 249.397 | 493.008 | 234.432 |
| 8 | DPR-8 | Gangia | Seoni Malwa & Hoshangabad | 423.626 | 185.582 | 237.944 | 237.944 |
| 9 | DPR-9 | USKALI | Rahatgaon & Harda | 499.437 | 259.235 | 240.202 | 240.202 |
| 10 | DPR-10 | BARURGHAT | Rahatgaon & Harda | 403.781 | 124.249 | 279.532 | 279.532 |
| 11 | DPR-11 | BHADUGAON | Rahatgeon & Harda | 1007.256 | 142.135 | 865.121 | 438.179 |
| 12 | DPR-12 | KAPASI | Rahatgeon & Harda | 441.147 | 220.000 | 221.147 | 221.147 |
| 13 | DPR-13 | TEMAGOV | Rahatgeon & Harda | 974.870 | 77.290 | 897.580 | 897.580 |
| 14 | DPR-14 | UNDRAKUTCH | Rahatgeon & Harda | 622.882 | 78.883 | 543.999 | 167.224 |
| 15 | DPR-15 | JIGIKHEDA | Rahatgeon & Harda | 273.440 | 23.087 | 250.353 | 250.353 |
| 16 | DPR-16 | JHIRIKHEDA | Rahatgeon & Harda | 229.172 | 14.133 | 215.039 | 215.039 |
| 17 | DPR-17 | DOLARIA | Rahatgeon & Harda | 419.097 | 28.125 | 390.972 | 383.643 |
| 18 | DPR-18 | JINWANI | Rahatgeon & Harda | 450.005 | 180.306 | 269.699 | 269.699 |
| 19 | DPR-19 | PADAwan | Rahatgeon & Harda | 388.345 | 55.022 | 333.323 | 226.413 |
| 20 | DPR-20 | NANDWA | Rahatgeon & Harda | 395.695 | 73.541 | 322.154 | 160.952 |
| 21 | DPR-21 | JAMDHAR (VERAN) | Rahatgeon & Harda | 98.771 | 5.039 | 93.732 | 93.732 |

| | |
|--|--|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT |
| Contractor: M/S NEC-PEL (IV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report Revision 0 1/8 of 566 |

| | | | | | | | |
|----|--------|----------------------|-------------------|----------|---------|----------|----------|
| 22 | DPR-22 | JHARBÉRA | Rahatgaon & Harda | 721.688 | 209.346 | 512.342 | 512.342 |
| 23 | DPR-23 | PANDÉRMATI | Rahatgaon & Harda | 699.385 | 171.224 | 528.161 | 528.161 |
| 24 | DPR-24 | UMRADHÀ | Rahatgaon & Harda | 534.900 | 32.766 | 502.134 | 502.134 |
| 25 | DPR-25 | KALPÍ | Rahatgaon & Harda | 260.508 | 48.271 | 212.237 | 93.012 |
| 26 | DPR-26 | KHĀTMĀKHĒDA | Rahatgaon & Harda | 191.284 | 75.085 | 116.199 | 116.199 |
| 27 | DPR-27 | CHHIRPURA | Rahatgaon & Harda | 660.027 | 81.447 | 578.580 | 578.580 |
| 28 | DPR-28 | NAZARPURĀ(MOHĀNPŪRA) | Rahatgaon & Harda | 500.995 | 58.011 | 442.984 | 442.984 |
| 29 | DPR-29 | MĀGĀV KHURD | Rahatgaon & Harda | 308.213 | 27.319 | 280.894 | 80.740 |
| 30 | DPR-30 | DHĀNGAON | Rahatgaon & Harda | 405.961 | 61.810 | 344.151 | 66.097 |
| 31 | DPR-31 | DHĀNAPĀDA | Rahatgaon & Harda | 339.693 | 15.702 | 323.991 | 323.991 |
| 32 | DPR-32 | JUNĀPĀNI | Rahatgaon & Harda | 178.824 | 5.848 | 172.976 | 172.976 |
| 33 | DPR-33 | RAHATGAON | Rahatgaon & Harda | 1032.184 | 106.949 | 925.235 | 925.235 |
| 34 | DPR-34 | PHUĀDI | Rahatgaon & Harda | 700.802 | 90.854 | 609.948 | 34.442 |
| 35 | DPR-35 | DOKERTĀL | Rahatgaon & Harda | 130.676 | 14.371 | 116.299 | 41.320 |
| 36 | DPR-36 | KHAMGAON | Rahatgaon & Harda | 542.431 | 65.720 | 476.711 | 295.207 |
| 37 | DPR-38 | LUCHGAON (VEERĀN) | Rahatgaon & Harda | 325.191 | 36.257 | 288.934 | 163.556 |
| 38 | DPR-39 | KASRĀNI | Rahatgaon & Harda | 636.560 | 105.574 | 530.986 | 530.986 |
| 39 | DPR-40 | NĀRĀNPŪRA | Rahatgaon & Harda | 381.446 | 199.146 | 182.300 | 182.300 |
| 40 | DPR-41 | SINGĀNPŪR | Rahatgaon & Harda | 287.028 | 35.835 | 251.193 | 251.193 |
| 41 | DPR-42 | RAISĀLPUR | Harda & Harda | 679.100 | 354.512 | 324.588 | 324.588 |
| 42 | DPR-43 | JHADĀPĀ | Harda & Harda | 1070.025 | 69.882 | 1000.143 | 1000.143 |
| 43 | DPR-44 | GUTHĀNIA | Harda & Harda | 352.553 | 55.888 | 256.665 | 256.665 |
| 44 | DPR-45 | JHRI | Harda & Harda | 648.795 | 157.859 | 490.936 | 490.936 |
| 45 | DPR-46 | JHUNDGĀON | Harda & Harda | 374.683 | 27.862 | 346.821 | 346.821 |
| 46 | DPR-47 | BARKHĒDI | Harda & Harda | 352.807 | 15.150 | 337.657 | 337.657 |
| 47 | DPR-48 | SIRKAMBĀN | Harda & Harda | 641.944 | 37.397 | 603.947 | 603.947 |
| 48 | DPR-49 | DINKĀRPŪRA | Harda & Harda | 309.633 | 44.009 | 265.624 | 17.047 |
| 49 | DPR-50 | NAKĀWĀDA | Harda & Harda | 376.202 | 42.171 | 334.031 | 154.313 |
| 50 | DPR-51 | JIGĀON KHURD | Harda & Harda | 627.077 | 62.850 | 564.227 | 9.744 |

| | |
|--|---|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDÄ) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT |
| Contractor: M/S NEC-PEL (IV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report |
| Revisión 0 | 19 of 566 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------------|--|----------------|----------|---------|----------|---------|
| 51 | DPR-52 | GAHAL | | Harda & Harda | 1385.373 | 153.207 | 1232.166 | 21.644 |
| 52 | DPR-53 | JAMNIYA | | Harda & Harda | 204.114 | 11.744 | 192.370 | 4.200 |
| 53 | DPR-54 | MOHANPUR | | Harda & Harda | 431.067 | 33.148 | 397.919 | 167.859 |
| 54 | DPR-55 | DULYA | | Harda & Harda | 355.120 | 60.680 | 294.440 | 232.823 |
| 55 | DPR-56 | KUNJPURA | | Harda & Harda | 282.854 | 36.296 | 246.558 | 246.558 |
| 56 | DPR-57 | KOSAGHATI | | Harda & Harda | 85.677 | 11.114 | 74.563 | 74.563 |
| 57 | DPR-58 | MAGARADHA | | Harda & Harda | 875.849 | 98.064 | 777.785 | 777.785 |
| 58 | DPR-59 | JAMANIYA KALAZAN | | Sirali & Harda | 395.791 | 161.552 | 234.239 | 204.239 |
| 59 | DPR-60 | RATANPUR | | Sirali & Harda | 299.507 | 256.612 | 42.895 | 42.895 |
| 60 | DPR-61 | AMAKHAL | | Sirali & Harda | 261.781 | 82.032 | 179.749 | 78.749 |
| 61 | DPR-62 | KHUTWAL | | Sirali & Harda | 412.198 | 52.690 | 359.508 | 359.508 |
| 62 | DPR-63 | CHAUKADI | | Sirali & Harda | 288.361 | 8.867 | 279.494 | 167.494 |
| 63 | DPR-64 | MAHANDGAON | | Sirali & Harda | 405.693 | 41.122 | 364.571 | 349.741 |
| 64 | DPR-65 | DEEARGAON KHURD | | Sirali & Harda | 483.203 | 17.503 | 465.700 | 22.351 |
| 65 | DPR-66 | BAWDINA | | Sirali & Harda | 452.020 | 29.622 | 422.398 | 217.137 |
| 66 | DPR-68 | GOMGAON | | Sirali & Harda | 641.211 | 54.076 | 587.135 | 169.580 |
| 67 | DPR-69 | MORTALA | | Sirali & Harda | 225.261 | 85.191 | 140.070 | 140.070 |
| 68 | DPR-70 | PIPAL PAANI | | Sirali & Harda | 135.323 | 36.867 | 98.456 | 98.456 |
| 69 | DPR-71 | UVR | | Sirali & Harda | 670.939 | 203.099 | 467.840 | 467.840 |
| 70 | DPR-72 | DAGPALPUR | | Sirali & Harda | 147.373 | 77.295 | 70.078 | 70.078 |
| 71 | DPR-73 | PIPLYA | | Sirali & Harda | 653.986 | 51.945 | 602.041 | 602.041 |
| 72 | DPR-74 | KASHIPURA | | Sirali & Harda | 285.945 | 8.437 | 277.508 | 277.508 |
| 73 | DPR-75 | GOMGAON VALI | | Sirali & Harda | 332.159 | 15.427 | 316.732 | 19.461 |
| 74 | DPR-76 | MALAPUR | | Sirali & Harda | 72.348 | 2.726 | 69.622 | 23.397 |
| 75 | DPR-77 | RAMPURI | | Sirali & Harda | 244.682 | 10.191 | 234.491 | 73.491 |
| 76 | DPR-78 | VIKRAMPUR KALAN | | Sirali & Harda | 404.125 | 24.951 | 379.174 | 379.174 |
| 77 | DPR-79 | KUDHIYA | | Sirali & Harda | 749.767 | 80.139 | 669.628 | 669.628 |
| 78 | DPR-80 | SONPURA | | Sirali & Harda | 240.229 | 120.999 | 119.230 | 66.230 |
| 79 | DPR-81 | Nani Makrai | | Sirali & Harda | 307.579 | 221.768 | 85.811 | 85.811 |

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVD) 

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Contractor : M/s NEC-PEL (IV), Indore 
Broad/Concept Design and Layout Report
Revision 0 20 of 566

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------|------------------|-----------|---------|----------|---------|
| 80 | DPR-82 | JUNĀPĀN | Sirali & Harda | 324.011. | 78.344 | 245.667 | 245.667 |
| 81 | DPR-83 | KEWALĀRĪ | Sirali & Harda | 152.411 | 11.741 | 140.670 | 140.670 |
| 82 | DPR-84 | BAHADA'MAL | Sirali & Harda | 111.209 | 25.740 | 85.469 | 85.469 |
| 83 | DPR-85 | HINDALABA'D | Sirali & Harda | 307.169 | 6.470 | 300.699 | 300.699 |
| 84 | DPR-86 | MĀNPURA | Sirali & Harda | 264.378 | 21.096 | 243.282 | 243.282 |
| 85 | DPR-87 | JINWĀNĀYĀ | Sirali & Harda | 317.104 | 33.944 | 283.160 | 4.200 |
| 86 | DPR-88 | LÖLAGRA | Sirali & Harda | 676.884 | 28.939 | 647.945 | 79.170 |
| 87 | DPR-89 | RÄTKĀJĀ | Sirali & Harda | 238.626 | 4.679 | 233.947 | 69.001 |
| 88 | DPR-90 | LĀLYA'CHĀPĀD | Sirali & Harda | 268.323 | 164.090 | 104.233 | 86.630 |
| 89 | DPR-91 | BICHPUR'I CIRCULAR | Sirali & Harda | 144.600 | 21.904 | 122.696 | 122.696 |
| 90 | DPR-92 | BICHPUR'I RYT | Sirali & Harda | 96.566 | 35.941 | 59.625 | 59.625 |
| 91 | DPR-93 | BAHADARYOT | Sirali & Harda | 109.510 | 3.916 | 105.594 | 105.594 |
| 92 | DPR-94 | BICHPUR'I MAL | Sirali & Harda | 206.611 | 34.889 | 171.722 | 171.722 |
| 93 | DPR-95 | MUDASE'L | Sirali & Harda | 255.609 | 26.645 | 228.964 | 228.964 |
| 94 | DPR-96 | MADHISE'L | Sirali & Harda | 704.908 | 29.078 | 675.830 | 71.645 |
| 95 | DPR-97 | NAHALI KALAAN | Sirali & Harda | 337.763 | 26.395 | 311.368 | 177.198 |
| 96 | DPR-98 | BHÄGWĀNPURA | Sirali & Harda | .924.418. | 77.233 | 847.185 | 847.185 |
| 97 | DPR-99 | RICHADIA | Sirali & Harda | 259.581 | 128.820 | 130.761 | 130.761 |
| 98 | DPR-100 | RÄKTAYA | Sirali & Harda | 314.551 | 19.335 | 295.216 | 295.216 |
| 99 | DPR-101 | SOMGAON KALAA | Sirali & Harda | 585.294 | 38.856 | 546.438 | 546.438 |
| 100 | DPR-102 | DEEPGAON KALAA | Sirali & Harda | 1518.351 | 157.634 | 1360.717 | 75.223 |
| 101 | DPR-103 | KADOLA RADHO | Sirali & Harda | 895.584 | 100.482 | 795.102 | 200.085 |
| 102 | DPR-104 | GHOUKİ | Sirali & Harda | 412.476 | 29.779 | 382.657 | 254.697 |
| 103 | DPR-105 | HÄSANPURA RAYAT | Sirali & Harda | 584.819 | 35.969 | 548.850 | 496.850 |
| 104 | DPR-106 | RAMTEK RYOT | Sirali & Harda | 551.731 | 68.014 | 483.717 | 457.717 |
| 105 | DPR-107 | KUKADA'PANI | Sirali & Harda | 792.272 | 249.549 | 542.73 | 412.790 |
| 106 | DPR-108 | MORGARHI | Khirkiya & Harda | 729.608 | 42.007 | 687.601 | 557.178 |
| 107 | DPR-109 | CHURKHAL | Khirkiya & Harda | 884.901 | 151.589 | 733.312 | 672.780 |
| 108 | DPR-110 | RÄNHNUN | Khirkiya & Harda | 819.185 | 91.123 | 728.062 | 640.930 |

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Contractor : M/S NEC-PEL.(IV), Indore
Broad Concept Design and Layout Report

Revision 0

21 of 566

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|------------------|----------|---------|---------|---------|
| 109 | DPR-111 | KHEDI CIRCULAR | Khirkiya & Harda | 138.253 | 14.014 | 124.239 | 124.240 |
| 110 | DPR-112 | KHEDI MAL | Khirkiya & Harda | 147.185 | 15.129 | 132.056 | 132.056 |
| 111 | DPR-113 | SHOBHAPUR | Khirkiya & Harda | 311.805 | 28.760 | 283.045 | 283.050 |
| 112 | DPR-114 | DEOGAON MAAL | Khirkiya & Harda | 356.512 | 26.337 | 370.175 | 370.170 |
| 113 | DPR-115 | DEOGAON CIRCULAR | Khirkiya & Harda | 293.286 | 21.918 | 271.368 | 271.370 |
| 114 | DPR-116 | DAMODARPURA | Khirkiya & Harda | 252.573 | 18.568 | 234.005 | 234.010 |
| 115 | DPR-117 | KAMPURA | Khirkiya & Harda | 85.534 | 91.291 | 734.243 | 734.240 |
| 116 | DPR-118 | TEMALWARI MAL | Khirkiya & Harda | 824.497 | 50.731 | 773.766 | 773.770 |
| 117 | DPR-119 | TEMALWARI RAJAT | Khirkiya & Harda | 459.677 | 32.553 | 427.124 | 427.120 |
| 118 | DPR-120 | MAKTAPUR | Khirkiya & Harda | 633.346 | 86.978 | 546.368 | 546.370 |
| 119 | DPR-121 | BHAWARDI RT | Khirkiya & Harda | 244.406 | 18.900 | 225.506 | 225.510 |
| 120 | DPR-122 | BHAWARDI MAL | Khirkiya & Harda | 242.275 | 18.363 | 223.912 | 223.910 |
| 121 | DPR-123 | PRATAP PURA | Khirkiya & Harda | 468.393 | 35.486 | 433.507 | 433.510 |
| 122 | DPR-124 | GANI PURA | Khirkiya & Harda | 230.562 | 6.949 | 223.613 | 223.610 |
| 123 | DPR-125 | HIRAPUR | Khirkiya & Harda | 356.130 | 24.030 | 332.100 | 332.100 |
| 124 | DPR-126 | JAI MALAPURA | Khirkiya & Harda | 304.528 | 26.972 | 277.556 | 277.560 |
| 125 | DPR-127 | GOPAL PURA | Khirkiya & Harda | 738.426 | 73.258 | 665.168 | 674.710 |
| 126 | DPR-128 | BHAWARDHA MAAL | Khirkiya & Harda | 67.199 | 9.644 | 57.555 | 57.550 |
| 127 | DPR-129 | JUNAPANI | Khirkiya & Harda | 628.871 | 77.033 | 551.838 | 551.840 |
| 128 | DPR-130 | Dairdama | Harsud & Khandwa | 609.660 | 109.020 | 500.640 | 369.960 |
| 129 | DPR-131 | Chaspkund | Harsud & Khandwa | 618.389 | 143.079 | 475.310 | 475.310 |
| 130 | DPR-132 | Bothia kalaa | Harsud & Khandwa | 459.269 | 34.539 | 424.730 | 424.730 |
| 131 | DPR-133 | Bothia Khurd | Harsud & Khandwa | 594.870 | 140.160 | 454.710 | 454.710 |
| 132 | DPR-134 | Dagad khedi maal | Harsud & Khandwa | 1013.357 | 384.730 | 628.627 | 459.347 |
| 133 | DPR-135 | Bahedi ryaat | Harsud & Khandwa | 383.190 | 34.260 | 348.930 | 348.930 |
| 134 | DPR-136 | Chich RT | Harsud & Khandwa | 545.467 | 180.167 | 365.300 | 365.300 |
| 135 | DPR-137 | Dhamora | Harsud & Khandwa | 508.303 | 101.503 | 406.800 | 406.800 |
| 136 | DPR-138 | Kadoli | Harsud & Khandwa | 660.980 | 82.260 | 578.720 | 578.720 |
| 137 | DPR-139 | Igariya | Harsud & Khandwa | 852.530 | 101.660 | 750.870 | 386.190 |

| | |
|---|---|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVD) A | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT |
| Contractor : M/S NEC-PEL (IV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report |
| Revision 0 | 22 of 566 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------|----------|----------|--------|
| 138 | DPR-140 | Pipalani | Harsud & Khandwa | 607.450 | 87.930 | 519.520 | 519.520 | |
| 139 | DPR-141 | Bhawrali | Harsud & Khandwa | 316.330 | 171.830 | 144.500 | 144.500 | |
| 140 | DPR-142 | Chikali | Harsud & Khandwa | 787.690 | 52.920 | 734.770 | 343.350 | |
| 141 | DPR-143 | Sonkinedi | Harsud & Khandwa | 597.220 | 131.000 | 466.220 | 466.220 | |
| 142 | DPR-144 | Ramjpurā | Harsud & Khandwa | 866.250 | 123.650 | 742.600 | 742.600 | |
| 143 | DPR-145 | Bori Saray | Harsud & Khandwa | 133.4390 | 102.370 | 1232.020 | 1091.910 | |
| 144 | DPR-146 | Dhangchedi | Harsud & Khandwa | 805.220 | 35.370 | 769.850 | 769.850 | |
| 145 | DPR-147 | Paleśāni mal | Harsud & Khandwa | 736.570 | 219.180 | 517.390 | 517.390 | |
| 146 | DPR-148 | Shahipura Maal | Harsud & Khandwa | 702.530 | 92.710 | 609.820 | 609.820 | |
| 147 | DPR-149 | Palani Ryt | Harsud & Khandwa | 174.620 | 38.500 | 136.120 | 136.120 | |
| 148 | DPR-150 | Hathnādāra Ryt | Harsud & Khandwa | 643.360 | 358.560 | 284.800 | 284.800 | |
| 149 | DPR-151 | Bhīmhdad Mai | Harsud & Khandwa | 320.170 | 21.990 | 298.180 | 298.180 | |
| 150 | DPR-152 | Mājuwādi Rāiyāt | Harsud & Khandwa | 232.340 | 30.640 | 201.700 | 201.700 | |
| 151 | DPR-153 | Kashipura Ryt | Harsud & Khandwa | 488.400 | 152.200 | 336.200 | 307.507 | |
| 152 | DPR-154 | Molvadi Maal | Harsud & Khandwa | 919.260 | 214.490 | 704.770 | 704.770 | |
| 153 | DPR-155 | Mugāl Ryt | Harsud & Khandwa | 596.810 | 368.810 | 228.000 | 228.000 | |
| 154 | DPR-156 | Bādkhāliya mal | Harsud & Khandwa | 839.063 | 136.560 | 702.503 | 329.320 | |
| 155 | DPR-157 | Bailwādi | Harsud & Khandwa | 337.650 | 43.220 | 294.430 | 294.430 | |
| 156 | DPR-158 | Revipūr Ryt | Harsud & Khandwa | 780.990 | 69.120 | 710.970 | 710.970 | |
| 157 | DPR-159 | Sonpura | Harsud & Khandwa | 641.146 | 285.786 | 355.360 | 355.360 | |
| 158 | DPR-160 | Bharādi | Harsud & Khandwa | 729.331 | 118.656 | 610.675 | 366.800 | |
| 159 | DPR-161 | Imlāni Ryt | Harsud & Khandwa | 706.410 | 560.470 | 145.940 | 145.940 | |
| 160 | DPR-162 | Khutār Ryt | Harsud & Khandwa | 311.070 | 293.950 | 17.120 | 17.120 | |
| 161 | Within RAMPURA | | Sirali & Harda | 667.439 | 35.816 | 631.623 | 125.210 | |
| 162 | - DO - | AIROOD RYT | Sirali & Harda | 245.261 | 18.195 | 227.066 | 100.066 | |
| 2 | 163 | - DO - | MUHAL CIRCULAR | Sirali & Harda | 241.577 | 111.174 | 130.403 | 89.403 |
| 164 | - DO - | SAGWA CIRCULAR | Mirkhiya & Harda | 343.080 | 57.873 | 285.207 | 112.207 | |
| 165 | - DO - | AIROOD MAL | Mirkhiya & Harda | 124.006 | 17.239 | 106.767 | 18.767 | |

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Broad Concept Design and Layout Report

Revision 0

Contractor: M/S NEC-PCL (IV), Indore

23 of 566

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-----------------|------------------|----------|---------|----------|----------|
| | 166 | -DO- | MÖHİ RYT | Harsud & Khandwa | 431.475 | 156.753 | 274.722 | 274.722 |
| 3 | 167 | -DO- | MÖHİ MAL | Harsud & Khandwa | 107.108 | 4.158 | 102.950 | 102.950 |
| | 168 | -DO- | NAVALPURA | Harsud & Khandwa | 527.170 | 396.690 | 130.480 | 130.480 |
| | 169 | Command | SAVAL KHEDI RYT | Sirali/Harda | 609.724 | 75.092 | 534.632 | 429.510 |
| | 170 | -DO- | KOTHAMI | Sirali/Harda | 458.223 | 323.429 | 134.794 | 126.794 |
| | 171 | -DO- | LAFANG DHÄNA | Sirali/Harda | 292.936 | 89.132 | 203.804 | 203.804 |
| 4 | 172 | -DO- | BHIMPURA | Sirali/Harda | 746.159 | 541.016 | 205.143 | 201.143 |
| | 173 | -DO- | Khumbhî dhäna | Khalwa & Khandwa | 480.050 | 67.310 | 412.740 | 412.740 |
| | 174 | -DO- | Khamlay | Khalwa & Khandwa | 511.190 | 94.360 | 416.830 | 416.830 |
| | 175 | -DO- | Tumari | Khalwa & Khandwa | 783.390 | 169.390 | 614.000 | 614.000 |
| 5 | 176 | -DO- | Khari | Khalwa & Khandwa | 551.210 | 50.620 | 500.590 | 500.590 |
| | 177 | -DO- | POKHARNI | Khirkiya & Harda | 1026.266 | 68.215 | 958.051 | 958.051 |
| | 178 | -DO- | CHHIPABAD | Khirkiya & Harda | 1854.828 | 143.746 | 1711.082 | 1711.082 |
| | 179 | -DO- | BASAT PURA | Khirkiya & Harda | 344.568 | 13.913 | 330.655 | 279.655 |
| | 180 | -DO- | PAUDWA | Khirkiya & Harda | 673.950 | 63.855 | 610.095 | 250.095 |
| | 181 | -DO- | JARAPUR | Khirkiya & Harda | 575.625 | 13.943 | 561.682 | 171.682 |
| | 182 | -DO- | ATRALIYA | Khirkiya & Harda | 213.808 | 8.596 | 205.212 | 125.212 |
| | 183 | -DO- | KALDHAD | Khirkiya & Harda | 513.262 | 50.321 | 462.941 | 382.941 |
| | 184 | -DO- | HATHNORI | Khirkiya & Harda | 88.080 | 2.611 | 85.469 | 64.469 |
| | 185 | -DO- | CHARUWA | Khirkiya & Harda | 26.761 | 20.181 | 6.580 | 6.580 |
| | 186 | -DO- | HARIPURAMAL | Khirkiya & Harda | 292.897 | 47.568 | 245.329 | 159.329 |
| | 187 | -DO- | Pipliya,Bhaat | Khirkiya & Harda | 370.062 | 29.626 | 340.436 | 340.436 |
| 6 | 188 | -DO- | MAHTYA KHEDI | Khirkiya & Harda | 198.008 | 5.484 | 192.524 | 98.524 |
| | 189 | Command | NISANIYA MAL | Harsud & Khandwa | 1014.610 | 109.400 | 905.210 | 905.210 |
| | 190 | -DO- | RAMPUR RYT | Harsud & Khandwa | 1042.220 | 165.390 | 876.830 | 876.830 |
| | 191 | -DO- | TORNIYA RYT | Harsud & Khandwa | 895.400 | 96.740 | 798.660 | 798.660 |
| | 192 | -DO- | CHHIPURA | Harsud & Khandwa | 424.510 | 58.690 | 365.820 | 365.820 |
| | 193 | -DO- | DOT KHEDA | Harsud & Khandwa | 840.504 | 259.185 | 581.319 | 581.319 |

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore

Broad Concept Design and Layout Report

Revisiön 0

24 of 566

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 194 | - DO - | BARUD | Harsud & Khandwa | 932.630 | 328.740 | 603.890 | 603.890 |
| 195 | - DO - | KASRAWAD | Harsud & Khandwa | 857.700 | 544.960 | 312.740 | 312.740 |
| 196 | - DO - | BRAMOGAON | Harsud & Khandwa | 611.770 | 75.940 | 535.830 | 366.550 |
| 197 | - DO - | GONDI KHEDA | Harsud & Khandwa | 637.150 | 589.590 | 47.560 | 47.560 |
| 198 | - DO - | Khirkiya (Thpi) | Khirkiya & Harda | 986.077 | 136.546 | 849.531 | 774.531 |
| 199 | - DO - | Choukadi | Khirkiya & Harda | 1408.757 | 89.728 | 1319.029 | 824.029 |
| 200 | - DO - | Ledhiya Khedi | Khirkiya & Harda | 357.845 | 20.902 | 336.943 | 136.943 |
| 201 | - DO - | Golpurak | Khirkiya & Harda | 130.518 | 3.205 | 127.313 | 127.313 |
| | | TOTAL | | 101839.807 | 20016.198 | 81823.609 | 6410.643 |

For NEC-PEDIV



(Authorised signatory)

| | |
|--|---|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT |
| Contractor : M/S NEC-PEL (IV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report Revision 0 |

25 of 586

Table 2.0. PUMP HEAD AND POWER CALCULATIONS:

| Power calculation for MORAND COMMAND (PH1 to Morand Command): SCHEME-1 | | | |
|--|-------|---------|------------------------------------|
| Item | Unit | Value | Remarks |
| Low water level | m | 352 | |
| Ground level (m) | m | 372 | |
| Pump Floor level (m) | m | 373 | |
| Highest level in command area (m) | m | 362 | |
| Static head | m | 10 | |
| Headlosses including minor losses | m | 13.7 | |
| Residual head at 20Ha chak | m | 26.3 | |
| Total Head (H) | m | 50.03 | |
| Discharge (Q) | m³/hr | 23297 | For Area of 18490 Ha CCA |
| Pump Efficiency (Eff) | % | 88 | Minimum as per Tender |
| Motor Efficiency (Eff) | % | 95.5 | Minimum as per Tender |
| Power calculations | | | |
| Formula | | | |
| $P(Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$ | | | |
| $P(Kw) = (23297 * 50) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$ | | | Calculated with comb eff of 84.04% |
| Total power | Kw | 3792.15 | |
| Total power | MW | 3.792 | |

| Power calculation for GANJAL COMMAND (PH2 to Delivery Chamber): RISING MAIN 1 | | | |
|---|-------|---------|------------------------------------|
| Item | Unit | Value | Remarks |
| Low water level | m | 355.4 | |
| Ground level (m) | m | 362 | |
| Pump Floor level (m) | m | 363 | |
| Highest level in command area (m) | m | 383 | |
| Static head | m | 27.6 | |
| Headlosses including minor losses | m | 3.4 | |
| Residual head at 20Ha chak | m | 0 | |
| Total Head (H) | m | 31.0 | |
| Discharge (Q) | m³/hr | 21051 | For Area of 16707 Ha CCA |
| Pump Efficiency (Eff) | % | 88 | Minimum as per Tender |
| Motor Efficiency (Eff) | % | 95.5 | Minimum as per Tender |
| Power calculations | | | |
| Formula | | | |
| $P(Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$ | | | |
| $P(Kw) = (21051 * 31) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$ | | | Calculated with comb eff of 84.04% |
| Total power | Kw | 2114.67 | |
| Total power | MW | 2.115 | |

| | | |
|--|---|--|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor : M/S NEC-PCL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report Revision 0 26 of 566 | |

| Power calculation for GANJAL COMMAND (PH2 to GANJAL Command): SCHEME -2: | | | |
|--|-------|---------|------------------------------------|
| Item | Unit | Value | Remarks |
| Low water level | m | 355.4 | |
| Ground level (m) | m | 362 | |
| Pump Floor level (m) | m | 363 | |
| Highest level in command area (m) | m | 363 | |
| Static head | m | 7.6 | |
| Headlosses including minor losses | m | 36.4 | |
| Residual head at 20Ha chak | m | 27 ✓ | |
| Total Head (H) | m | 71.0 | |
| Discharge (Q) | m³/hr | 5922 | For Area of 4700 Ha CCA |
| Pump Efficiency (Eff) | % | 88 | Minimum as per Tender |
| Motor Efficiency (Eff) | % | 95.5 | Minimum as per Tender |
| Power calculations | | | |
| Formula | | | |
| $P_{(Kw)} = (Q * H) / (367.2 * Eff)$ | | | |
| $P_{(Kw)} = (5922 * 71) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$ | | | Calculated with comb eff of 84.04% |
| Total power | Kw | 1362.50 | |
| Total power | MW | 1.363 | |

| Power calculation for GANJAL COMMAND (PH3 to GANJAL Command): SCHEME-4: | | | |
|---|-------|-------------|------------------------------------|
| Item | Unit | Value | Remarks |
| Low water level | m | 348 | |
| Ground level (m) | m | 350 | |
| Pump Floor level (m) | m | 351 | |
| Highest level in command area (m) | m | (348) 324 | |
| Static head | m | 0 | |
| Headlosses including minor losses | m | 24.29 ✓ | |
| Residual head at 20Ha chak | m | 27.1 26.5 ✓ | |
| Total Head (H) | m | 27.0 ✓ | |
| Discharge (Q) | m³/hr | 11800 | For Area of 9365 Ha CCA ✓ |
| Pump Efficiency (Eff) | % | 88 | Minimum as per Tender |
| Motor Efficiency (Eff) | % | 95.5 | Minimum as per Tender |
| Power calculations | | | |
| Formula | | | |
| $P_{(Kw)} = (Q * H) / (367.2 * Eff)$ | | | |
| $P_{(Kw)} = (11800 * 27) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$ | | | Calculated with comb eff of 84.04% |
| Total power | Kw | 1032.41 | |
| Total power | MW | 1.032 ✓ | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA) | MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT | |
| Contractor: M/S NEG-PEL (JV), Indore | Broad Concept Design and Layout Report | |
| | Revision 0 | 27 of 566 |

Power calculation for GANJAL COMMAND (PH3 to GANJAL Command): SCHEME-5:

| Item | Unit | Value | Remarks |
|---|-------|---------|-------------------------------------|
| Low water level | m | 348 | |
| Ground level (m) | m | 350 | |
| Pump Floor level (m) | m | 351 | |
| Highest level in command area (m) | m | 360 | |
| Static head | m | 12 | |
| Headlosses Including minor losses | m | 16.5 | |
| Residual head at 20Ha chak | m | 27 | |
| Total Head (H) | m | 55.5 | |
| Discharge (Q) | m³/hr | 6056 | For Area of 4806 Ha CCA |
| Pump Efficiency (Eff) | % | 88 | Minimum as per Tender |
| Motor Efficiency (Eff) | % | 95.5 | Minimum as per Tender |
| Power calculations | | | |
| Formula | | | |
| $P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$ | | | |
| $P (Kw) = (6056 * 55.5) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$ | | | Calculated with comb. eff of 84.04% |
| Total power | Kw | 1089.08 | |
| Total power | MW | 1.089 | |

Power calculation for ISP COMMAND (PH4 to ISP Command): SCHEME -6:

| Item | Unit | Value | Remarks |
|---|-------|---------|-------------------------------------|
| Low water level | m | 247 | |
| Ground level (m) | m | 262 | |
| Pump Floor level (m) | m | 263 | |
| Highest level in command area (m) | m | 300 | |
| Static head | m | 53 | |
| Headlosses including minor losses | m | 11.2 | |
| Residual head at 20Ha chak | m | 26.8 | |
| Total Head (H) | m | 92.0 | |
| Discharge (Q) | m³/hr | 9986 | For Area of 7925 Ha CCA |
| Pump Efficiency (Eff) | % | 88 | Minimum as per Tender |
| Motor Efficiency (Eff) | % | 95.5 | Minimum as per Tender |
| Power calculations | | | |
| Formula | | | |
| $P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$ | | | |
| $P (Kw) = (9986 * 92) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$ | | | Calculated with comb. eff of 84.04% |
| Total power | Kw | 2976.93 | |
| Total power | MW | 2.977 | |

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Contractor: M/S. NEC-PEL (JV), Indore

Broad Concept Design and Layout Report

Revision 0

28 of 566

Power calculation for ISP COMMAND (PH4 to ISP Command): SCHEME-7:

| Item | Unit | Value | Remarks |
|---|-------|---------|------------------------------------|
| Low water level | m | 247 | |
| Ground level (m) | m | 262 | |
| Pump Floor level (m) | m | 263 | |
| Highest level in command area (m) | m | 297 | |
| Static head | m | 50 | |
| Headlosses including minor losses | m | 13 | |
| Residual head at 20Ha chak | m | 29 | |
| Total Head (H) | m | 92.0 | |
| Discharge (Q) | m³/hr | 6565 | For Area of 5210 Ha CCA |
| Pump Efficiency (Eff) | % | 88 | Minimum as per Tender |
| Motor Efficiency (Eff) | % | 95.5 | Minimum as per Tender |
| Power calculations | | | |
| Formula | | | |
| $P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$ | | | |
| $P (Kw) = (6565 * 92) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$ | | | Calculated with comb eff of 84.04% |
| Total power | Kw | 1957.07 | |
| Total power | MW | 1.957 | |

Power calculation for ISP COMMAND (PH4 to ISP Command): SCHEME-8:

| Item | Unit | Value | Remarks |
|---|-------|---------|------------------------------------|
| Low water level | m | 247 | |
| Ground level (m) | m | 262 | |
| Pump Floor level (m) | m | 263 | |
| Highest level in command area (m) | m | 300 | |
| Static head | m | 53 | |
| Headlosses including minor losses | m | 24 | |
| Residual head at 20Ha chak | m | 27 | |
| Total Head (H) | m | 104.0 | |
| Discharge (Q) | m³/hr | 13961 | For Area of 11080 Ha CCA |
| Pump Efficiency (Eff) | % | 88 | Minimum as per Tender |
| Motor Efficiency (Eff) | % | 95.5 | Minimum as per Tender |
| Power calculations | | | |
| Formula | | | |
| $P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$ | | | |
| $P (Kw) = (13961 * 104) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$ | | | Calculated with comb eff of 84.04% |
| Total power | Kw | 4704.95 | |
| Total power | MW | 4.705 | |

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore

Broad Concept Design and Layout Report

Revision 0 # 29 of 566

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
सी—ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003**

:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

आदेश क्रं./एफ-३/16/2018/10-11/53

भोपाल, दिनांक ३-१०-२३

कार्यालयीन आदेश क्रं./एफ-३/16/2018/10-11/41, दिनांक 07.08.2023 “मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना” के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति से संबंधित है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1180 दिनांक 23. 09.2023 से वर्तमान दर पर पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गाईड लाईन के अनुक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र० भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-३/2019/10-11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 05.05.2021 अनुसार प्राप्त संशोधित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार कार्यों पर प्रदान की जाती है :—

| परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यों का विवरण | | |
|---|--|----------------|
| क्रं. | प्रस्तावित कार्य | राशि (लाख मे) |
| I | Treatment works under catchment area | |
| 1 | Treatment Works under Non Forest Area | |
| | (i) Biological Measures | 216.57 |
| | (ii) Engineering Measures | 53.47 |
| 2 | Treatment works under Forest Area | |
| | (i) Biological Measures | 5196.02 |
| | (ii) Engineering Measures | 333.84 |
| | Sub Total (i)= | 5799.90 |
| II | Work Cost | |
| 1 | Preparation of watershed project reports (0.2% of (i)) | 11.59 |
| 2 | Entry point activity and constitution of watershed committee (0.2% of (i)) | 11.59 |
| 3 | Support to farm production system and micro enterprises (2% of (i)) | 115.98 |
| 4 | Natural Resource Management Activities (2% of (i)) | 115.98 |
| | Sub Total (ii)= | 255.14 |
| | Sub Total (i+ii)= | 6055.04 |

उक्त संशोधित तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगी :—

- परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम द्वारा प्रस्तुत प्रावक्तव्य के प्रस्ताव पर दी जाती है। यदि प्लान मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
- प्रस्तुत प्रावक्तव्य में वनक्षेत्र से बाहर प्रस्तावित कार्यों को आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेंगा एवं वनक्षेत्र में प्रस्तावित कार्य वनविभाग द्वारा किये जावेंगे।
- संबंधित वनमण्डलाधिकारी इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति

ወ/ሮ/ቤት ተደርሱ
 (ቤት-፩) የሚከተሉት ሲሆን ተደርሱ እና ስለዚህ

1. የኢትዮጵያውያን በትኩረት ንግድ ስራውያን (የቅርቡ) አገልግሎት እየደረሰ ተከተለዋል
 2. የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ (ቅርቡ), የቅርቡ የቅርቡ, የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
 3. የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ, (ቅርቡ) የቅርቡ የቅርቡ/ የቅርቡ የቅርቡ/ የቅርቡ የቅርቡ/ የቅርቡ
 4. የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ, የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ, የቅርቡ/ የቅርቡ/ የቅርቡ/ የቅርቡ/ የቅርቡ/ የቅርቡ
 5. የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ, የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ, የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ, የቅርቡ

በፌዴራል የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ

תְּהִלָּה, תְּהִלָּה - 15 - 23
 תְּהִלָּה, תְּהִלָּה
 תְּהִלָּה, תְּהִלָּה
 תְּהִלָּה, תְּהִלָּה (תְּהִלָּה)

4. ተዕይነት የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል / የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል |

5. የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል / የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል |

6. የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል / የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል |

7. የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል / የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል |

8. የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል / የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል |

9. የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል / የሚከተሉት የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስራውን አጭር የሚያስፈልግ ይችላል |

न्यायालय कलेकटर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0028/अ-20(3)/2021-22



आदेश

(दिनांक 24/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग भंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2049-सात -शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 20 कुल रक्कड़ा 228.81.34 में से 62.86 है भूमि भोरड गजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वेकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अकित तथा के सबूध में जाच उपर्युक्त अधिकारी सुसनेर-नेलखेड़ा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई। तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08/09/2021 में उल्लेख किया कि भोरड गजाल संयुक्त सिचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षातिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 11 कुल रक्कड़ा 70.86 में से 62.86 भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें भाक पर भूमि पड़ती व अतिकम्पण मुक्त थाई गड़ी व ग्राम का कुल भोगोलिक दोनोंपार 1049.46 हेक्टेयर है जिसके दो प्रतिशत रक्कड़ा निरस्ता गोचर भूमि आरक्षण हेतु रक्कड़ा 20.98 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है तथा वर्तमान में चरनोड गोचर भूमि का रक्कड़ा 353.25 हेक्टेयर अभिलेख में अकित है इसलिए यदि उक्त भूमि आवहित की जाती है तो चरनोड के दो प्रतिशत रक्कड़ा प्रभावित नहीं होगा। पद्मा व ग्राम पर्यायत सरपंच दवारा भूमि आवंटित करने में मोखिक असहमती भी जताई है तथा उक्त भूमि आवंटन नहीं करना हेतु आपति पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 11 कुल रक्कड़ा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर गेर वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

| क्रमांक | सर्वे नम्बर | रक्कड़ा है | आवंटित रक्कड़ा भूमि | भूमि नामांयता |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 18 | 103 | 10.11 | चरनोड |
| 2 | 190 | 10500 | 10.500 | चरनोड |
| 3 | 193 | 20400 | 20.00 | गरमुमाकिना |
| 4 | 196 | 1440 | 10.00 | चरनोड |
| 5 | 188 | 0.200 | 0.200 | नाला |
| 6 | 189 | 2700 | 2.700 | चरनोड |
| 7 | 190 | 0.210 | 0.210 | नाला |
| 8 | 191 | 2550 | 2.550 | चरनोड |
| 9 | 192 | 0.160 | 0.160 | नाला |
| 10 | 195 | 9.000 | 6.000 | चरनोड |
| 11 | 194 | 0.600 | 0.400 | नाला |
| कुल किता 11 | | कुल रक्कड़ा 70.860 | 62.860 | |

3/ अंतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल कित्ता 11 कुल रक्का 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर वैर बन भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जेन ने पत्र क्रमांक 1653/नग्नानि/अभिमत/2021 उज्जेन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर में स्थित सर्वे क्रमांक 08, 11, 193, 196, 188, 189, 190, 191, 192, 194 एवं 195 कुल कित्ता 11 कुल रक्का 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि आवंटन नगर तथा ग्राम निवेश आधिकारीम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं हांकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अंत उक्त भूमि को नियमानुसार आवंटन गताल संयुक्त सिचार्ड परियोजना से प्रभावित बन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गत बन भूमि आवंटन किया जाता है। तो इस कार्यालय को कोइ आपति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अधिकरण जिला आगरा मालवा ने पत्र क्रमांक /ड़ा/2021/916 आगरा मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 193 रक्का 20.4 में से 20.00, सर्वे क्रमांक 196 रक्का 14.40 में से 10.00 हैं सर्वे क्रमांक 10.11 हैं सर्वे क्रमांक 11 रक्का 10.5, सर्वे क्रमांक 188 रक्का 0.20, सर्वे क्रमांक 189 रक्का 2.70, सर्वे क्रमांक 190 रक्का 0.24, सर्वे क्रमांक 191 रक्का 2.55, सर्वे क्रमांक 192 रक्का 0.16, सर्वे क्रमांक 195 रक्का 9.00 में से 6.00 भूमि सर्वे क्रमांक 194 रक्का 0.60 में से 0.40 कुल कित्ता 11 कुल रक्का 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि को नागर पालिका क्षेत्र की नहीं होके से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती हो तो इस कार्यालय को कोइ आपति नहीं है।

6/ जिला नज़ूल द्विवेदी समिति की बैठक दिनांक 17.09.2021 को वर्चुअल गुगल मीट के माध्यम से आनंदाइन आयोजित की गयी। जिसमें ग्राम गंडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल कित्ता 11 कुल रक्का 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बन विभाग का आवंटित किये जाने का निर्णय सरकारी समिति से लिया गया।

7/ अंत, जिला नज़ूल निवर्तन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन को अनुशंसा किया जाने, अनुचिताधीय ग्रामीणीय (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शाशकीय भूमि सर्वे क्रमांक 193 रक्का 20.4 में से 20.00, सर्वे क्रमांक 196 रक्का 14.40 में से 10.00 हैं सर्वे क्रमांक 8 रक्का 10.11 हैं सर्वे क्रमांक 11 रक्का 10.5, सर्वे क्रमांक 188 रक्का 0.20, सर्वे क्रमांक 189 रक्का 2.70, सर्वे क्रमांक 190 रक्का 0.24, सर्वे क्रमांक 191 रक्का 2.55, सर्वे क्रमांक 192 रक्का 0.16, सर्वे क्रमांक 195 रक्का 9.00 में से 6.00 भूमि सर्वे क्रमांक 194 रक्का 0.60 में से 0.40 कुल कित्ता 11 कुल रक्का 70.86 में से 62.86

हेकटेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्दमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटिं भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगेर किसी सूचना के पूर्वत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह ओदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं प्रद्युम्न संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शूल्यता हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसन्नर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्ट अभिलेख में अंकित करावे तथा खासरानकल तत्काल इस न्यायालय का भिजवाये।

(अवधार शमा)

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

आगर-मालवा, दिनांक २५ निसंवर, 2021

क्रमांक/रोडा/2021/३७५

प्रतिलिपि:-

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सुख्य अभियान, इटिरा जागरण परियोजना (नहर) संचालक, जिला सरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. अनुग्रहांगीय औदिकारी (राजस्व) सुसन्नर बलेखड़ा।
4. अधीक्षक, अभिलेख जिला आगर-मालवा।
5. तहसीलदार सुसन्नर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खासरानकल तत्काल इस न्यायालय का भिजवाये।

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर अगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0029/अ-20(3)/2021-22



(दिनांक २१/०९/२०२१ को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गरड़ा तहसील सुसन्नेर की शासकीय भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 148.34 में से 93.38 हैं भूमि मोरड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षांरोपण हतु वन विभाग को हस्तातिरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जाच उपर्युक्त अधिकारी सुसन्नेर-नलखेड़ा तथा तहसीलदार सुसन्नेर से करवाई गई। तहसीलदार सुसन्नेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2021 में उल्लेख किया कि मोरड गंजाल संयुक्त सिद्धांत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले संक्षिप्तरूप वृक्षांरोपण हतु जाच मोजा पटवारी द्वारा करवाई गई। पटवारी ने मोका पचनामों से उल्लेख किया कि मोका देखा गया आविदित सभी भूमि सर्व नम्बर की भूमि माझे पर पड़ता एवं खुली हुड़ पायी गयी साथ ही संख. नं. 292/2 रकबा 77.16 है भाम पर से पक्की सड़क ग्राम गरड़ा से डॉगरगाव तहसील सुसन्नेर की ओर बनी है। अभिलेख अनुसार ग्राम का कुल भौगोलिक रकबे का दो प्रतिशत प्रस्तावित आवंटित भूमि उपरांत वर्तमान अभिलेख अनुसार ग्राम का दो प्रतिशत चरनोड़ का रकबा प्रभावित नहीं होता है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 02 में ग्राम पंचायत द्वारा अनापति दर्शाई गई है। ग्राम गरड़ा तहसील सुसन्नेर की शासकीय भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 93.38 हैक्टेयर वृक्षांरोपण गेर वन भूमि की जानकारी निम्नलिखित है-

| क्रमांक | सर्व नम्बर | रकबा (ह.) | आविदित रकबा भूमि (ह.) | भूमि नोडियत |
|-------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 292/2 | 77.16 | 36.00 | डॉगरगाव-चारगाह |
| 2 | 311 | 8.26 | 8.26 | वन हतु |
| 3 | 304/1 | 18.87 | 18.87 | काका नाम |
| 4 | 304/3 | 13.88 | 13.28 | चारगाह |
| 5 | 305 | 0.18 | 0.18 | नाला |
| 6 | 308 | 0.40 | 0.40 | नाला |
| 7 | 309 | 0.97 | 0.97 | नाला |
| 8 | 310 | 0.42 | 0.42 | नाला |
| 9 | 219 | 128.80 | 75.00 | बड़ा चरनोड़ पंचवन |
| कुल किता 09 | | कुल रकबा 148.34 | 93.38 | |

3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 93.38 हेक्टेयर भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक : नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पञ्च क्रमांक 1652/नग्नानि/अभियान/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम गरडा तहसील सुसनेर में स्थित सर्वे क्रमांक 292/2, 311, 304/1, 305, 309, 308, 310, 219 एवं 304/3 कुल रकबा में से 93.38 हे. भूमि बम.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मोरंड गंजाल संयुक्त सिवाइ परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गंज वन भूमि आवटन किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी : जिला शहरी विकास अभियान निवेश आगर मालवा ने पञ्च क्रमांक 1652/914 आगर मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 292/2 रकबा 77.16 में से 36.00, सर्वे क्रमांक 304/1 रकबा 18.87, सर्वे क्रमांक 304/3 रकबा 13.88 में से 13.28, सर्वे क्रमांक 305 रकबा 0.18, सर्वे क्रमांक 308 रकबा 0.40, सर्वे क्रमांक 309 रकबा 0.97, सर्वे क्रमांक 310 रकबा 0.42, सर्वे क्रमांक 311 रकबा 18.26, सर्वे क्रमांक 219 रकबा 28.80 में से 15.00 कुल किता 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है। भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से यह भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ जिला नज़र-निवर्तन समिति की वेठक दिनांक 17.09.2021 को वडुआला गुगल बीट के माध्यम से अनानदार्ड आयोजित की गयी जिसमें ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निषय स्वरूपन्नति से लिया गया।

7/ ग्राम जिला नज़र-निवर्तन योगिति की वेठक में उक्त भूमि आवटन की अनुशासा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम गरडा तहसील ग्रामीण भूमि वर्ग क्रमांक 292/2 रकबा 77.16 में से 36.00, सर्वे क्रमांक 304/1 रकबा 18.87, सर्वे क्रमांक 304/3 रकबा 13.88 में से 13.28, सर्वे क्रमांक 305 रकबा 0.18, सर्वे क्रमांक 308 रकबा 0.40, सर्वे क्रमांक 309 रकबा 0.97, सर्वे क्रमांक 310 रकबा 0.42, सर्वे क्रमांक 311 रकबा 18.26, सर्वे क्रमांक 219 रकबा 28.80 में से 15.00 कुल किता 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि को मध्य पटेश भू-राजस्व सहित 1959 की द्यारा 23% के प्रावधान

के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम, किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मंद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर, निर्माण के समय जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करके तथा खसरा नक्ल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

(अधिकारी शर्मा)

कलेक्टर
जिला आगरा-मालवा (म.प.)

आगरा-मालवा, दिनांक 11 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि

1. चन्नमडलाधिकारी, चन्नमडल जिला शाजपार की ओर सचिवालय प्रेषित।
2. मुख्य अधिकारी, डॉटरा सागर परियाजना (नहर) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुसनेर नक्लखड़ा।
4. अधीक्षक भ्रात्रिभिलेख, जिला आगरा-मालवा।
5. जहांजिदार, गुरानगर, गोरा भिलपार एवं हिकी भाटी राजस्व आभिलेख में अमेल कराये तथा खसरा नक्ल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला आगरा-मालवा (म.प.)

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0030/अ-20(3)/2021-22



आदेश

(दिनांक 24/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मन्त्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-साँत-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावंधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम डॉगरगाव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 133.32 में से 33.98 है भूमि मोरड गजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के सबूथ में जारी उपर्युक्त अधिकारी सुसनेर नलखडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाड़ गड़ी तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08/09/2021 में उल्लेख किया कि मोरड गजाल संयुक्त सेचाड़ परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षातिपरक वृक्षारोपण हेतु जाल भूमि मोरड पर पड़ते वरिकत तथा नाला है। ग्राम का कुल आगोलिक छेत्रफल 451.56 हक्टेयर है जिसके दो प्रतिशत रकबा निस्तार भूमि आरक्षण हेतु रकबा 9.03 है भूमि का आवश्यकता है तथा वर्तमान में चरनोड गोचर भाग का रकबा 192.18 हक्टेयर अभियान में अंकित है इसलिए यदि उक्त भूमि आवंटित की जाती है तो चरनोड का दो प्रतिशत रकबा प्रभावित नहीं होगा। ग्राम पद्धायत का पर्याप्त वन भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हक्टेयर वृक्षारोपण ग्राम वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

| क्रमांक | सर्व नम्बर | रकबा (ह.) | आवंटित एक्टवा भूमि (ह.) | भूमि नाइयत |
|-------------|------------|----------------|-------------------------|------------|
| 1 | 461 | 9.55 | 9.55 | बड़ा चरनोड |
| 2 | 462 | 5.60 | 5.60 | बड़ी चरनोड |
| 3 | 463 | 3.06 | 3.06 | बड़ा चरनोड |
| 4 | 468 | 11.01 | 11.01 | बड़ा चरनोड |
| 5 | 464 | 0.04 | 0.04 | नाला |
| 6 | 465 | 3.63 | 3.63 | बड़ा चरनोड |
| 7 | 466 | 0.04 | 0.04 | नाला |
| 8 | 467 | 1.05 | 1.05 | बड़ी चरनोड |
| कुल किता 08 | | कुल रकबा 33.98 | 33.98 | |

3/ अतः ग्राम पटवारी की जिपार्ट सम्मत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम डॉगरगाव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हक्टेयर भूमि मोरड गजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन

अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस व्यायालंब्य को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1654/नग्नानि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम डाँगरगाव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467 एवं 468 कुल रक्कड़ा 33.98 भूमि मं.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अनुरूप गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अनुरूप नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मारड गजाल संयुक्त विभाइ परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वेकल्पिक वक्षारोपण के लिए उक्त ग्रेर वन भूमि आवटन किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभियान उज्जैन आगर मालवा ने पत्र क्रमांक /इडा/2021/914 आगर मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम डाँगरगाव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461 रक्कड़ा 9.55, सर्वे क्रमांक 462 रक्कड़ा 5.60, सर्वे क्रमांक 463 रक्कड़ा 3.06, सर्वे क्रमांक 464 रक्कड़ा 0.04, सर्वे क्रमांक 465 रक्कड़ा 3.63, सर्वे क्रमांक 466 रक्कड़ा 0.04, सर्वे क्रमांक 467 रक्कड़ा 1.05, सर्वे क्रमांक 468 रक्कड़ा 11.01 कुल कित्ता 8 कुल रक्कड़ा 33.98 हेक्टेयर भूमि को वेकल्पिक वक्षारोपण हेतु की गयी है। उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से योदि भूमि वेकल्पिक वक्षारोपण हेतु आवटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ उज्जैन नजल निवेशन समिति की बठक दिनांक 17.09.2021 को हवचुअल गुगल माट के माध्यम से आनलाइन जायोजित की गयी। जिसमें ग्राम डाँगरगाव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल कित्ता 8 कुल रक्कड़ा 33.98 हेक्टेयर भूमि को वेकल्पिक वक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मत सम्लिया गया।

7/ अतः उज्जैन नजल निवेशन समिति की बठक में उक्त भूमि आवटन की अनुशंसा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति होते हुए ग्राम डाँगरगाव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461 रक्कड़ा 9.55, सर्वे क्रमांक 462 रक्कड़ा 5.60, सर्वे क्रमांक 463 रक्कड़ा 3.06, सर्वे क्रमांक 464 रक्कड़ा 0.04, सर्वे क्रमांक 465 रक्कड़ा 3.63, सर्वे क्रमांक 466 रक्कड़ा 0.04, सर्वे क्रमांक 467 रक्कड़ा 1.05, सर्वे क्रमांक 468 रक्कड़ा 11.01 कुल कित्ता 8 कुल रक्कड़ा 33.98 हेक्टेयर भूमि को मध्य पटेश भूरजस्व सहित 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वतमान पर्याजन प्रक्रम किया जाकर वेकल्पिक वक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्य पटेश नजूल भूमि निवेशन निर्देश 2020 के निर्देश 8(7) तथा मध्य पटेश नजल भूमि निवेशन निर्देश 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के नियमानुसार शेतों के साथ हस्तातित की जाती है।



- विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
- विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आवंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगेर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
- भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

- 8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा खेतरा नक्कल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

(अद्वैत शर्मा)

कलंकदर
विस्ता अन्तर-प्रतिवाद (प.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/36।

आगर मालवा, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि

- वनमडलाधिकारी, वनमडल जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य अधिकारी, इदिरा सागर परियोजना (नक्कल) स्नावट जिला खेतरान को ओर सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुसनेर नलखडा।
- अधीकारी, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा।
- तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जायेगा।

कलंकदर

विस्ता अन्तर-प्रतिवाद (प.प्र.)



न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0031/अ-20(3)/2021-22

(दिनांक 21/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात -शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बीड़ माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 20 कुल रकबा 147.55 में से 85.06 है। भूमि मोर्ड गजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तातिरित किया जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में जाच ३प्रखण्ड अधिकारी सुसनेर-नलखेड़ा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई। तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08/09/2021 में उल्लेख किया कि मोर्ड गजाल संयुक्त सिचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बीड़ माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हैवट्यर भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें मोर्ड पर भूमि पड़ती त्रिअतिक्रमण मुक्त-पाई गई व ग्राम का कुल आवालिक क्षेत्रफल अनुसार चरनाड़ी को दो प्रतिशत रकबा भूमि आवेदन में प्रभावित नहीं होता है। पचों व ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भूमि का आवित्त करने में मोर्डिक असहमती भी जताई गई। ग्राम बीड़ माधोपुर तहसील सुसनेर में वृक्षारोपण हेतु ग्राम वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

| क्रमांक | संवेदनम् नंबर | रकबा है | आवित्त रकबा भूमि (रु.) | भूमि नाइयत |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 16 | 5.65 | 3.00 | ग्राम मुमकिन बड़ी |
| 2 | 35 | 2.51 | 2.51 | बीड़ |
| 3 | 51 | 1.09 | 1.09 | चरनाड़ी |
| 4 | 58 | 13.47 | 12.00 | बीड़ |
| 5 | 60 | 6.74 | 6.00 | ग्राम मुमकिन बड़ी |
| 6 | 90 | 10.98 | 10.00 | ग्राम मुमकिन बड़ी |
| 7 | 92 | 10.22 | 10.00 | ग्राम मुमकिन बड़ी |
| 8 | 99 | 7.31 | 7.00 | ग्राम मुमकिन बड़ी |
| 9 | 213 | 1.05 | 1.05 | बीड़ |
| 10 | 215 | 10.39 | 9.00 | बीड़ |
| 11 | 193 | 5.80 | 15.20 | चरनाड़ी |
| 12 | 34 | 37.21 | 18.21 | बीड़ |
| कुल किता 12 | | कुल रकबा 112.42 | 85.06 | |

(2)

प्रकरण क्रमांक 0031/अ-20(3)/2021-22



- 3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम बीड माध्योपर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 11242 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने देते प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति द्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।
- 4/ संयुक्त सचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1655/नग्नानि/अभिमती/2021 उज्जैन, दिनांक 26/07/2021 में उल्लेख किया कि ग्राम बीड माध्योपर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्व क्रमांक 16, 35, 34, 151, 158, 160, 190, 192, 193, 199, 213 एवं 215 कुल रकबा 85.06 है, भूमि भ.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र से आती है। अतः उक्त भूमि का नियमानुसार मारड गंजाल संयुक्त सिचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त वीर वन भूमि आवंटन किया जाता है। तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
- 5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभियान जिला आगर मालवा ने पत्र क्रमांक 1/21/2021/914 आगर मालवा दिनांक 28/07/2021 में उल्लेख किया कि ग्राम बीड माध्योपर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्व क्रमांक 16 रकबा 5.65 में से 3.00 है, सर्व क्रमांक 35 रकबा 2.51, सर्व क्रमांक 34 रकबा 37.21 रकबा 18.21, सर्व क्रमांक 151 रकबा 1.09, सर्व क्रमांक 158 रकबा 13.47 में से 12.00 है, सर्व क्रमांक 160 रकबा 6.740 में से 6.00 है, सर्व क्रमांक 190 रकबा 10.98 में से 10.00 है, सर्व क्रमांक 192 रकबा 10.22 में से 10.00 है, सर्व क्रमांक 199 रकबा 7.31 में से 7.00, सर्व क्रमांक 213 रकबा 1.05, सर्व क्रमांक 215 रकबा 10.39 में से 9.00, सर्व क्रमांक 193 रकबा 5.80 में से 5.20 है तुले किता 12 कुल रकबा 11242 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि की मारड वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है। भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं है। से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
- 6/ जिला नज़्रल निवर्तन समिति की बठक दिनांक 17/09/2021 को वडुमल गंगल मीठ के माध्यम से अनलाइन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम बीड माध्योपर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 11242 में 85.06 हेक्टेयर भूमि का वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निपाय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 7/ अतः जिला नज़्रल निवर्तन समिति की बठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेड़ा एवं तहसीलदार सुसनेर के पात्रवदन से सहमत होते हुए ग्राम बीड माध्योपर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्व क्रमांक 16 रकबा 5.65 में से 3.00 है, सर्व क्रमांक 35 रकबा 2.51, सर्व क्रमांक 34 रकबा 37.21 रकबा 18.21, सर्व क्रमांक 151 रकबा 1.09, सर्व क्रमांक 158 रकबा 13.47 में से 12.00 है, सर्व क्रमांक 160 रकबा 6.740 में से 6.00 है, सर्व क्रमांक 190 रकबा 10.98 में से 10.00 है, सर्व क्रमांक 192 रकबा 10.22 में से 10.00 है, सर्व क्रमांक



199 रक्कमा 7.31 में से 7.00 , सर्वे क्रमांक 213 रक्कमा 1.05 , सर्वे क्रमांक 215 रक्कमा 10.39 में से 9.00 , सर्वे क्रमांक 193 रक्कमा 5.80 में से 5.20 हैं कुल किता 12 कुल रक्कमा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नज़ूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नज़ूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तंथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगा।
 2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आवंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत् शासन मद्देह दर्ज कर लिया जावेगा।
 3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाना की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त भूमि जावेगा।
 4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवधान एवं प्रयोक्तुण सरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।
- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शूल्यवत् हो जावेगा।
- 8/ तहसीलदार सुसन्देश की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्राविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा खसरा नक्त तत्काल इस न्यायालय को भेजवाया।

(अवधारणा)

कलेक्टर

जिला अमरनाथगढ़ (भ.प्र.)

जिला आगर मालवा भ.प्र.

क्रमांक/रोडर/2021/368

आगर मालवा दिनांक २१ सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1. वन्मेडलोधिकारी, वन्मेडल जिला शिवायुक्त की ओर सूचनार्थ प्रसिद्धि।
2. मुख्य अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) समावद जिला खुरगोला की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसन्दर - नलखडा।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा।
5. तहसीलदार सुसन्दर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमाल कराये तंथा खसरा नक्त तत्काल इस न्यायालय को भेजवाया।

कलेक्टर

जिला अमरनाथगढ़ (भ.प्र.)

जिला आगर मालवा भ.प्र.

कार्यालय कलेक्टर मु—अभिलेख जबलपुर

मुद्राक १५८/जन्मा/२०१९
माति:

प्रबंधन संचयन १८/०२/२०१९

उपायका:

नगरदो घाटी विभास प्राधिकरण
५९ नगरदा स्कॉल, अरला हिल्स जल रोड
मोपाल-गव्यपदेश।

नाम विवरण विभास प्राधिकरण का एक विभास है जो बहुत से विभिन्न विभासों का एक समूह है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है।

लक्ष्य कार्यालय प्राधिकरण का एक विभास है जो बहुत से विभिन्न विभासों का एक समूह है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है।

मुख्य विभास प्राधिकरण का एक विभास है जो बहुत से विभिन्न विभासों का एक समूह है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है। इसका कार्यालय नगरदा स्कॉल के निकट स्थित है।

अत्रिव्यागीव अधिकारी हुए एवं नियमित विभास १७० छोड़ दी गई। अत्रिव्यागीव अधिकारी हुए एवं नियमित विभास १७० छोड़ दी गई। अत्रिव्यागीव अधिकारी हुए एवं नियमित विभास १७० छोड़ दी गई। अत्रिव्यागीव अधिकारी हुए एवं नियमित विभास १७० छोड़ दी गई। अत्रिव्यागीव अधिकारी हुए एवं नियमित विभास १७० छोड़ दी गई। अत्रिव्यागीव अधिकारी हुए एवं नियमित विभास १७० छोड़ दी गई।

| संहिता नं. | संहिता नं. | संहिता नं. | संहिता नं. | संहिता नं. |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| १३४ | १३५ | १३६ | १३७ | १३८ |
| १३९ | १४० | १४१ | १४२ | १४३ |
| १४४ | १४५ | १४६ | १४७ | १४८ |
| १४९ | १५० | १५१ | १५२ | १५३ |

प्रबंधन संचयन
जिला—जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर(भू-अभिलेख) जिला बैतूल (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक:- /एल.आर.2/भू.अभि./2018/ 1707

बैतूल, दिनांक 25/9/2018

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23 नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल के पत्र क्रमांक:- 2679/तक/मो.-गं/का.यं.-23/2018-19, दिनांक 19-9-2018 द्वारा, नर्मदा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित मोराप्पड-गंजाल सिंचाई परियोजना से प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वन विभाग द्वारा तैयार की योजना के अनुसार जिले की निम्नानुसार 662 हेक्टेयर भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है:-

| अ. क्र. | तहसील | ग्राम | ख. नं. | कुल रक्कमा (हेक्टे. में) | मद | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रक्कमा (हेक्टे. में) | रिसार्क (खसरा वर्ष 2017-18 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार स्थिति) |
|---------|----------|-------------|--------|-----------------------------|------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | विद्याली | अटारी | 93/1 | 21.901 | वन | 25.000 | |
| | | अटारी | 115/1 | 24.947 | वन | | |
| | | अटारी | 128/1 | 31.169 | वन | 25.000 | |
| | | अटारी | 131/1 | 38.571 | वन | 25.000 | |
| | | अटारी | 75/1 | 25.479 | वन | 25.000 | |
| | | अटारी | 63 | 1.635 | वन | | |
| | | जोगलीखास | 463 | 27.087 | वन | 25.000 | |
| 2 | भेसदेही | सिंगारचावडी | 1/1/1 | 26.601 | वन | 25.000 | |
| | | सिंगारचावडी | 41/1 | 1.757 | चरनोई | | |
| | | झापल | 31/1 | 26.535 | वन | 20.000 | चालु अपर कल बैतूल के सा. मा. क्र. 07/अ-19(3)/ 17-18 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 द्वारा इस खसरा नदी में से 20.000 हेक्टेयर भूमि वन विभाग का वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उस्तोरित का जारी किया है। |
| | | ठेंगना | 32/1 | 42.778 | बड़े झाड़िका जाल | 20.000 | चालु खसरा के अनुसार वन मद में दर्ज है। |
| | | काबरा | 157/1 | 35.814 | बड़े झाड़िका जाल | 20.000 | चालु खसरा के अनुसार ख.नं. 157/1 के पाँच बटांकन हो चुके हैं। ख.नं. 157/1/व रक्कमा 943 हेक्टे. तथा ख.नं. 157/1 (ख) रक्कमा 0.202 हेक्टे. बड़े झाड़िका जाल मद में दर्ज है। ख.नं. 157/1/ग रक्कमा 5.666 है। ख.नं. 157/1/घ रक्कमा 1.943 है। ख.नं. 157/1/इ रक्कमा 0.809 है। भूमिस्थानी हक्क में दर्ज है। |
| | | आंकी रेयत | 37/1 | 53.62 | घास | 20.000 | चालु खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद में दर्ज है। |
| | | | 38 | 12.995 | महाड | | |
| | | | 42/1 | 20.15 | चरनोई | | चालु खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद में दर्ज है। |

अपर कल कल
बैतूल

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|---------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | .44 | 3.536 | बड़े झाड़ के जंगल | | | |
| | | मोहदा | 142/1 | 16,494 | पहाड़ | 14.000 | |
| ज़िल्हा | ज़िल्हा | 159 | 3.153 | घास | 30.000 | चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद में दर्ज है। | |
| | | 160 | 28.280 | चट्टान | | चालू खसरा में आबादी गाँवठान के साथ चट्टान दर्ज है। | |
| | | 161 | 2.427 | घास | | चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद में दर्ज है। | |
| ज़िल्हा | ज़िल्हा | 152/1 | 113,029 | चट्टान | 30.00 | चालू खसरा में उक्त सर्वे नंबर, बड़े झाड़ का जंगल और चट्टान दर्ज है। | |
| | | 152/2 | 0.901 | घास | | चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद में दर्ज है। | |
| | | 152/4 | 4.16 | घास | | चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद में दर्ज है। | |
| 3 | आमला | हसलपुर | 82/1 | 12,343 | पहाड़ | 10.000 | रक्षाविभाग की व्यवस्था में है। |
| 4 | बैतूल | सेहरा | 412/1 | 12,890 | बड़े झाड़ का जंगल | 10.000 | |
| | | सेहरा | 465 | 15.361 | बड़े झाड़ का जंगल | 10.000 | |
| | | दीवनचारसी | 45 | 11,918 | बड़े झाड़ का जंगल | 10.000 | |
| | | नायकचारसी | 222 | 19,867 | वन | 10.000 | चालू खसरा की कैफियत के अनुसार उक्त सर्वे नंबर चराई के लिए मुकर्रर है। |
| | | कोलगाव | 321/1 | 16,778 | चरनोई | 10.000 | |
| 5 | आमला | लालावाड़ी | 491/1 | 10,218 | चरनोई | 4.000 | |
| | | लालावाड़ी | 598 | 70,144 | चरनोई | 30.000 | |
| | | लालावाड़ी | 666 | 29,985 | चरनोई | 12.000 | |
| | | लालावाड़ी | 668 | 18,487 | चरनोई | 10.000 | |
| | | तिरमह | 830 | 10,878 | वन | 7.000 | |
| 6 | धोड़ागढ़ी | गोषालपुर | 1 | 387,442 | बड़े झाड़ का जंगल | 70.000 | चालू रिकॉर्ड के अनुसार इस सर्वे नंबर में से 134,004 हेक्टेयर 25 प्रमि वन विभाग को वैकल्पिक विकास परियोग होता है ताकि यहाँ जांच की हो। |
| | | गांधीग्राम | 11 | 130,85 | बड़े झाड़ का जंगल | 25.000 | वर्तमान खसरा के अनुसार खसरा नंबर 11/1 रक्कड़ 60,850 हेक्टेयर भौमिकी स्थित है शेष भौमिकी को पूर्व से ही हस्तातिरित की जा चुकी है। |
| | | सूक्खाना | 5/1 | 27,009 | वन | 20.00 | |
| | | शोभापुर | 2/2 | 94,611 | बड़े झाड़ का जंगल | 25.00 | ख. नं. 2/2 में से 1,900 हेक्टेयर का बोरियों व्यक्तियों की वित्ताधिकार पर व्रदाय किये गये हैं। |

ख. नं. 2/2

| | | | | | | |
|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | 2/1 | 29.003 | बड़े झाड़ का जंगल | 20.00 | |
| सूकाढाना | 1 | 12.384 | वन | 10.00 | | |
| पाढ़रा | 414 | 12.145 | वन | 10.00 | | |
| बोडना | 54/1 | 59.229 | वन | 20.00 | | |
| मोरडोंगरी | 320/1 | 61.964 | वन | 25.00 | | |
| चापड़रैयत | 17 | 89.140 | छोटे झाड़ का जंगल | 35.00 | वर्तमान खसरा के अनुसार खसरा नंबर 17/1 रक्का 54.140 हेक्टेयर भूमि ही रिक्त है। | |
| | | | कुल योग | | 662.00 | |

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 23 नर्मदा भवन अरेया हिल्स भौपाल के दिनांक 19-9-2018 द्वारा अवगत कराया गया ह कि, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा मार्च-2017 में की गई थी, परन्तु परियोजना हेतु क्षिप्रकार वनीकरण के लिए भू-आवृत्ति उपलब्ध न होने के कारण भूमि व्यवर्तन (प्रथम घरण) का प्रकरण मंत्रालय को नहीं भेजा जा सका है, जिसके आधार में मंत्रालय द्वारा औपचारिक पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा की वैधता सितम्बर 2018 में समाप्त हो रही है एवं दिनांक 27-9-2018 को मंत्रालय में इस संबंध में बैठक का आयोजन भी किया गया है। उपरोक्तानुसार परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बैतूल जिले में प्रस्तावित 662 हेक्टेयर भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राथिकरण भौपाल को आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार भूमि हस्तांतरण/आरक्षण के संबंध में संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई तत्कालिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्तावित सर्वे नंबर की खसरा प्रति (बाल वर्ष) एवं अधिकार अभिलेख समिलात करवाया गया। राजस्व अभिलेखों के मिलान उपरांत सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में परिस्थिति हेतु वस्तुस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी के कालम नंबर 8 में दर्शाया गया है। आरक्षण हेतु प्रस्तावित छोटे बड़े झाड़ का जंगल मट्ट के खसरा नंबर भी सम्मिलित होने के कारण उक्त सूची की प्रति सहायक आयुक्त जनजातिय कार्यविभाग बैतूल को आरक्षण यह जानकारी प्राप्त की गई कि उक्त छोटे बड़े झाड़ के खसरा नंबरों में वनाधिकार प्रमाण पत्र तो जारी नहीं किए गए हैं। सहायक आयुक्त जनजातिय कार्यविभाग बैतूल द्वारा उक्त सूची में ही जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सहायक आयुक्त जनजातिय कार्यविभाग बैतूल एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख बैतूल द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन व वस्तुस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी के कालम नंबर 8 में दर्शाया गया है। उपरोक्त सारणी में अकिञ्चित विवरण के अनुसार चरनोई (पास) के सर्वे नंबर भी वैकल्पिक वक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। संबंधित ग्राम में चूर्णोई के न्यूनतम रक्काते की जानकारी के बिना चरनोई की 4 पर्स आरक्षित किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अन्य कुछ सर्वे नंबर भूमिस्थानी मट्ट में दर्ज होने के कारण उन सर्वे नंबरों को भी आवेदित प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जाना उचित नहीं है। चरनोई भूमि के एक जे छोटे बड़े झाड़ का जंगल एवं पहाड़ चट्टान मट्ट की भूमि वैकल्पिक वक्षारोपण हेतु आरक्षित की जाए सकती है। अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तथ्यों एवं आवेदक विभाग द्वारा बतलाई गई तत्कालिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तीव्र उल्लेखित विवरण के अनुसार भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु प्रारंभिक रूप से प्रशासकीय आधार पर आरक्षित की जाती है।

| अ. क्र. | तहसील | ग्राम | ख. नं. | कुल रक्का (हेक्टेर) | मट्ट | वैकल्पिक वक्षारोपण हेतु आरक्षित रक्का (हेक्टेर) |
|---------|---------|-------------|--------|---------------------|-------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | सिंचोली | अटारी | 93/1 | 21.901 | वन | 25.000 |
| | | अटारी | 115/1 | 24.947 | वन | |
| | | अटारी | 128/1 | 31.169 | वन | 25.000 |
| | | अटारी | 131/1 | 38.171 | वन | |
| | | अटारी | 75/1 | 25.479 | वन | 25.000 |
| | | अटारी | 63 | 1.635 | वन | |
| | | जोगलीखास | 463 | 27.087 | वन | 25.000 |
| 2 | भेसदेही | सिंगराजावडी | 1/1/1 | 26.601 | वन | 25.000 |
| | | ठेगना | 32/1 | 42.778 | बड़े झाड़ का जंगल | 30.000 |

उपरोक्त विवरण
द्वारा

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------|---------|-------------------|---------|
| | | आंकड़े रेपत | 38 | 12.995 | पहाड़ | 12.995 |
| | | | 44 | 3.536 | बड़े झाड़ के जंगल | 3.536 |
| | | मोहदा | 142/1 | 16.494 | पहाड़ | 14.000 |
| | | जडिया | 152/1 | 113.029 | चट्टान | 90.000 |
| 3 | बैतूल | सेहरा | 412/1 | 12.890 | बड़े झाड़ का जंगल | 10.000 |
| | | सेहरा | 465 | 15.361 | बड़े झाड़ का जंगल | 12.000 |
| | | दीवनचारसी | 45. | 11.918 | बड़े झाड़ का जंगल | 10.000 |
| 4 | आमला | तिरमह | 830 | 10.878 | वन | 10.000 |
| 5 | घोड़ाड़ोंगरी | गोपालपुर | 1 | 387.442 | बड़े झाड़ का जंगल | 120.000 |
| | | गांधीग्राम | 11 | 130.85 | बड़े झाड़ का जंगल | 59.469 |
| | | सूकाढाना | 5/1 | 27.009 | वन | 20.00 |
| | | शोभापुर | 2/2 | 94.611 | बड़े झाड़ का जंगल | 25.00 |
| | | | 2/1 | 29.003 | बड़े झाड़ का जंगल | 20.00 |
| | | सूकाढाना | 1 | 42.384 | वन | 10.00 |
| | | पोदंरा | 414 | 2.145 | वन | 10.00 |
| | | बोडना | 54/1 | 59.229 | वन | 20.00 |
| | | मोरडोंगरी | 320/1 | 61.964 | वन | 25.00 |
| | | चापड़ारेपत | 17 | 89.140 | छोटे झाड़ का जंगल | 35.00 |
| | | | | | कुल योग | 662.00 |

उक्त आरक्षित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (ए।) से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरात, यथास्थिति उद्भूत होने वाली स्थिति के अनुसार भूमि हस्तानरण का आदेश प्रक्रिया से प्राप्ति किया जाएगा।

मूलबद्ध प्रमाण
अपार कलेक्टर 25/9/2018
अपार बस्ती कंट्री
बैतूल

पूरकमांक: /एलआर2/भूअभि/2018/ 1708
प्रतिलिपि:

बैतूल, दिनांक 25/9/2018

1. उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव म.प्र. नर्मदा घोटोविकास प्राधिकरण 59 अस्सा हिल्स चेत रोड नर्मदा भवन, भोपालकी ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. मुख्य वन संरक्षक बैतूल वर्त वैतूल की सूचनाथ।

3. वनमडल अधिकारी उत्तर दिक्षिण एवं पश्चिम (साथ) वनमडल बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल, भैसदही मूलताई शाहपुर की ओर सूचनार्थी।

4. तहसीलदार, विचाली, आमला, भैसदही, घोड़ाड़ोंगरी, बैतूल की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कश लेख है कि उपरोक्तानुसार आरक्षित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण वेत्त वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के लिए नियमानुसार मोजीवार प्रकरण तयार करके 15 दिवस के भीतर सुस्पष्ट प्रतिवेदन संहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपार कलेक्टर
अपार बस्ती कंट्री 25/9/2018
बैतूल

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क. २५ अ./१९(३) वर्ष १७-१८
 प्रांगड़ेगुर सौलंगा, जतपुर कछेदा, शिरिया, छिरसी,
 मुहारा, बहरा, विलकी, मधुक, विलकी, खडोला,
 शिरिया, मद्दन खुब चिरइ, रंगाझाली
 तहसील केसली, रहली, दवरी जिला सागर (मेर)

उपाध्यक्ष एवं अपर शुद्ध सचिव
 मप्रनमदा धार्टी विकास प्राधिकरण
 भाषाल (मेर)

विलकी
 मप्रशासन

आवेदक

अंतर्वेदक

आदेश

(पारित्यजनाक ८०४/८०५/२०१८)

उपाध्यक्ष एवं अपर शुद्ध सचिव नमदा धार्टी विकास प्राधिकरण मापाल का उपर्युक्त शापत्र क्रमांक
 का २३१/ मारण्ड-गजल/ १४ दिनांक ०१ दिसम्बर २०१७ का द्वारा नमदा धार्टी विकास प्राधिकरण के
 अंतर्गत नमदा एवं उसकी साहायक नायियों पर भित्रां परियोजना प्रस्तावित होते हुए उक्त परियोजना में
 २३७। हुए चतुर्थ भूमि प्राप्तिवेत नेमे से यन्म भूमि के व्यपतता हुए गेर उपलब्ध भूमि की आवश्यकता होने का
 उल्लेख किया गया है।

सागर जिले के उत्तरी नहान तहसील परियोजना हुते आवटित १६७.६५० हे. गेर चतुर्थ भूमि
 परियोजना के उत्तरांत होने के कारण नमदा धार्टी विकास प्राधिकरण के पक्ष में मप्रशासन द्वारा ५०३.४५
 हे. भूमि प्राधिकरण के आवटित गेर उपलब्ध भूमि की इस परियोजना हुए गेर वैकल्पिक गोल चतुर्थ
 भूमि उपलब्ध होने से सागर जिले को तहसील रहली गढ़कोटा एवं दवरी में उपलब्ध भूमि को
 जानकारी हुए २००० हे. भूमि प्राप्तिवेत से उपलब्ध कराने का अनुराध किया गया है। जिसके
 सबूध में अधीक्षक भू-अभियांत्रिक संज्ञानात्मक संयुक्त स्थिल जानकारी दी गई है। अधीक्षक भू-अभियांत्रिक सागर द्वारा अपर शपत्र
 क्रमांक /७६/ अम-अ/गप्र/ २०१८ दिनांक २०५.१८ अनुसार १०९७.७५ हे. भूमि उपलब्ध पाया जाना
 लेख किया गया। जिसके सबूध में नमदा धार्टी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से चतुर्थ विभाग तथा
 राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ स्वयंस्वयं तहसील रहसील करारी रहा।

अधीक्षक भू-अभियांत्रिक सागर द्वारा नमदा धार्टी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं चतुर्थ विभाग
 तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के संयुक्त जानकारी पत्र क्रमांक -१५८/ अम-अ/गप्र/ २०१८
 सागर दिनांक २८.०६.१८ का साथ साल नं. भूमि अनुसार तहसील करारी रहसील करारी रहा। यह भूमि
 १०२१.९९ हे. गेर तहसील दवरी का पत्र क्रमांक -१२७५/ री-१/ २०१८ दिवरी पान्डा २४.०८.१८
 अनुसार याम जतपुर कछया की भूमि चतुर्थ भूमि ५७१/१ से ५०० हे. अतः चतुर्थ भूमि १०१.९९ हे. भूमि

19 SEP 2018

M.C.P/4/
M.C.P/4/
JEC/4/

तहसील दवरी की भूमि (संघी क्रमांक -)

| क्र. | तहसील का नाम | प्राप्ति का नाम | संयुक्त दल द्वारा किये जानकारी | तहसील दर द्वारा प्रस्तावित एकवाही में | भूमि की नापत्र | चतुर्थ भूमि दरकारी हे. में | प्रत्यावित दरकारी हे. में | अतिकरण दरकारी हे. में |
|------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01 | दवरी | जोगर सलंगा | ११ | ११४ | १००.०० | चरनोड | १००.०० | १००.०० |
| | | जतपुर कछया | ५७१/१ | १२०-२९ | ५०.०० | - | ५०.०० | ५०.०० |
| | | शिरिया | १०३/१ | १९०२ | ५.०० | चरनोड | ५.०० | ५.०० |
| | | | २३ | २३.९२ | १.९२ | चरनोड | १.९२ | १.९२ |
| | | | १०० | २९.३४ | ९.३२ | चरनोड | ९.३२ | ९.३४ |
| | | | १३ | १५.४१ | ४.५१ | चरनोड | ४.५१ | ४.४१ |
| | | कुल सम्पूर्ण | १०१.६० | २२०.३५ | ५५.३५ | २२०.३५ | २१३.३७ | |

D.M. (Bamla)

सदस्य (पर्याएवं चतुर्थ वर्ष)
 न. धा. विभा. भोपाल

P.T.O.

112/1

प्रकरण क्र. २५ अ./19(3) वर्ष 17-18

तहसील रहली की भूमि - (सूची क्रमांक-2)

| क्र | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | संयुक्त दल द्वारा किये गये सर्वेनं की जानकारी | तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकवा ह.मे. | भूमि की नोडियत | वन मण्डलाधिकारी द्वारा | | |
|----------|-----------------|-----------------|---|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | प्रस्तावित रकवा ह.मे. | आतिकम्पण मुक्त रकवा ह.मे. | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 02 | रहली | छिरारी | 1122 | 214.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |
| | | | 275 | 22.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | |
| | | | 372 | 29.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | |
| | | | 332 | 12.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| | | | 446/1 | 16.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | |
| | | | 1056/1 | 18.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | |
| | | | 1109 | 22.20 | 10 | 10 | 20.20 | |
| | | | 1217 | 24.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | |
| | | | 1107 | 11.33 | 0.02 | 0.02 | 11.33 | |
| | | | 1200 | 5.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | |
| कुल योग- | | | | 374.04 | 225.63 | 225.53 | 257.04 | |

तहसील केसली की भूमि - (सूची क्रमांक-3)

| क्र | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | संयुक्त दल द्वारा किये गये सर्वेनं की जानकारी | तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकवा ह.मे. | भूमि की नोडियत | वन मण्डलाधिकारी द्वारा | | |
|----------|-----------------|-----------------|---|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | प्रस्तावित रकवा ह.मे. | आतिकम्पण मुक्त रकवा ह.मे. | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 03 | केसली | भुहारा | 120 | 6.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | |
| | | | 21 | 82.83 | 78.03 | 78.83 | 78.83 | |
| | | | 232 | 15.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
| | | | 245 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| | | | 287 | 30.22 | 22.22 | 32.22 | 32.22 | |
| | | | 288 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | |
| | | | 292 | 11.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | |
| | | | 295 | 11.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | |
| | | | 3 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | |
| | | | 21 | 25.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | |
| 04 | विलेकी | संकुप | 22 | 16.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| | | | 24 | 10.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | |
| | | | 26 | 31.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | |
| | | | 359 | 17.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | |
| | | | 108 | 10.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| | | | 109 | 13.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | |
| | | | 317 | 48.10 | 45.10 | 45.10 | 43.10 | |
| | | | 7 | 32.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | |
| | | | 24 | 35.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | |
| | | | 84 | 18.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | |
| 05 | विलेकी | विलेकी | 402 | 36.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | |
| | | | 44 | 18.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | |
| | | | 47 | 19.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | |
| | | | 673 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | |
| 06 | खुर्द | खुर्द | 336 | 45.54 | 14.54 | 41.56 | 14.54 | |
| | | | 103 | 105.66 | 100.66 | 105.66 | 100.66 | |
| | | | 234 | 98.46 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 1 | 9 | 911.04 | 601.68 | 635.60 | |
| कुल योग- | | | | 1586.76 | 1047.46 | 1081.48 | 1071.99 | |

P.T.O.

अतः आदेश की सूची कसांक-०१, ०२ एवं ०३ के कालम नंबर ०८ में दर्शाई गई ग्राम डोगर सुलैया, जैतपुर कछौया, झिरिया, छिरारी, भुहारा, वन्हेरा, विलैकी, चक्क विलैकी, खडौला, डिरिया, पटना खुद, चिरई, रेगझोली तहसील कसली, रहली, देवरा, जिला सागर की भूमि का मूल्य राजस्थान १९६९ (यथा संशोधित २०११) की धारा २३७(३) के तहत मूल्य परिवर्तन करते हुए रक्का १०७१.९९ है, हो रोगायाद जिले की मरड-गजल संयुक्त पारमाजना से प्रभावित बन भूमि के मैदानों की पूर्ति वनीकरण के लिए सागर जिले में वृक्षारपण हतु कुल रक्का १०७१.९९ है, नमदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल का आरक्षित की जाती है।

उक्त भूमि के आरक्षित होने ग्राम का आम नित्यार का रखवा अप्रभावित रहेगा, आरक्षित भूमि को नियत प्रयोग न कर्त्तव्य न होने पर ऐसी अथवा आशिक भूमि वापिस लाजा सकती।

(आलोक कुमार सिंह)

कलपटर

जिला-सागर

सागर टिक्का/८८९/२०१८

प०क०/१०४५६/र००क्ल०/२०१८

प्रतिलिपि-

१. उपाध्यक्ष एवं अमानुष्य संचिक प्रप्रनमदा घाटी विकास प्राधिकरण ५९ अमरा हिला जल राड नमदा मैदान भोपाल मप को आर सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हतु।
मूर्ख चन उत्थक सागर वृत्त सागर का जावाय।
२. वन मैदान अधिकारी दक्षिण सागर (सा) वन मैदान सागर जिला सागर (मप) को आर सूचनार्थ।
३. उप वन मैदान अधिकारी दक्षिण सागर देवरा का सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हतु।
४. अनुविमानी अधिकारी दक्षिण / वनी / एलान जिला सागर का आर सूचनार्थ।
तहसीलदार कसली रहली देवरा जिला सागर का आदेशन सागर अभिलेख दुरुस्ती एवं आरक्षित भूमि का अधिष्ठात्र संयोगित विनापार को दिलाये जाने उपरात संशोधित अभिलेख खसरा नवाया का अप्राप्ति प्रति एवं अधिष्ठात्र दिये जाने का पर्याप्त प्रतिवेदन सहित इस व्यायालय का नियम
वन परिवर्तन अधिकारी दृढ़ना / देवरा / देवरा / आरजान विकास सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हतु।
५. अनुविमानी अधिकारी दक्षिण / वनी / एलान जिला सागर का आर सूचनार्थ।
तहसीलदार कसली रहली देवरा जिला सागर का आदेशन सागर अभिलेख दुरुस्ती एवं आरक्षित भूमि का अधिष्ठात्र संयोगित विनापार को दिलाये जाने उपरात संशोधित अभिलेख खसरा नवाया का अप्राप्ति प्रति एवं अधिष्ठात्र दिये जाने का पर्याप्त प्रतिवेदन सहित इस व्यायालय का नियम
वन परिवर्तन अधिकारी दृढ़ना / देवरा / देवरा / आरजान विकास सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हतु।
६. अनुविमानी अधिकारी दक्षिण / वनी / एलान जिला सागर का आर सूचनार्थ।
तहसीलदार कसली रहली देवरा जिला सागर का आदेशन सागर अभिलेख दुरुस्ती एवं आरक्षित भूमि का अधिष्ठात्र संयोगित विनापार को दिलाये जाने उपरात संशोधित अभिलेख खसरा नवाया का अप्राप्ति प्रति एवं अधिष्ठात्र दिये जाने का पर्याप्त प्रतिवेदन सहित इस व्यायालय का नियम
वन परिवर्तन अधिकारी दृढ़ना / देवरा / देवरा / आरजान विकास सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हतु।
७. अनुविमानी अधिकारी दक्षिण / वनी / एलान जिला सागर का आर सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हतु।

कलपटर

जिला-सागर

परिवर्तन-6

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेलवे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001

आदेश

क्रमांक/व्यय0/ 67

जबलपुर दिनांक ७/१०/२०२३

जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेठा वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ-3/16/2018/10-11/4302 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा 17,00,000 पौधों को रोपित करने की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तयार करने के निर्देश के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, सा० वनमण्डल, जबलपुर के पत्र क्र0/मा०चि०/1345 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राकलन का परीक्षण उपरांत एवं व0 म0 अ0 जबलपुर द्वारा की गयी अनुशांसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0/1194/191/2022/नियम/4/दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म0प्र0 बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग-2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं :–

| योजना का नाम | परिक्षेत्र | बीट | कक्ष क्र0 | रकवा (हेठा में) | अवधि | अनुमानित राशि (रूपये में) |
|---|------------|----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण | कुण्डम | ददरगांव | RF 340 | 40.00 | 2025-2026 से 2035-36 तक | 2,18,56,417.00 |
| | | ददरगांव | RF 340 | 30.00 | | 1,62,16,700.00 |
| | | बारंतौरी | O-587, RF-296 | 40.00 | | 2,19,23,761.00 |
| | | डबरा | RF-311 | 25.00 | | 1,44,50,336.00 |
| | | बघराजी | O-593 | 35.00 | | 2,03,39,046.00 |
| | | योग | | 170.00 | | 9,47,86,260.00 |

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :–

- (1) इस कार्य की उपयोगिता प्राकलन अनुसार कार्य के लिये है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिविहितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराए। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल उक्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावें।
- (2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राकलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।
- (4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेंगे।
- (5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी०पी०आर० तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेंगे। उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोड़ा, मा०व०से०)

वन संरक्षक

मध्यवृत्त जबलपुर

Email 12.22 PM
09-10-23

R.D.N.I.M.

पूऱ्यमांक / मा०चि०

6713

जबलपुर, दिनांक ७ / १० / २०२३

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मो प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मो प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
 3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र० / मा०चि० / 1345 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वन संरक्षक,
मध्यवृत्त जबलपुर
५५३०२३



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

| | |
|--------------------|-----------------------|
| वर्ष | :- 2025-26 से 2035-36 |
| परिक्षेत्र का नाम | :- कुंडम |
| समिति का नाम | :- ददरगवां |
| बीट का नाम | :- ददरगवां |
| कक्ष क्रमांक | :- RF 340 |
| फेलिंग सीरीज | :- वृक्षारोपण |
| कूप क्रमांक | :- - |
| क्षेत्रफल (हेक्टर) | :- 40 |
| कुल राशि (रु.) | :- 21856417.00 |

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

| | | | |
|----|---|-----|--|
| 1 | योजना | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2 | कार्यस्थल का नाम | --- | ददरगवां |
| 3 | कक्ष क्र. | --- | RF 340 |
| 4 | कक्ष का कुल रकवा | --- | 290.60 |
| 5 | वनखण्ड का नाम | --- | 51 दशरथपुर |
| 6 | पातन श्रेणी | --- | तिलसानी |
| 7 | प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल | --- | 40 |
| 8 | कार्य प्रारंभ होने का वर्ष | --- | 2025-26 |
| 9 | कार्य की अवधि | --- | 2025-26 to 2035-36 |
| 10 | परिसर | --- | ददरगवां |
| 11 | परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | कुण्डम |
| 12 | वन परिक्षेत्र | --- | कुंडम (समान्य) |
| 13 | वनमण्डल | --- | जबलपुर (समान्य) |
| 14 | समिति का प्रकार एवं नाम स्थल चयनकर्ता अधिकारी | --- | वन सुरक्षा समिति ददरगवां (1.) श्री एम.एल. बरकड़े, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य) (2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य) श्री राजूलाल बर्मन वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक इमलई |
| 15 | | --- | |
| 16 | | --- | |
| 17 | कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम | --- | श्री विवेक पटेल वनरक्षक, बीटगार्ड ददरगवां |
| 18 | समिति का गठन दिनांक | --- | 24.06.1996 |

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत नियमानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति ददरगवां के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति ददरगवां के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति ददरगवां गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से 0मी0 से अधिक एवं 90 से 0मी0 गोलाई की आड़ी-टेढ़ी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित ठूंठों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिकी आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

२१५/११८

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई

M
वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

M/00
उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| अ | योजना का नाम | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| ब | सरकार का अनुमोदन | --- | -- |
| स | प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2 | जिला | --- | जबलपुर |
| 3 | वनमण्डल | --- | जबलपुर (सामान्य) |
| 4 | वन परिक्षेत्र | --- | कुंडम (सामान्य) |
| 5 | ग्राम | --- | ददरगवां |
| 6 | तहसील | --- | कुंडम |
| 7 | विधान सभा क्षेत्र | --- | सिहोरा |
| 8 | ग्राम पंचायत | --- | डोली |
| 9 | परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | इमलई |
| 10 | परिसर | --- | ददरगवां |
| (2) | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :- | | |
| 1 | वन सुरक्षा समिति | --- | ददरगवां |
| 2 | कक्ष कं. | --- | आर.एफ. 340 |
| 3 | रकवा | --- | 40 हेक्ट. |
| 4 | कार्यवृत्त | --- | - |
| 5 | उपचार श्रेणी | --- | - |
| 6 | स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी | --- | 30 कि.मी. |
| 7 | कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी | --- | - |
| 8 | गठित समिति का प्रकार | --- | वनसुरक्षा समिति |
| 9 | समिति का मुख्यालय | --- | ददरगवां |
| 10 | समिति में सम्मिलित गांव | --- | डोली |
| 11 | समिति के अध्यक्ष का नाम | --- | श्री इंदर सिंह मरावी |
| 12 | परिसर रक्षक का नाम | --- | श्री विवेक पटेल व.र. |
| 13 | परिक्षेत्र सहायक का नाम | --- | श्री राजूलाल बर्मन उपवनक्षेत्रपाल |

| विवरण | लघु कृषक | | | सीमांत कृषक | | | भूमिहीन | | | अन्य | | | योग | | |
|---------|----------|----|-----|-------------|----|-----|---------|-----|------|------|----|-----|------|------|------|
| | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग |
| अ.जा. | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 182 | 168 | 350 | 0 | 0 | 0 | 22 | 175 | 375 |
| अ.ज.जा. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
| अ.पि.व. | 45 | 15 | 60 | 25 | 4 | 29 | 830 | 757 | 15 | 0 | 0 | 0 | 900 | 776 | 1676 |
| सामान्य | 28 | 13 | 41 | 24 | 12 | 36 | 18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 121 |
| योग | 94 | 25 | 129 | 49 | 16 | 65 | 1047 | 966 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1017 | 2207 |

| | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------------|
| 14 | उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना | | |
| A | टोपोग्राफी | --- | अर्धपहाड़ी |
| B | एस्पेक्ट | --- | पश्चिमी |
| C | ढलान | --- | मध्यम |
| D | पानी निकासी | --- | अच्छी |
| E | भू क्षरण | --- | मध्यम एवं गली |
| F | चट्टानों का विवरण | --- | सेन्ड स्टोन लेटेराइट |
| G | मिट्टी का प्रकार | --- | पथरीली मुरमीली |
| H | औसत वार्षिक वर्षा | --- | 110 एम.एम. |
| I | कड़ी मिट्टी का क्षेत्र | --- | 30 हेक्ट. |
| J | नरम मिट्टी का क्षेत्र | --- | 10 हेक्ट. |
| K | पथरीली मिट्टी का क्षेत्र | --- | 3.24 हेक्ट. |
| L | उपलब्ध प्रजाति | --- | सागौन, पलास, लैडिया तेंदू |
| वृक्षों की जानकारी | | | |

| प्रजाति | 20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध | 20 से.मी. से अधिक के वृक्ष |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| सतकठा | 678 | 412 |
| सागौन | 0 | 0 |

- 1 साइट क्वालिटी --- IVB
 2 पूर्ण वन वृद्धन का क्षेत्र --- 40 हेक्ट.
 3 उपलब्ध प्रजाति --- सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

| प्रकार | --- | जैविक दबाव |
|------------|-----|------------|
| वन्यप्राणी | --- | औसत |
| चराई | --- | अत्यधिक |
| मानव | --- | अत्यधिक |

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- 1 कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र --- 02 हेक्ट.
 2 वृक्षारोपण का क्षेत्र --- 40 हेक्ट.
 3 लेंटाना --- 38 हेक्ट.
 4 रोपणी का नाम --- परियट रोपणी
 5 रोपणी से स्थल की दूरी --- 55 कि.मी.
 6 पौधों का परिवहन --- 55 कि.मी.
 7 सिर बोझ द्वारा --- 01 कि.मी.
 8 योजना की अवधि --- 2025-26 से 2035-36 तक
 9 योजना पर होने वाला संभावित व्यय --- 18063155
 10 प्रति हेक्ट. व्यय --- 451578.87
 11 अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय --- 2004962
 12 प्रति हेक्ट. व्यय --- 50124.06

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष कं0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्का 40 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 38 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।

२१५८०/१४
परिषेत्र सहायक
वृत्त-इमलई

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

१५/०००
उप वनमण्डलाधिकारी
सिंहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्कम 40 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 40000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :—

| प्रजाति | पौधों की संख्या | पौधों की आयु | पौधों की उंचाई (से.मी.) | कॉलर गोलाई (से.मी.) |
|----------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| सागौन | 24000 | 1 से 1.5 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| आवंला | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| नीम | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| खम्हेर | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| सिरस | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| शीशम | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| बहेडा | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| अन्य | 4000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| योग पौधा | 40000 | | | |

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :— क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :— वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिंक फेसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :— क्षेत्र में ठूठ ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :— क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :— रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :— रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृष्ठियां रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

| | |
|---------------------------|-------------|
| परिक्षेत्र सहायक द्वारा | 100 प्रतिशत |
| परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा | 50 प्रतिशत |
| उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |
| वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।

वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. ८७ दिनांक १५/१०/२३ द्वारा जारी की गई

वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल— 40 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रक्का

40

हेक्टेयर

(असंविचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष—योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर ३३ ५५९/-

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | सर्वे एवं सीमांकन हेठो | मात्रा 40 | इकाई ha 0.45 | मानव दिवस प्रति हेठो 18 | जाँचदार |
| 2 | पक्के मुनारों का निर्माण | मुनारा 0 | मुनारा 16 | मुनारा 0 | गणना के आधार पर |
| 3 | ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट. | ha 40 | 1.00 | 40 | अनुमानित |
| 4 | क्षेत्र सफाई (हेठो) | ha 40 | 4.00 | 160 | जाँचदार |
| अ. | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन) | ha 30 | 22.00 | प्रति हेक्ट 660 | जाँचदार |
| ब | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम) | ha 5 | 12.50 | प्रति हेक्ट 63 | जाँचदार |
| स | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विस्तृत) | ha 3 | 8.00 | प्रति हेक्ट 24 | जाँचदार |
| 5 | वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंग फैसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाइनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। | Rmt 3600 | 2.4 | Rmt 8640 | गणना के आधार पर |
| 6 | गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट | गड्ढे 40000 | 2.5 | प्रति हजार 100 | जाँचदार |
| 7 | रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm. | गड्ढे 40000 | 5 | प्रति सैकड़ा 2000 | जाँचदार |
| 8 | गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत | घ0मी0 729 | 1.5 | प्रति घ0मी0 1094 | वाजार दर |
| 9 | गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत | घ0मी0 364.5 | 3 | प्रति घ0मी0 1094 | वाजार दर |
| 10 | उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना | गड्ढे 40000 | 1.5 | प्रति सैकड़ा 600 | जाँचदार |
| 11 | 2 हेक्टर निर्माण | L.S. | | 100 | अनुमानित |
| 12 | अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि) | | | 100 | अनुमानित |
| | योग | | | 14692 | |
| 13 | भू—जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत | हेठो | 24.5 | प्रति हेठो 3673 | अनुमानित |
| | कुल योग | | | 18364 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनपाली अधिकारी
सिहोत (सा.)

वनपाली अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मात्रि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| | रोपणी कार्य | | | | | | |
| 1 | प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत | 40000 8000 | पौधे पौधे | | 12/प्रति पौधा 12/प्रति पौधा | 1294 259 | वाजार दर वाजार दर |
| 2 | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | |
| 3 | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी० | 48000 48000 | पौधे पौधे | 1.5 0.4 | 1.5 / 100 0.4 प्रति सैकड़ा | 720 192 | जॉबदर जॉबदर |
| 4 | लेटाना मापिंग अप आपरेशन | 38 | हेवटेयर | 8 | 8 प्रति हेवट | 160 | जॉबदर |
| 5 | रोपण प्रथम निंदाई | 40000 | पौधे | 1.8 | 1.8 प्रति सैकड़ा | 720 | जॉबदर |
| 6 | पौधों में | 40000 | पौधे | 1.25 | 1.25 / 100 | 500 | जॉबदर |
| 7 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| 8 | पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 / 100 | 400 | जॉबदर |
| 9 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| 10 | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई : | 40000 | पौधे | 0.6 | 0.6 प्रति सैकड़ा | 240 | जॉबदर |
| 11 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 3.6 | कि.मी. | 5.5 | 2.25 / कि.मी | 20 | जॉबदर |
| 12 | सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह | | 2X9 | | | 540 | अनुमानित |
| 13 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 40000 | पौधे | | Lumsum | 700 | अनुमानित |
| 14 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 400 | अनुमानित |
| | | | | | योग:- | 6544 | |

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

M. D.C
उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|--------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनर्रोपण हेतु) | 4000 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | | 129 | वाजार दर |
| | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | | वाजार दर |
| 2 | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा | 4000 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.सै. | | 60 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 4000 | पौधे | 0.4 | 0.4 मा.दि.प्र.सै. | | 16 | जॉबदर |
| 3 | चेनलिंग फेसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | | 40 | अनुमानित |
| 4 | प्रथम निर्दाइ | | | | | | | |
| | पौधों में | 40000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | | 500 | जॉबदर |
| 5 | द्वितीय निर्दाइ | | | | | | | |
| | पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | | 400 | जॉबदर |
| 6 | तृतीय निर्दाइ | | | | | | | |
| | पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | | 400 | जॉबदर |
| 7 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.6 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | | 20 | जॉबदर |
| 8 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 9 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 40000 | पौधे | | Lumsum | | 700 | अनुमानित |
| 10 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | | 3035 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमंडलाधिकारी
सिंहमस (सा.)

वनमंडलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|--------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 4000 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 129 | बाजार दर |
| | पौधों का परियहन (संख्या) | | | | | | बाजार दर |
| 2 | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी० | 4000 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.सै. | 60 | जॉयदर |
| 3 | प्रथम निंदाई पौधों में | 40000 | पौधे | 0.4 | 0.4 मा.दि.प्र.सै. | 16 | जॉयदर |
| 4 | द्वितीय निंदाई पौधों में | 40000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 500 | जॉयदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 3.6 | कि.मी. | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 400 | जॉयदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 8 | अन्य व्यय (फीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 200 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 1685 | |

वन परिसेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष—योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | चेनलिंग फॉसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| 3 | प्रथम निंदाई पौधों में | 40000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 500 | जॉबदर |
| 4 | द्वितीय निंदाई पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 मा.दि. मा.दि.प्र.सै. | 400 | जॉबदर |
| 5 | आन्तरिक अभिन सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 3.6 | mtr | 5.5 | किमी | 20 | जॉबदर |
| 6 | सुरक्षा समिति हासा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 624 | अनुमानित |
| 7 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 1694 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.6 | mtr | 5.5 | किमी | 20 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 790 | |

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.6 | mtr | 5.5 | किमी | 20 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 790 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोल (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | मीटर चौड़ी | 3.6 | mtr | 5.5 | किमी | 20 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 790 | |

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | मीटर चौड़ी | 3.6 | mtr | 5.5 | किमी | 20 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 790 | |

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | मीटर चौड़ी | 3.6 | mtr | 5.5 | किमी | 20 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 790 | |

योजना का च्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | मीटर चौड़ी | 3.6 | mtr | 5.5 | किमी | 20 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 790 | |

वन परिषेन्न अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 40 हेठो असिंचित

| वर्ष | प्रस्तावित (मानव दिवस) | 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक | प्रस्तावित मानव दिवस | राशि |
|----------|---------------------------|--|-------------------------|----------|
| प्रथम | 18364 | 1 | 18364 | 8245604 |
| द्वितीय | 6544 | 1.06 | 6937 | 3114723 |
| तृतीय | 3035 | 1.1236 | 3410 | 1531237 |
| चतुर्थ | 1685 | 1.191 | 2007 | 901165 |
| पंचम | 1694 | 1.2625 | 2138 | 960152 |
| षष्ठम | 790 | 1.3382 | 1057 | 474553 |
| सप्तम | 790 | 1.4185 | 1120 | 503029 |
| अष्टम | 790 | 1.504 | 1188 | 533349 |
| नवम | 790 | 1.594 | 1259 | 565265 |
| दशम | 790 | 1.69 | 1335 | 599308 |
| ग्यारहवा | 790 | 1.79 | 1414 | 634770 |
| कुल योग | | | 40230 | 18063155 |

| | | |
|------------------------|------------|------------------|
| आस्था मूलक कार्य | 5 प्रतिशत | 903158 |
| मानव संसाधन विकास | 1 प्रतिशत | 180632 |
| अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 4 प्रतिशत | 722526 |
| कुल योग | | 19869470 |
| पर्यवेक्षण शुल्क | 10 प्रतिशत | 1986947 |
| महायोग | | 21856417 |
| Or say | | 218.56 Lakh Only |

वन परिदेश अधिकारी
कुण्डम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहारा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण

| | | |
|------|-------------------------------|---|
| 1. | वनमण्डल | जबलपुर |
| 2. | परिक्षेत्र | कुण्डम |
| 3. | वनखण्ड | 51—दशरथपुर |
| 3.1. | अधिसूचना का विवरण | 887 Dated 20.07.1879 & 194 Dated 10.03.1915 |
| 3.2 | टोपोशीट क्रमांक (1:12,500) | 64A/4/C/1 & 64A/4/C/2 |
| 4. | कक्ष क्रमांक | 340 |
| 5. | सानान्य विवरण | — |
| 6. | क्षेत्रफल (हेक्टे.) | 281.95 |
| 7 | भौगोलिक स्थिति | अक्षांश $23^{\circ} 10' 20''$ |
| 8 | सीमा विवरण | देशान्तर $80^{\circ} 12' 00''$ |
| 8.1 | उत्तर | ग्राम ददरगवां की राजस्व भूमि। |
| 8.2 | पूर्व | संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 343 की सीमा लाईन। |
| 8.3 | दक्षिण | ग्राम देवरी की राजस्व भूमि। |
| 8.4 | पश्चिम | ग्राम डुंगरगवां की राजस्व भूमि। |
| 9. | वैधानिक स्थिति | आरक्षित वन |
| 10. | वन संरचना | |
| 10.1 | वनों का प्रकार | सागौन✓ / साल / मिश्रित / बांस / अन्य |
| 10.2 | आयु वर्ग | मुख्यतः परिपक्व / मुख्यतः मध्यम आयु / मुख्यतः युवा आयु✓ / मुख्यतः अग्रिम पौधे |
| 10.3 | सन्निधि | अति सघन / मध्यम सघन / विरल✓ / झाड़ी वन |
| 10.4 | स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.) | I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb |
| 11. | सामान्य स्थलाकृति | |
| 11.1 | धरातल विवरण | समतल✓ / अर्द्ध पहाड़ी / पहाड़ी / दुर्गम पहाड़ी / ऊबड़—खाबड़✓ |
| 12 | समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में) | |
| 12.1 | न्यूनतम | मीटर |
| 12.2 | अधिकतम | मीटर |
| 12.3 | बैच मार्क | |
| 12.4 | स्थायी चिन्ह | |

| दृढ़ ग्रेडिएंट) | ढाल वर्ग (प्रतिशत) | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| | 10 तक | 178.27 |
| | 10 से 30 तक | 95.89 |
| | 30 से 40 तक | 7.79 |
| | 40 से अधिक | - |
| | योग— | 281.95 |

नीमिको
आरकियन/विस्थान/विजावर/लोअर गोडवाना/अपर
गोडवाना✓/लमेटा/डेकन ट्रेप

ईल (चट्टाने)
बेसाल्ट/सेंडस्टोन✓/शेल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/
क्वार्टजाइट/चट/कांगलोमेरेट/लाइमस्टोन/मेटामार्निक

नृदा का विवरण

1 प्रकार दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट✓/रेतीली/चिकनो दान्ट
कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़

2 संरचना भुखुरी/किंचित ठोस✓/अत्यधिक ठोस

3 आर्द्रता दलदल/आर्द/शुष्क✓/अतिशुष्क

4 गहराई मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली✓/मध्यम गहरी✓/गहरी/
बहुत गहरी

5 हायूमस् हायूमस विहीन/अपर्याप्त✓/मध्यम/पर्याप्त/अधिक

भू-क्षरण

6.1 स्थिति नगण्य/सामान्य/मध्यम✓/बहुत अधिक

6.2 प्रकार शीट/गली✓/अन्य

6.3 जल धारण क्षमता कम/मध्यम✓/अधिक

वन संनिधि का विवरण

9.1 सामान्य विवरण — कक्ष में मुख्यतः चारगाह विकास हेतु उपयुक्त रिक्त क्षेत्र है। कक्ष के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर निम्न संनिधि युक्त सागौन का विरल वन पाया गया है, पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयु वर्ग के हैं तथा स्थल गुणश्रेणी चतुर्थ 'ब' है।

| | |
|--------|------|
| 19.1.1 | अ. |
| 19.1.2 | इ. |
| 19.1.3 | इ. |
| 19.1.4 | इ. |
| 19.1.5 | इ. |
| 19.1.6 | इ. |
| 19.1.7 | छ. |
| 19.1.8 | तु. |
| 19.2 | नुर |
| 19.2.1 | शी. |
| 19.2.2 | अ. |
| 19.2.3 | जी. |
| 19.2.4 | इ. |
| 19.2.5 | शा. |
| 19.2.6 | कं. |
| 19.2.7 | बैट |
| 20. | पुन |
| 20.1 | न. |
| 20.2 | अ. |
| 20.3 | स्त. |
| 21 | ज. |
| 22 | ज. |
| 22.1 | च. |
| 22.2 | च. |
| 23 | अ. |
| 24 | ज. |
| 25 | स. |

| | | |
|--------|---------------------------|----------|
| १९.५ | इंडिया | ल-टान्डा |
| १९.६ | इंज | चकौड़ा। |
| १९.७ | डेक्सरे प्रजातियां | - |
| १९.८ | दुल्सि प्रजातियां | - |
| १९.२ | मुख्य अकाष्ठीय प्रजातियां | |
| १९.२.१ | शीर्ष स्तरीय प्रजातियां | महआ। |
| १९.२.२ | अधः स्तरीय प्रजातियां | - |
| १९.२.३ | निम्न स्तरीय प्रजातियां | तेन्दू। |
| १९.२.४ | झाड़ी प्रजातियां | - |
| १९.२.५ | शाक प्रजातियां | चकौड़ा। |
| १९.२.६ | कंद प्रजातियां | - |
| १९.२.७ | बेला प्रजातियां | - |

20. पुनरुत्पादन का विवरण

| प्रकार | वर्गीकरण | बीजांकुर/स्थूण प्ररोह |
|---------------------|---|-----------------------|
| 20.1 नवागत पौध | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर/स्थूण प्ररोह |
| 20.2 अस्थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर/स्थूण प्ररोह |
| 20.3 स्थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर/स्थूण प्ररोह |
| 21. अवैध कटाई | नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक | |
| 22. चराई विवरण | | |
| 22.1 चराई भार | नगण्य / कम / मध्यम✓ / बहुत अधिक | |
| 22.2 पशु शिविर | है / नहीं✓ | |
| 23 अग्नि घटनाएं | नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक | |
| 24 जैविक हस्तक्षेप | नगण्य / कम / मध्यम✓ / अधिक / अत्यधिक | |
| 25 प्राकृतिक प्रकोप | शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा / कीट / रोग | |

~~abbot~~ R. 10/05/02

ମାତ୍ର କଣ ଯାମିନୀ ହେଉଥାଏଁ ନୀତି ହେଉଥାଏଁ

23

N. 0° 23'

Dura


qh at N

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डल (रा.)

C

C १२५०८८
०.२५८८

Devri





क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

| | |
|--------------------|-----------------------|
| वर्ष | :- 2025-26 से 2035-36 |
| परिक्षेत्र का नाम | :- कुंडम |
| समिति का नाम | :- ददरगवां |
| बीट का नाम | :- ददरगवां |
| कक्ष क्रमांक | :- RF 340 |
| फेलिंग सीरीज | :- वृक्षारोपण |
| कूप क्रमांक | :- — |
| क्षेत्रफल (हेक्टर) | :- 30 |
| कुल राशि (रु.) | :- 16216700.00 |

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

| | | | |
|----|--|-----|--|
| 1 | योजना | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2 | कार्यस्थल का नाम | --- | ददरगवां |
| 3 | कक्ष क्र. | --- | RF 340 |
| 4 | कक्ष का कुल रकवा | --- | 290.60 |
| 5 | वनखण्ड का नाम | --- | 51 दशरथपुर |
| 6 | पातन श्रेणी | --- | तिलसानी |
| 7 | प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल | --- | 30 |
| 8 | कार्य प्रारंभ होने का वर्ष | --- | 2025-26 |
| 9 | कार्य की अवधि | --- | 2025-26 to 2035-36 |
| 10 | परिसर | --- | ददरगवां |
| 11 | परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | कुण्डम |
| 12 | वन परिक्षेत्र | --- | कुण्डम (समान्य) |
| 13 | वनमण्डल | --- | जबलपुर (समान्य) |
| 14 | समिति का प्रकार एवं नाम स्थल चयनकर्ता अधिकारी | --- | वन सुरक्षा समिति ददरगवां (1.) श्री एम.एल. बरकड़े, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य) (2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य) श्री राजूलाल बर्मन वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक इमर्लई |
| 15 | | --- | |
| 16 | | --- | |
| 17 | कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम | --- | श्री विवेक पटेल वनरक्षक, बीटगार्ड ददरगवां |
| 18 | समिति का गठन दिनांक | --- | 24.06.1996 |

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति ददरगवां के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति ददरगवां के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति ददरगवां गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से 0मी0 से अधिक एवं 90 से 0मी0 गोलाई की आढ़ी-टेढ़ी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूंठों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

२१५८/६
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमर्लई

M
वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

M. 00
उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| अ | योजना का नाम | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| ब | सरकार का अनुमोदन | --- | -- |
| स | प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2 | जिला | --- | जबलपुर |
| 3 | वनमण्डल | --- | जबलपुर (सामान्य) |
| 4 | वन परिक्षेत्र | --- | कुडम (सामान्य) |
| 5 | ग्राम | --- | ददरगवां |
| 6 | तहसील | --- | कुडम |
| 7 | विधान सभा क्षेत्र | --- | सिहोरा |
| 8 | ग्राम पंचायत | --- | डोली |
| 9 | परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | इमलई |
| 10 | परिसर | --- | ददरगवां |
| (2) | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :- | | |
| 1 | वन सुरक्षा समिति | --- | ददरगवां |
| 2 | कक्ष कं. | --- | आर.एफ. 340 |
| 3 | रकवा | --- | 30 हेक्ट. |
| 4 | कार्यवृत्त | --- | - |
| 5 | उपचार श्रेणी | --- | - |
| 6 | स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी | --- | 30 कि.मी. |
| 7 | कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी | --- | - |
| 8 | गठित समिति का प्रकार | --- | वनसुरक्षा समिति |
| 9 | समिति का मुख्यालय | --- | ददरगवां |
| 10 | समिति में सम्मिलित गांव | --- | डोली |
| 11 | समिति के अध्यक्ष का नाम | --- | श्री इंदर सिंह मरावी |
| 12 | परिसर रक्षक का नाम | --- | श्री विवेक पटेल व.र. |
| 13 | परिक्षेत्र सहायक का नाम | --- | श्री राजूलाल बर्मन उपवनक्षेत्रपाल |

| विवरण | लघु कृषक | | | सीमांत कृषक | | | भूमिहीन | | | अन्य | | | योग | | |
|---------|----------|----|-----|-------------|----|-----|---------|-----|------|------|----|-----|------|------|------|
| | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग |
| अ.जा. | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 182 | 168 | 350 | 0 | 0 | 0 | 22 | 175 | 375 |
| अ.ज.जा. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
| अ.पि.व. | 45 | 15 | 60 | 25 | 4 | 29 | 830 | 757 | 15 | 0 | 0 | 0 | 900 | 776 | 1676 |
| सामान्य | 28 | 13 | 41 | 24 | 12 | 36 | 18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 121 |
| योग | 94 | 25 | 129 | 49 | 16 | 65 | 1047 | 966 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1017 | 2207 |

| | | | |
|----|---|-----|---------------------------|
| 14 | उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना | | |
| A | टोपोग्राफी | --- | अर्धपहाड़ी |
| B | एस्पेक्ट | --- | पश्चिमी |
| C | ढलान | --- | मध्यम |
| D | पानी निकासी | --- | अच्छी |
| E | भू क्षरण | --- | मध्यम एवं गली |
| F | चट्टानों का विवरण | --- | सेन्ड स्टोन लेटेराइट |
| G | मिट्टी का प्रकार | --- | पथरीली मुरमीली |
| H | औसत वार्षिक वर्षा | --- | 110 एम.एम. |
| I | कड़ी मिट्टी का क्षेत्र | --- | 25 हेक्ट. |
| J | नरम मिट्टी का क्षेत्र | --- | 5 हेक्ट. |
| K | पथरीली मिट्टी का क्षेत्र | --- | 3.24 हेक्ट. |
| L | उपलब्ध प्रजाति | --- | सागौन, पलास, लैडिया तेंदू |

वृक्षों की जानकारी

| प्रजाति | 20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध | 20 से.मी. से अधिक के वृक्ष |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| सतकठा | 800 | 500 |
| सागौन | 0 | 0 |

- | | | | |
|---|----------------------------|-----|-------------------------|
| 1 | साईट क्वालिटी | --- | IVB |
| 2 | पूर्ण वन वृद्धन का क्षेत्र | --- | 30 हेक्ट. |
| 3 | उपलब्ध प्रजाति | --- | सतक. पलास, लैडिया तेंदू |

जैविक दबाव

| प्रकार | --- | जैविक दबाव |
|------------|-----|------------|
| वन्यप्राणी | --- | औसत |
| चराई | --- | अत्यधिक |
| मानव | --- | अत्यधिक |

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण


- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|
| 1 | कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र | --- | 02 हेक्ट. |
| 2 | वृक्षारोपण का क्षेत्र | --- | 30 हेक्ट. |
| 3 | लेटाना | --- | 27 हेक्ट. |
| 4 | रोपणी का नाम | --- | परियट रोपणी |
| 5 | रोपणी से स्थल की दूरी | --- | 55 कि.मी. |
| 6 | पौधों का परिवहन | --- | 55 कि.मी. |
| 7 | सिर बोझ द्वारा | --- | 01 कि.मी. |
| 8 | योजना की अवधि | --- | 2025-26 से 2035-36 तक |
| 9 | योजना पर होने वाला संभावित व्यय | --- | 13402231 |
| 10 | प्रति हेक्ट. व्यय | --- | 446741.03 |
| 11 | अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय | --- | 2814468 |
| 12 | प्रति हेक्ट. व्यय | --- | 93815.60 |

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्वा 30 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 27 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।

२१५ ल०८८
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)



उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग — 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्षा 30 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कूण्डम


उप वनमन्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 30000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :—

| प्रजाति | पौधों की संख्या | पौधों की आयु | पौधों की उंचाई (से.मी.) | कॉलर गोलाई (से.मी.) |
|----------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| सागौन | 18000 | 1 से 1.5 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| आवंला | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| नीम | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| खम्हेर | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| सिरस | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| शीशम | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| बहेडा | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| अन्य | 3000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| योग पौधा | 30000 | | | |

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :— क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :— वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिंक फैसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :— क्षेत्र में ठूठ ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्वर ऑपरेशन :— क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :— रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :— रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृष्ठियि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पुर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

| | |
|---------------------------|-------------|
| परिक्षेत्र सहायक द्वारा | 100 प्रतिशत |
| परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा | 50 प्रतिशत |
| उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |
| वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |

राजस शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. C7 दिनांक १०/२०२३ द्वारा जारी की गई


वनरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-30 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रक्का

30

हेक्टेयर

(अनुसन्धानित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर ₹ 449/-

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | दर प्रति इकाई (मात्रा) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | सर्व एवं सीमांकन हेठो | मात्रा 30 | इकाई ha 0.45 | प्रति हेठो 14 | जाँचदार |
| 2 | पक्के मुनारों का निर्माण | मात्रा 0 | मुनारा 16 | मुनारा 0 | गणना के आधार पर |
| 3 | ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट. | मात्रा 30 | इकाई ha 1.00 | | 30 अनुमानित |
| 4 | क्षेत्र सफाई (हेठो) | मात्रा 30 | इकाई ha 4.00 | प्रति हेठो 120 | जाँचदार |
| अ | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन) | मात्रा 20 | इकाई ha 22.00 | प्रति हेक्ट 440 | जाँचदार |
| ब | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम) | मात्रा 5 | इकाई ha 12.50 | प्रति हेक्ट 63 | जाँचदार |
| स | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विशेष) | मात्रा 2 | इकाई ha 8.00 | प्रति हेक्ट 16 | जाँचदार |
| 5 | वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंक फॉसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाइनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। | मात्रा 3300 | इकाई Rmt 2.4 | इकाई Rmt 7920 | गणना के आधार पर |
| 6 | गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट | मात्रा 30000 | इकाई गड्ढे 2.5 | प्रति हजार 75 | जाँचदार |
| 7 | रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm. | मात्रा 30000 | इकाई गड्ढे 5 | प्रति सैकड़ा 1500 | जाँचदार |
| 8 | गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु क्य आयतन का 20 प्रतिशत | मात्रा 546.75 | घ0मी0 1.5 | प्रति घ0मी0 820 | वाजार दर |
| 9 | गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 10 प्रतिशत | मात्रा 273.375 | घ0मी0 3 | प्रति घ0मी0 820 | वाजार दर |
| 10 | उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना | मात्रा 30000 | इकाई गड्ढे 1.5 | प्रति सैकड़ा 450 | जाँचदार |
| 11 | 2 हेक्टर निर्माण | | इकाई L.S. | | प्रति हेक्टर 100 अनुमानित |
| 12 | अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि) | | | | प्रति हेक्टर 100 अनुमानित |
| | योग | | | | प्रति हेक्टर 12467 |
| 13 | भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत | मात्रा हेठो | इकाई 24.5 | प्रति हेठो 3117 | अनुमानित |
| | कुल योग | | | | कुल मानव दिवस 15584 |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोला (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | स्थार्क |
|------|---|-----------------|----------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी कार्य प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या | 30000 | पौधे | | 12/प्रति पौधा | 1294 | याजार दर |
| | मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत | 6000 | पौधे | | 12/प्रति पौधा | 194 | याजार दर |
| 2 | पौधों का परिच्छन (संख्या) | | | | | | |
| 3 | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा | 36000 | पौधे | 1.5 | 1.5 / 100 | 540 | जॉबदर |
| 4 | सिर बोझ द्वारा 1.कि0मी0 | 36000 | पौधे | 0.4 | 0.4 प्रति सैकड़ा | 144 | जॉबदर |
| 5 | लेटाना मार्पिंग अप आपरेशन | 38 | हेक्टेयर | 8 | 8 प्रति हेक्ट | 160 | जॉबदर |
| 6 | रोपण 45x45x45 cm. | 30000 | पौधे | 1.8 | 1.8 प्रति सैकड़ा | 540 | जॉबदर |
| 7 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| 8 | पौधों में | 30000 | पौधे | 1.25 | 1.25 / 100 | 375 | जॉबदर |
| 9 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| 10 | पौधों में | 30000 | पौधे | 1 | 1 / 100 | 300 | जॉबदर |
| 11 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| 12 | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 30000 | पौधे | 0.6 | 0.6 प्रति सैकड़ा | 180 | जॉबदर |
| 13 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 14 | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | कि.मी. | 5.5 | 2.25 / कि.मी | 18 | जॉबदर |
| 15 | सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह | | 1x9 | | | 270 | अनुमानित |
| 16 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 30000 | पौधे | | Lumsum | 200 | अनुमानित |
| 17 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 200 | अनुमानित |
| | | | | | योग:- | 4715 | |

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनपाल सिंचाई
सिंहारा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|--------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के भुन्नरोपण हेतु) | 3000 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 97 | वाजार दर |
| | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | वाजार दर |
| 2 | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा | 3000 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.सै. | 45 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 3000 | पौधे | 0.4 | 0.4 मा.दि.प्र.सै. | 12 | जॉबदर |
| 3 | चेनलिंग फेसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 40 | अनुमानित |
| 4 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 30000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 375 | जॉबदर |
| 5 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 30000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 300 | जॉबदर |
| 6 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 30000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 300 | जॉबदर |
| 7 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | 18 | जॉबदर |
| 8 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 9 | उपलब्धता अनुसार रिंचाई | 30000 | पौधे | | Lumsum | 200 | अनुमानित |
| 10 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 100 | अनुमानित |
| | | योग:- | | | | 1847 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरी (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मात्रि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|--------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 3000 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 97 | याजार दर |
| 2 | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | याजार दर |
| 2 | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा | 3000 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.सै. | 45 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 3000 | पौधे | 0.4 | 0.4 मा.दि.प्र.सै. | 12 | जॉबदर |
| 3 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 30000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 375 | जॉबदर |
| 4 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 30000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 300 | जॉबदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | 18 | जॉबदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 8 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 200 | अनुमानित |
| | | | योग:- | | | | |
| | | | | | | 1407 | |

वन परिकल्पना अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनपाल अधिकारी
सिलारा (सा.)

वनपाल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष—योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|--------|------------------------|-----------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | चेनलिंग फैसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| 3 | प्रथम निंदाई पौधों में | 30000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 375 | जॉबदर |
| 4 | द्वितीय निंदाई पौधों में | 30000 | पौधे | 1 | 1 मा.दि.मा.दि.प्र.सै. | 300 | जॉबदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 7 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 1203 | |

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (भा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|------|------------------------|------|---------------|--------------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | | 12 माह | | | 360 अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 428 | |

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (भा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|------|------------------------|------|---------------|--------------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | | 12 माह | | | 360 अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 428 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

Mally
उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

KJ
वनमण्डलाधिकारी
जाबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 428 | |

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 428 | |

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 428 | |

योजना का ष्ठारहवा वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 428 | |

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

MLOO
उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 30 हेठो असिंचित

| वर्ष | प्रस्तावित (मानव दिवस) | 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक | प्रस्तावित मानव दिवस | राशि |
|----------|---------------------------|---|-------------------------|----------|
| प्रथम | 15584 | 1 | 15584 | 6997244 |
| द्वितीय | 4715 | 1.06 | 4998 | 2244067 |
| तृतीय | 1847 | 1.1236 | 2075 | 931898 |
| चतुर्थ | 1407 | 1.191 | 1676 | 752505 |
| पंचम | 1203 | 1.2625 | 1519 | 682021 |
| षष्ठम | 428 | 1.3382 | 573 | 257255 |
| सप्तम | 428 | 1.4185 | 607 | 272692 |
| अष्टम | 428 | 1.504 | 644 | 289128 |
| नवम | 428 | 1.594 | 682 | 306430 |
| दशम | 428 | 1.69 | 724 | 324885 |
| ग्यारहवा | 428 | 1.79 | 766 | 344108 |
| कुल योग | | | 29849 | 13402231 |

| | | |
|------------------------|------------|------------------|
| आस्था मूलक कार्य | 5 प्रतिशत | 670112 |
| मानव संसाधन विकास | 1 प्रतिशत | 134022 |
| अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 4 प्रतिशत | 536089 |
| कुल योग | | 14742454 |
| पर्यवेक्षण शुल्क | 10 प्रतिशत | 1474245 |
| महायोग | | 16216700 |
| Or say | | 162.16 Lakh Only |

वन परिषेक्त्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य

चप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण

| | | |
|------|-------------------------------|---|
| 1. | वनमण्डल | जबलपुर |
| 2. | परिक्षेत्र | कुण्डम |
| 3. | वनखण्ड | 51—दशरथपुर |
| 3.1. | अधिसूचना का विवरण | 887 Dated 20.07.1879 & 194 Dated 10.03.1915 |
| 3.2. | टोपोशीट क्रमांक (1:12,500) | 64A/4/C/1 & 64A/4/C/2 |
| 4. | कक्ष क्रमांक | 340 |
| 5. | सामान्य विवरण | — |
| 6. | क्षेत्रफल (हेक्टे.) | 281.95 |
| 7. | भौगोलिक स्थिति | अक्षांश 23° 10' 20" देशान्तर 80° 12' 00" |
| 8. | सीमा विवरण | |
| 8.1 | उत्तर | ग्राम ददरगवां की राजस्व भूमि। |
| 8.2 | पूर्व | संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 343 की सीमा लाईन। |
| 8.3 | दक्षिण | ग्राम देवरी की राजस्व भूमि। |
| 8.4 | पश्चिम | ग्राम डुंगरगवां की राजस्व भूमि। |
| 9. | वैधानिक स्थिति | आरक्षित वन |
| 10. | वन संरचना | |
| 10.1 | वनों का प्रकार | सागौन✓ / साल / मिश्रित / बांस / अन्य |
| 10.2 | आयु वर्ग | मुख्यतः परिपक्व / मुख्यतः मध्यम आयु / मुख्यतः युवा आयु✓ / मुख्यतः अग्रिम पौधे |
| 10.3 | सन्निधि | अति सघन / मध्यम सघन / विरल✓ / झाड़ी वन |
| 10.4 | स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.) | I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb |
| 11 | सामान्य स्थलाकृति | |
| 11.1 | धरातल विवरण | समतल✓ / अर्द्ध पहाड़ी / पहाड़ी / दुर्गम पहाड़ी / ऊबड़—खाबड़✓ |
| 12 | समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में) | |
| 12.1 | न्यूनतम | मीटर |
| 12.2 | अधिकतम | मीटर |
| 12.3 | बैच मार्क | |
| 12.4 | स्थायी चिन्ह | |

| | | |
|--------|---------------------------|---------------|
| १९.३ | इन्हें लेना | हैं नहीं हैं✓ |
| १९.४ | इन्हें लेणा | लेणाना |
| १९.५ | इन्हें लेना | चकौड़ा। |
| १९.६ | इन्हें लेना | — |
| १९.७ | दिन्दरो प्रजातियाँ | — |
| १९.८ | दुसरे प्रजातिया | — |
| १९.२ | नुख्य अकाष्ठीय प्रजातियाँ | — |
| १९.२.१ | शीर्ष स्तरीय प्रजातिया | महुआ। |
| १९.२.२ | अधः स्तरीय प्रजातियाँ | — |
| १९.२.३ | निन्न स्तरीय प्रजातियाँ | तेन्दू। |
| १९.२.४ | झाड़ी प्रजातियाँ | — |
| १९.२.५ | शाक प्रजातिया | चकौड़ा। |
| १९.२.६ | कंद प्रजातियाँ | — |
| १९.२.७ | बेला प्रजातियाँ | — |

20. पुनरुत्पादन का विवरण

| प्रकार | वर्गीकरण | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 20.1 नवागत पौध | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह |
| 20.2 अरथापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह |
| 20.3 स्थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह |
| 21 अवैध कटाई | नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक | |

22. चराई विवरण

| | | |
|------|------------------|---|
| 22.1 | चराई भार | नगण्य / कम / मध्यम✓ / बहुत अधिक |
| 22.2 | पशु शिविर | हैं / नहीं✓ |
| 23 | अग्नि घटनाएँ | नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक |
| 24 | जैविक हस्तक्षेप | नगण्य / कम / मध्यम✓ / अधिक / अत्यधिक |
| 25 | प्राकृतिक प्रकोप | शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा / कीट / रोग |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------------|--------------|
| उत्तर के निश्चय ग्रेडेंट) | | उत्तर/ उत्तर-पूर्व/ पूर्व/ दक्षिण-पूर्व/ दक्षिण/ दक्षिण-पैशियन /पैशियन/ उत्तर-पैशियन/ चारों ओर✓ | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | 19.1.1 ज़िले |
| | दाल वर्ग (प्रतिशत) | 10 तक | 178.27 | 19.1.2 ज़िले |
| | | 10 से 30 तक | 95.89 | 19.1.3 ज़िले |
| | | 30 से 40 तक | 7.79 | 19.1.4 ज़िले |
| | | 40 से अधिक | - | 19.1.5 ज़िले |
| | योग- | 281.95 | | 19.1.6 ज़िले |
| 3 | नौनिकी | आरकियन/ विन्ध्यान/ विजावर/ लोअर गोडवाना/ अपर गोडवाना✓/ लमेटा/ डेक्कन ट्रेप | | 19.1.7 ज़िले |
| 6 | शैल (चट्टानें) | बेसाल्ट/ सेंजस्टोन✓/ शैल/ स्लेट/ शिष्ट/ नोस/ ग्रेनाइट/ क्वार्टजाइट/ चर्ट/ कांगलोमेरेट/ लाइमस्टोन/ नेटानानेक | | 19.1.8 ज़िले |
| 7 | नृदा का विवरण | | | 19.2 ज़ुख |
| 7.1 | प्रकार | दोमट/ चिकनी/ काली/ रेतीली दोमट✓/ रेतीली/ चिकनी दोमट, कंकरीली/ लाल लेटेराइट/ जलोड़ | | 19.2.1 शोर |
| 7.2 | संसरचना | भुरभुरी/ किंचित ठोस✓/ अत्यधिक ठोस | | 19.2.2 अध |
| 7.3 | आर्द्रता | दलदल/ आर्द्र/ शुष्क✓/ अतिशुष्क | | 19.2.3 ज़ेर |
| 7.4 | गहराई | मिट्टी विहीन/ बहुत उथली/ उथली✓/ मध्यम गहरी✓/ गहरी/ बहुत गहरी | | 19.2.4 इन |
| 7.5 | हयूमस | हयूमस विहीन/ अपर्याप्त✓/ मध्यम/ पर्याप्त/ अधिक | | 19.2.5 शार |
| 8 | भू-क्षरण | | | 19.2.6 कंव |
| 8.1 | स्थिति | नगण्य/ सामान्य/ मध्यम✓/ बहुत अधिक | | 19.2.7 बेट |
| 8.2 | प्रकार | शीट/ गली✓/ अन्य | | 20. घुन |
| 8.3 | जल धारण क्षमता | कम/ मध्यम✓/ अधिक | | |
| 9 | वन संनिधि का विवरण | | | |
| 19.1 | सामान्य विवरण - कक्ष में मुख्यतः चारगाह विकास हेतु उपयुक्त रिक्त क्षेत्र है। कक्ष के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर निम्न संनिधि युक्त सागौन का विरल वन पाया गया है, पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयु वर्ग के हैं तथा स्थल गुणश्रेणी चतुर्थ 'ब' है। | | 20.1 नव | |
| | | | | 20.2 अर |
| | | | | 20.3 त्त |
| | | | | 21 ज़ेर |
| | | | | 22. ज़ेर |
| | | | | 22.1 ज़ेर |
| | | | | 22.2 ज़ेर |
| | | | | 23 औं |
| | | | | 24 जै |
| | | | | 25 ज़ा |

କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ

TILSE

Devri

21/200
9.21 फरवरी

यन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

23°10'0"N

340

Dense mixed jungle

Dungargawan

at N
qh

Dura

480

Ma

460

460

8

480

286

285

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

US1

0.3

480

BL 1

0.3

US

0.3

US1

0.4

US1

0.4

US

0.4

US1

0.4

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

| | |
|--------------------|-----------------------|
| वर्ष | :- 2025-26 से 2035-36 |
| परिक्षेत्र का नाम | :- कुडम |
| समिति का नाम | :- तौरी |
| बीट का नाम | :- बारतौरी |
| कक्ष क्रमांक | :- O- 587 RF 296 |
| फेलिंग सीरीज | :- RDF |
| कूप क्रमांक | :- - |
| क्षेत्रफल (हेक्टर) | :- 40 |
| कुल राशि (रु.) | :- 21923761.00 |

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

| | | | |
|---|---|-----|--|
| 1 | योजना | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2 | कार्यस्थल का नाम | --- | तौरी |
| 3 | कक्ष क्र. | --- | O- 587 RF 296 |
| 4 | कक्ष का कुल रकवा | --- | 138.48 |
| 5 | वनखण्ड का नाम | --- | खम्हरिया |
| 6 | पातन श्रेणी | --- | कुण्डम |
| 7 | प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल | --- | 40 |
| 8 | कार्य प्रारंभ होने का वर्ष | --- | 2025-26 |
| 9 | कार्य की अवधि | --- | 2025-26 to 2035-36 |
| 10 | परिसर | --- | बारतौरी |
| 11 | परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | कुण्डम |
| 12 | वन परिक्षेत्र | --- | कुण्डम (समान्य) |
| 13 | वनमण्डल | --- | जबलपुर (समान्य) |
| 14 | समिति का प्रकार एवं नाम स्थल चयनकर्ता अधिकारी | --- | वन सुरक्षा समिति तौरी (1.) श्री एम.एल. बरकड़े, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (समान्य) (2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (समान्य) |
| 15 | | --- | श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक कुण्डम |
| 16 | | --- | |
| 17 | कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम | --- | श्री महेन्द्र ककोटिया वनरक्षक, बीटगार्ड बारतौरी |
| 18 | समिति का गठन दिनांक | --- | 24.06.1996 |
| प्रस्तावित कार्य अयोजना :- | | | |
| प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा। | | | |
| 1 | समस्त कार्य वन समिति ददरगांव के माध्यम से कराये जायेंगे। | --- | |
| 2 | अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति तौरी के द्वारा किया जावेगा। | --- | |
| 3 | वनसुरक्षा समिति तौरी गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है। | --- | |
| 4 | सी.बी.ओ. कार्य 15 से 0मी० से अधिक एवं 90 से 0मी० गोलाई की आढ़ी-टेढ़ी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूंठों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। | --- | |
| 5 | अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा। | --- | |
| 6 | कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे। | --- | |

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-कुण्डम

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

| | | | |
|-----|---|------|---|
| अ | योजना का नाम | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| ब | सरकार का अनुमोदन | --- | -- |
| स | प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2 | जिला | --- | जबलपुर |
| 3 | वनमण्डल | --- | जबलपुर (समान्य) |
| 4 | वन परिक्षेत्र | --- | कुण्डम (समान्य) |
| 5 | ग्राम | ---- | तौरी |
| 6 | तहसील | --- | कुण्डम |
| 7 | विधान सभा क्षेत्र | --- | सिहोरा |
| 8 | ग्राम पंचायत | --- | खिन्हा |
| 9 | परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | कुण्डम |
| 10 | परिसर | --- | बारतौरी |
| (2) | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :- | | |
| 1 | वन सुरक्षा समिति | --- | तौरी |
| 2 | कक्ष कं. | --- | ओ. 587 पी.एफ. 296 |
| 3 | रकवा | --- | 40 हेक्ट. |
| 4 | कार्यवृत्त | --- | वृक्षारोपण |
| 5 | उपचार श्रेणी | --- | कुण्डम |
| 6 | स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी | --- | 35 कि.मी. |
| 7 | कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी | --- | - |
| 8 | गठित समिति का प्रकार | --- | वनसुरक्षा समिति |
| 9 | समिति का मुख्यालय | --- | तौरी |
| 10 | समिति में सम्मिलित गांव | --- | खिन्हा |
| 11 | समिति के अध्यक्ष का नाम | --- | श्री प्रहलाद सिंह |
| 12 | परिसर रक्षक का नाम | --- | श्री महेन्द्र ककोटिया व.र. |
| 13 | परिक्षेत्र सहायक का नाम | --- | श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय वनक्षेत्रपाल |

| विवरण | लघु कृषक | | | सीमांत कृषक | | | भूमिहीन | | | अन्य | | | योग | | |
|---------|----------|----|-----|-------------|----|-----|---------|----|-----|------|----|-----|-----|----|-----|
| | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग |
| अ.जा. | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 29 |
| अ.ज.जा. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 |
| अ.पि.व. | 45 | 15 | 60 | 25 | 4 | 29 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 89 | 36 | 125 |
| सामान्य | 28 | 13 | 41 | 24 | 12 | 36 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 86 |
| योग | 94 | 25 | 129 | 49 | 16 | 65 | 48 | 44 | 92 | 0 | 0 | 0 | 191 | 95 | 286 |

| | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------------|
| 14 | उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना | | |
| A | टोपोग्राफी | --- | अर्धपहाड़ी |
| B | एस्पेक्ट | --- | पश्चिमी |
| C | ढलान | --- | मध्यम |
| D | पानी निकासी | --- | अच्छी |
| E | भू क्षरण | --- | मध्यम एवं गली |
| F | चट्टानों का विवरण | --- | सेन्ड स्टोन लेटेराईट |
| G | मिट्टी का प्रकार | --- | पथरीली मुरमीली |
| H | औसत वार्षिक वर्षा | --- | 110 एम.एम. |
| I | कड़ी मिट्टी का क्षेत्र | --- | 30 हेक्ट. |
| J | नरम मिट्टी का क्षेत्र | --- | 10 हेक्ट. |
| K | पथरीली मिट्टी का क्षेत्र | --- | 3.24 हेक्ट. |
| L | उपलब्ध प्रजाति | --- | सागौन, पलास, लैडिया तेंदू |
| वृक्षों की जानकारी | | | |

| प्रजाति | 20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध | 20 से.मी. से अधिक के वृक्ष |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| सतकठा | 1000 | 600 |
| सागौन | 0 | 0 |

- | | | | |
|---|----------------------------|-----|-------------------------|
| 1 | साइट क्वालिटी | --- | IVB |
| 2 | पूर्ण वन वृद्धन का क्षेत्र | --- | 40 हेक्ट. |
| 3 | उपलब्ध प्रजाति | --- | सतक. पलास, लैडिया तेंदू |

जैविक दबाव


| प्रकार | --- | जैविक दबाव |
|------------|-----|------------|
| वन्यप्राणी | --- | औसत |
| चराई | --- | अत्यधिक |
| मानव | --- | अत्यधिक |

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण


- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|
| 1 | कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र | --- | 02 हेक्ट. |
| 2 | वृक्षारोपण का क्षेत्र | --- | 40 हेक्ट. |
| 3 | लेंटाना | --- | 37 हेक्ट. |
| 4 | रोपणी का नाम | --- | परियट रोपणी |
| 5 | रोपणी से स्थल की दूरी | --- | 55 कि.मी. |
| 6 | पौधों का परिवहन | --- | 55 कि.मी. |
| 7 | सिर बोझ द्वारा | --- | 01 कि.मी. |
| 8 | योजना की अवधि | --- | 2025-26 से 2035-36 तक |
| 9 | योजना पर होने वाला संभावित व्यय | --- | 18118811 |
| 10 | प्रति हेक्ट. व्यय | --- | 452970.27 |
| 11 | अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय | --- | 3804950 |
| 12 | प्रति हेक्ट. व्यय | --- | 95123.75 |

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बारतीरी के कक्ष क0 O- 587 PF 296 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्का 40 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 37 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।


परिक्षेत्र सहायक
वृत्-कुण्डम


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बारतौरी के कक्ष क्र0 O- 587 PF 296 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्का 40 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुम्मयुक्त पीली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 40000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :—

| प्रजाति | पौधों की संख्या | पौधों की आयु | पौधों की उंचाई (से.मी.) | कॉलर गोलाई (से.मी.) |
|----------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| सागौन | 24000 | 1 से 1.5 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| आवंला | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| नीम | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| खम्हेर | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| सिरस | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| शीशम | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| बहेडा | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| अन्य | 4000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| योग पौधा | 40000 | | | |

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :— क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुलेशन टैक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :— वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिंक फेसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :— क्षेत्र में दूठ ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्वर ऑपरेशन :— क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :— रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :— रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृष्ठियां रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

| | |
|---------------------------|-------------|
| परिक्षेत्र सहायक द्वारा | 100 प्रतिशत |
| परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा | 50 प्रतिशत |
| उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |
| वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।

वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. ६७ दिनांक १०/१०/२३ द्वारा जारी की गई

वनसरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल— 40 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

40

हेक्टेयर

(आसेंचित्र)

क्षेत्र तैयारी वर्ष—योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 274 449

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई |
| 1 | सर्व एवं सीमांकन हेठो | 40 | ha | 0.45 | प्रति हेठो |
| 2 | पक्के मुनारों का निर्माण | 0 | मुनारा | 16 | मुनारा |
| 3 | ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट. | 40 | ha | 1.00 | |
| 4 | क्षेत्र सफाई (हेठो) | 20 | ha | 4.00 | प्रति हेठो |
| अ | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन) | 30 | ha | 22.00 | प्रति हेक्ट |
| ब | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम) | 5 | ha | 12.50 | प्रति हेक्ट |
| स | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विवर) | 2 | ha | 8.00 | प्रति हेक्ट |
| 5 | वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंग फैसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाइनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कंक्रीट से भरा जायेगा। | 4800 | Rmt | 2.4 | Rmt |
| 6 | गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट | 40000 | गड्ढे | 2.5 | प्रति हजार |
| 7 | रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm. | 40000 | गड्ढे | 5 | प्रति सैकड़ा |
| 8 | गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु क्या आयतन का 20 प्रतिशत | 729 | घ0मी० | 1.5 | प्रति घ0मी० |
| 9 | गोबर खाद डालने हेतु क्या आयतन का 10 प्रतिशत | 364.5 | घ0मी० | 3 | प्रति घ0मी० |
| 10 | उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना | 40000 | गड्ढे | 1.5 | प्रति सैकड़ा |
| 11 | 2 हेक्टर निर्माण | | L.S. | | |
| 12 | अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, चूना आदि) | | | | |
| | योग | | | | 17434 |
| 13 | भू-जल संरक्षण कार्य 10 प्रतिशत | हेठो | 24.5 | प्रति हेठो | 980 |
| | | कुल योग | | | 18414 |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी कार्य | | | | | | |
| | प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या | 40000 | पौधे | | 12/प्रति पौधा | 1294 | बाजार दर |
| | मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत | 8000 | पौधे | | 12/प्रति पौधा | | बाजार दंर 259 |
| 2 | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | |
| 3 | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा | 48000 | पौधे | 1.5 | 1.5 / 100 | 720 | जॉबदर |
| 4 | सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 48000 | पौधे | 0.4 | 0.4 प्रति सेकड़ा | 192 | जॉबदर |
| 5 | लेंटाना मार्पिंग अप आपरेशन | 37 | हेक्टेयर | 8 | 8 प्रति हेक्ट | 296 | जॉबदर |
| 6 | रोपण | | | | | | |
| 7 | 45x45x45 cm. | 40000 | पौधे | 1.8 | 1.8 प्रति सेकड़ा | 720 | जॉबदर |
| 8 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| 9 | पौधों में | 40000 | पौधे | 1.25 | 1.25 / 100 | 500 | जॉबदर |
| 10 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| 11 | पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 / 100 | 400 | जॉबदर |
| 12 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| 13 | पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 / 100 | 400 | जॉबदर |
| 14 | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 40000 | पौधे | 0.6 | 0.6 प्रति सेकड़ा | 240 | जॉबदर |
| 15 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| 16 | 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | कि.मी. | 5.5 | 2.25 / कि.मी | 26 | जॉबदर |
| 17 | सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह | | 2X9 | | | 540 | अनुमानित |
| 18 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 40000 | पौधे | | Lumsum | 700 | अनुमानित |
| 19 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 200 | अनुमानित |
| | | | | | योग:- | 6487 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोड़ा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|--------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनर्रोपण हेतु) | 4000 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 129 | याजार दर |
| 2 | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | याजार दर |
| 2 | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा | 4000 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.से. | 60 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 किमी० | 4000 | पौधे | 0.4 | 0.4 मा.दि.प्र.से. | 16 | जॉबदर |
| 3 | चेनलिंग फेसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 40 | अनुमानित |
| 4 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 40000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.से. | 500 | जॉबदर |
| 5 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.से. | 400 | जॉबदर |
| 6 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.से. | 400 | जॉबदर |
| 7 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 7 | 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | 26 | जॉबदर |
| 8 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 9 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 40000 | पौधे | | Lumsum | 500 | अनुमानित |
| 10 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 300 | अनुमानित |
| | | योग:- | | | | 3092 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनप्रबलाधिकारी
सिंहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|-------|---|--------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 4000 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 129 | बाजार दर पौधों का परिवहन (संख्या) |
| 2 | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 4000 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.सै. | 60 | जॉबदर |
| 3 | प्रथम निंदाई पौधों में | 40000 | पौधे | 0.4 | 0.4 मा.दि.प्र.सै. | 16 | जॉबदर |
| 4 | द्वितीय निंदाई पौधों में | 40000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 500 | जॉबदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | 26 | जॉबदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 7 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रृय) | | | | | 200 | अनुमानित |
| योग:- | | | | | | 1692 | |

वन परिषद्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष—योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिगर्क |
|------|--|-----------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | चेनलिंग फेसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 50 | अनुमानित |
| 3 | प्रथम निंदाई पौधों में | 40000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 500 | जॉबदर |
| 4 | द्वितीय निंदाई पौधों में | 40000 | पौधे | 1 | 1 मा.दि. मा.दि.प्र.सै. | 400 | जॉबदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | mtr | 5.5 | किमी | 26 | जॉबदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 7 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 1746 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (भा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | mtr | 5.5 | किमी | 26 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 796 | |

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (भा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | mtr | 5.5 | किमी | 26 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 796 | |

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिंहोगा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | mtr | 5.5 | किमी | 26 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 796 | |

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1. | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | mtr | 5.5 | किमी | 26 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 796 | |

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | mtr | 5.5 | किमी | 26 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 796 | |

योजना का च्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 4.8 | mtr | 5.5 | किमी | 26 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 796 | |

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 40 हेठो असिंचित

| वर्ष | प्रस्तावित (मानव दिवस) | 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक | प्रस्तावित मानव दिवस | राशि |
|----------|---------------------------|---|-------------------------|----------|
| प्रथम | 18414 | 1 | 18414 | 8267662 |
| द्वितीय | 6487 | 1.06 | 6876 | 3087404 |
| तृतीय | 3035 | 1.1236 | 3410 | 1531147 |
| चतुर्थ | 1692 | 1.191 | 2015 | 904695 |
| पंचम | 1746 | 1.2625 | 2205 | 989969 |
| षष्ठम | 796 | 1.3382 | 1066 | 478518 |
| सप्तम | 796 | 1.4185 | 1130 | 507232 |
| अष्टम | 796 | 1.504 | 1198 | 537806 |
| नवम | 796 | 1.594 | 1269 | 569988 |
| दशम | 796 | 1.69 | 1346 | 604316 |
| ग्यारहवा | 796 | 1.79 | 1426 | 640075 |
| कुल योग | | | 40354 | 18118811 |

| | | |
|------------------------|------------|------------------|
| आस्था मूलक कार्य | 5 प्रतिशत | 905941 |
| मानव संसाधन विकास | 1 प्रतिशत | 181188 |
| अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 4 प्रतिशत | 724752 |
| कुल योग | | 19930692 |
| पर्यवेक्षण शुल्क | 10 प्रतिशत | 1993069 |
| महायोग | | 21923761 |
| Or say | | 219.23 Lakh Only |

वन परिक्षत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहारा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

कार्यवाची विवरण

प्रस्ताव

ग्रामरक्षणरिया में स्थित
देवदराजंगल ०.५४८ P
२१६ में वृक्षारोपण कराने
के सम्बन्ध में

सदस्यीकालानि

प्रबलाद सिंह

अध्यक्ष
कुमा॒र सिंह

२७ परिवं

राकर्णि॑

ज्ञानुर्जि॑

शुभेन्दुकुम्हा॒र

अरविंद सिंह

(Signature)

(Signature)
प्रस्ताव संकेतकारी विवरण
कार्यवाची विवरण

निर्णय

आज दिनांक १०.०५.२३, को आम
रक्षणरिया में सुरक्षा समिति की
बैठक का अधीन समिति द्वारा
जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा
आम रक्षणरिया में स्थित (देवदरा)
जंगल ०.५४८. PF-२१६ में खली
पड़ी वन भाग में वृक्षारोपण
कराने का प्रस्ताव शब्दार्थ है
बैठक के उपस्थित समिति सदस्य द्वारा
के अंत्य अक्षियों द्वारा प्रत्याग्र
सम्मति से पारित किया गया

हठाक्षर

कर्मसुद

२१५०८८

कुनैनसिंह

शुभेन्दु

२७परिवं

ज्ञानुर्जि॑

प्रस्ताव

शुभेन्दु

२१५०८८

अरविंद

सिंह

आरतसिंह

अगिलिल


मोमधुकारा सिंह

अष्टन सिंह

कुल्हुसिंह

23°16'0"N

Z



जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 1. | वनमण्डल | जबलपुर |
| 2. | परिक्षेत्र | कुण्डम |
| 3. | वनखण्ड | खम्हरिया |
| 3.1. | अधिसूचना का विवरण | |
| 3.2 | टोपोशीट क्रमांक (1:12,500) | 64A/3/C/3,64A/7/A/3 |
| 4. | कक्ष क्रमांक | O-587 |
| 5. | सामान्य विवरण | |
| 6. | क्षेत्रफल (हेक्टे.) | 52.63 |
| 7. | भौगोलिक स्थिति | अक्षांश 23° 15' 18" देशान्तर 80° 15' 15" |
| 8. | सीमा विवरण | |
| 8.1 | उत्तर | कक्ष क0-PF-296 की सीमा लाईन। |
| 8.2 | पूर्व | कक्ष क0-PF-296 की सीमा लाईन एवं ग्राम-तौरी की राजस्व सीमा। |
| 8.3 | दक्षिण | ग्राम-खम्हरिया की राजस्व सीमा। |
| 8.4 | पश्चिम | ग्राम- पिटकुही की राजस्व सीमा। |
| 9. | वैधानिक स्थिति | प्रस्तावित आरक्षित वन |
| 10. | वन संरचना | |
| 10.1 | वनों का प्रकार | सागौन✓ / साल / मिश्रित / बांस / अन्य - अतिकमण |
| 10.2 | आयु वर्ग | मुख्यतः परिपक्व / मुख्यतः मध्यम आयु / मुख्यतः युवा आयु✓ / मुख्यतः अग्रिम पौधे |
| 10.3 | सन्निधि | अति सघन / मध्यम सघन✓ / विरल / झाड़ी वन |
| 10.4 | स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.) | I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb |
| 11. | सामान्य स्थलाकृति | |
| 11.1 | धरातल विवरण | समतल / अर्द्ध पहाड़ी✓ / पहाड़ी / दुर्गम पहाड़ी / उबड़-खाबड़ |
| 12 | समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर मे | |
| 12.1 | न्यूनतम | |
| 12.2 | अधिकतम | |

| | | | |
|------|---|---|----------------------|
| 12.3 | बैंच मार्क | | |
| 12.4 | स्थायी चिन्ह | | |
| 13. | ढाल की दिशा | उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम/पश्चिम/उत्तर-पश्चिम/चारों ओर✓ | |
| 14. | ढाल (ग्रेडिएंट) | ढाल वर्ग (प्रतिशत) | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |
| | | 10 तक | 25.71 |
| | | 10 से 30 तक | 16.85 |
| | | 30 से 40 तक | 10.07 |
| | | 40 से अधिक | 0.00 |
| | | योग— | 52.63 |
| 15. | भौमिकी | आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोडवाना/ अपर गोडवाना/लमेटा/डेककन ट्रेप✓ | |
| 16. | शैल (चट्टानें) | बेसाल्ट✓/सेंडस्टोन/शेल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/क्वार्टजाइट/ चर्ट/कांगलोमेरेट/लाइमस्टोन/मेटामार्मिक | |
| 17. | मृदा का विवरण | | |
| 17.1 | प्रकार | दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट✓/रेतीली/चिकनी दोमट/कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़ | |
| 17.2 | संरचना | भुरभुरी✓/किंचित ठोस/अत्यधिक ठोस | |
| 17.3 | आर्द्रता | दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क | |
| 17.4 | गहराई | मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली/मध्यम गहरी✓/गहरी/बहुत गहरी | |
| 17.5 | ह्यूमस | ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त/मध्यम✓/पर्याप्त/अधिक | |
| 18. | भू-क्षरण | | |
| 18.1 | स्थिति | नगण्य/सामान्य✓/मध्यम/बहुत अधिक | |
| 18.2 | प्रकार | शीट/गली✓/अन्य | |
| 18.3 | जल धारण क्षमता | कम/मध्यम✓/अधिक | |
| 19. | वन संनिधि का विवरण | | |
| 19.1 | सामान्य विवरण— कक्ष मुख्यतः रिक्त वन का है तथा कक्ष का कुछ क्षेत्र अतिक्रमित है एवं कक्ष के कुछ क्षेत्र में जल भराव है। | | |

| वर्ष स्तरीय प्रजातियां | सागौन, धवा, महुआ | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| ध्वंस स्तरीय प्रजातियां | पलास, अमलतास, महुआ, कोसम, काकें | |
| धोस्तरीय प्रजातियां | तेंदु, भिलमा, दूधी | |
| स | नहीं है | |
| गड़ियां | लेण्टाना, करौंदा | |
| क | चकौड़ा, वनतुलसी | |
| खरी प्रजातियां | सागौन | |
| र्लभ प्रजातियां | खैर | |
| ख्य अकाष्ठीय प्रजातियां | | |
| वर्ष स्तरीय प्रजातियां | महुआ | |
| ध्वंस स्तरीय प्रजातियां | महुआ | |
| भेमन स्तरीय प्रजातियां | भिलमा | |
| गड़ी प्रजातियां | करौंदा | |
| गाक प्रजातियां | चकौड़ा, चिरचिटा | |
| रंद प्रजातियां | — | |
| ला प्रजातियां | अमरबेल | |
| निरुत्पादन का विवरण | | |
| प्रकार | वर्गीकरण | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह |
| नवा पौध | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह |
| प्रस्थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह✓ |
| थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह✓ |
| प्रवैध कटाई | नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक | |
| वराई विवरण | | |
| वराई भार | नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक | |
| पशु शिविर | है / नहीं✓ | |
| अनिन घटनाएं | नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक | |
| जैविक हस्तक्षेप | नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक / अत्यधिक | |
| प्राकृतिक प्रकोप | शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा / कीट / रोग | |

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र — 1
कक्ष की स्थिति

विवरण

| | | |
|------|-------------------------------|---|
| 1. | वनमण्डल | जबलपुर |
| 2. | परिक्षेत्र | कुण्डम |
| 3. | वनखण्ड | 180—भजिया |
| 3.1. | अधिसूचना का विवरण . | 9-x-58 Dated 10.07.1958 |
| 3.2 | टोपोशीट क्रमांक (1:12,500) | 64A/03/C/3, 64A/07/A/3, 64A/08/A/1 |
| 4. | कक्ष क्रमांक | P-296 |
| 5. | सामान्य विवरण | — |
| 6. | क्षेत्रफल (हेक्टे.) | 85.85 |
| 7. | भौगोलिक स्थिति | अक्षांश 23° 14' 50" देशान्तर 80° 15' 40" |
| 8. | सीमा विवरण | |
| 8.1 | उत्तर | ग्राम पिटकुही कला की राजस्व सीमा। |
| 8.2 | पूर्व | ग्राम तौरी की राजस्व सीमा। |
| 8.3 | दक्षिण | ग्राम भजिया की राजस्व सीमा। |
| 8.4 | पश्चिम | ग्राम पिटकुही कला की राजस्व सीमा। |
| 9. | वैधानिक स्थिति | संरक्षित वन |
| 10. | वन संरचना | |
| 10.1 | वनों का प्रकार | सागौन✓/साल/मिश्रित/बांस /अन्य |
| 10.2 | आयु वर्ग | मुख्यतः परिपक्व/मुख्यतः मध्यम आयु/मुख्यतः युवा आयु✓/मुख्यतः अग्रिम पौधे |
| 10.3 | सन्धियि | अति सघन/मध्यम सघन✓/विरल/झाड़ी वन |
| 10.4 | स्थल गुणश्रेणी (भ.प्र.) | I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb |
| 11. | सामान्य स्थलाकृति | |
| 11.1 | धरातल विवरण | समतल/अर्द्ध पहाड़ी✓/पहाड़ी/दुर्गम पहाड़ी/ऊबड़—खाबड़ |
| 12 | समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में) | |
| 12.1 | न्यूनतम | मीटर |
| 12.2 | अधिकतम | मीटर |
| 12.3 | बैंच मार्क | |
| 12.4 | स्थायी चिन्ह | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 13. | ढाल की दिशा | उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम/पश्चिम/उत्तर-पश्चिम✓/चारों ओर |
| 14. | ढाल (ग्रेडिएंट) | ढाल वर्ग (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |
| | | 10 तक 26.71 |
| | | 10 से 30 तक 26.12 |
| | | 30 से 40 तक 33.02 |
| | | 40 से अधिक 0.00 |
| | | योग— 85.85 |
| 15. | भौमिकी | आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोडवाना/ अपर गोडवाना✓/लमेटा/डेककन ट्रेप |
| 16. | शैल (चट्टाने) | बेसाल्ट/सेंडस्टोन/शेल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/क्वार्टजाइट/ चट्ट/कांगलोमेरट✓/लाइमस्टोन✓/मेटामार्मिक |
| 17. | मृदा का विवरण | |
| 17.1 | प्रकार | दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट/रेतीली/चिकनी दोमट/कंकरीली✓/लाल लेटेराइट/जलोढ़ |
| 17.2 | संरचना | भुखुरी/किंचित ठोस✓/अत्यधिक ठोस |
| 17.3 | आर्द्रता | दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क |
| 17.4 | गहराई | मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली✓/मध्यम गहरी/गहरी/बहुत गहरी |
| 17.5 | ह्यूमस | ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त✓/मध्यम/पर्याप्त/अधिक |
| 18. | भू-क्षरण | |
| 18.1 | स्थिति | नगण्य /सामान्य /मध्यम✓/बहुत अधिक |
| 18.2 | प्रकार | शीट/गली✓/अन्य |
| 18.3 | जल धारण क्षमता | कम/मध्यम✓/अधिक |
| 19. | वन संनिधि का विवरण | |
| 19.1 | | सामान्य विवरण — कक्ष में मुख्यतः सागौन वन पाया गया है जिसकी स्थल गुणवत्ता चतुर्थ 'ब' है तथा कक्ष का घनत्व 0.5 तक पाया गया है। कक्ष में पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयवर्ग के हैं। कक्ष के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में पट्टी नुमा रिक्त क्षेत्र पाया गया है। कंप्युटेटर प्रैग्यम भूग्र ऐ ८८-२ के ७३ धारा ६० लंगमुर में है। के १८ दोष (५) |

| | | | |
|--------|--------------------------|---|--------------------------|
| ३९ | शीर्ष स्तरीय प्रजातियां | सागौन, महुआ, लेंडिया, धावड़ा। | |
| 19.1.2 | अधः स्तरीय प्रजातियां | अचार, पलास, भिलवा। | |
| 19.1.3 | अधोस्तरीय प्रजातियां | तेन्दू। | |
| 19.1.4 | बांस | है / नहीं है✓ | |
| 19.1.5 | झाड़ियां | लेण्टाना। | |
| 19.1.6 | शाक | — | |
| 19.1.7 | बिखरी प्रजातियां | महुआ। | |
| 19.1.8 | दुर्लभ प्रजातियां | — | |
| 19.2 | मुख्य अकाढ़ीय प्रजातियां | | |
| 19.2.1 | शीर्ष स्तरीय प्रजातियां | महुआ। | |
| 19.2.2 | अधः स्तरीय प्रजातियां | अचार। | |
| 19.2.3 | निम्न स्तरीय प्रजातियां | — | |
| 19.2.4 | झाड़ी प्रजातियां | — | |
| 19.2.5 | शाक प्रजातियां | वनतुलसी। | |
| 19.2.6 | कंद प्रजातियां | — | |
| 19.2.7 | बेला प्रजातियां | — | |
| 20. | पुनरुत्पादन का विवरण | | |
| | प्रकार | वर्गीकरण | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह |
| 20.1 | नवागत पौध | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह |
| 20.2 | अस्थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह |
| 20.3 | स्थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह |
| 21. | अवैध कटाई | नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक | |
| 22. | चराई विवरण | | |
| 22.1 | चराई भार | नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक | |
| 22.2 | पशु शिविर | है / नहीं✓ | |
| 23 | अग्नि घटनाएं | नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक | |
| 24 | जैविक हस्तक्षेप | नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक / अत्यधिक | |
| 25 | प्राकृतिक प्रकोप | शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा / कीट / रोग | |
| 26 | अतिक्रमण / उत्खनन | — | |



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

| | |
|--------------------|-----------------------|
| वर्ष | :- 2025-26 से 2035-36 |
| परिक्षेत्र का नाम | :- कुंडम |
| समिति का नाम | :- सौठी |
| बीट का नाम | :- डबरा |
| कक्ष क्रमांक | :- RF 311 |
| फेलिंग सीरीज | :- RDF |
| कूप क्रमांक | :- — |
| क्षेत्रफल (हेक्टर) | :- 25 |
| कुल राशि (रु.) | :- 14450336.00 |

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

| | | |
|--|-----|--|
| योजना | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 1 कार्यस्थल का नाम | --- | सौठी |
| 3 कक्ष कं. | --- | RF 311 |
| 4 कक्ष का कुल रकवा | --- | 268.77 |
| 5 वनखण्ड का नाम | --- | 40 बुधारी |
| 6 पातन श्रेणी | --- | डबरा |
| 7 प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल | --- | 25 |
| 8 कार्य प्रारंभ होने का वर्ष | --- | 2025-2026 |
| 9 कार्य की अवधि | --- | 2025-2035-36 |
| 10 परिसर | --- | डबरा |
| 11 परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | मनेरा |
| 12 वन परिक्षेत्र | --- | कुण्डम (सामान्य) |
| 13 वनमण्डल | --- | जबलपुर (सामान्य) |
| 14 समिति का प्रकार एवं नाम स्थल चयनकर्ता अधिकारी | --- | वन सुरक्षा समिति ददरगवां (1.) श्री एम.एल. बरकड़े, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य) (2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य) श्री रामलाल तिवारी उवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक मनेरा |
| 15 | --- | |
| 16 | --- | |
| 17 कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम | --- | श्री जितेन्द्र अग्रवाल वनरक्षक, बीटगार्ड डबरा |
| 18 समिति का गठन दिनांक | --- | 24.06.1996 |


प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति सौठी के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति सौठी के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति सौठी गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से 0मी0 से अधिक एवं 90 से 0मी0 गोलाई की आढ़ी-टेढ़ी विकृत पौधे एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित ढूँढ़ों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिंकी आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।


परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-मनेरा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| अ | योजना का नाम | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| ब | सरकार का अनुमोदन | --- | -- |
| स | प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2 | जिला | --- | जबलपुर |
| 3 | वनमण्डल | --- | जबलपुर (सामान्य) |
| 4 | वन परिक्षेत्र | --- | कुँडम (सामान्य) |
| 5 | ग्राम | --- | सौठी |
| 6 | तहसील | --- | कुँडम |
| 7 | विधान सभा क्षेत्र | --- | सिहोरा |
| 8 | ग्राम पंचायत | --- | डबरा |
| 9 | परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | मनेरा |
| 10 | परिसर | --- | डबरा |
| (2) | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :- | | |
| 1 | वन सुरक्षा समिति | --- | सौठी |
| 2 | कक्ष कं. | --- | आर.एफ. 311 |
| 3 | रकवा | --- | 25 हेक्ट. |
| 4 | कार्यवृत्त | --- | आर.डी.एफ. |
| 5 | उपचार श्रेणी | --- | डबरा |
| 6 | स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी | --- | 40 कि.मी. |
| 7 | कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी | --- | - |
| 8 | गठित समिति का प्रकार | --- | वनसुरक्षा समिति |
| 9 | समिति का मुख्यालय | --- | सौठी |
| 10 | समिति में सम्मिलित गांव | --- | डबरा |
| 11 | समिति के अध्यक्ष का नाम | --- | श्रीमति कौशल बाई |
| 12 | परिसर रक्षक का नाम | --- | श्री जितेन्द्र अग्रवाल व.र. |
| 13 | परिक्षेत्र सहायक का नाम | --- | श्री रामलाल तिवारी उपवनक्षेत्रपाल |

| विवरण | लघु कृषक | | | सीमांत कृषक | | | भूमिहीन | | | अन्य | | | योग | | |
|---------|----------|----|-----|-------------|----|-----|---------|----|-----|------|----|-----|-----|----|-----|
| | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग |
| अ.जा. | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| अ.ज.जा. | 18 | 20 | 38 | 18 | 20 | 38 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 88 |
| अ.पि.व. | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 44 |
| सामान्य | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 |
| योग | 35 | 36 | 71 | 35 | 36 | 71 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | 178 |

| | | | |
|----|---|-----|---------------------------|
| 14 | उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना | | |
| A | टोपोग्राफी | --- | अर्धपहाड़ी |
| B | एस्पेक्ट | --- | पश्चिमी |
| C | ढलान | --- | मध्यम |
| D | पानी निकासी | --- | अच्छी |
| E | भू क्षरण | --- | मध्यम एवं गली |
| F | चट्टानों का विवरण | --- | सेन्ड स्टोन लेटेराइट |
| G | मिट्टी का प्रकार | --- | पथरीली मुरमीली |
| H | औसत वार्षिक वर्षा | --- | 110 एम.एम. |
| I | कड़ी मिट्टी का क्षेत्र | --- | 20 हेक्ट. |
| J | नरम मिट्टी का क्षेत्र | --- | 5 हेक्ट. |
| K | पथरीली मिट्टी का क्षेत्र | --- | 3.24 हेक्ट. |
| L | उपलब्ध प्रजाति | --- | सागौन, पलास, लैडिया तेंदू |

वृक्षों की जानकारी

| प्रजाति | 20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध | 20 से.मी. से अधिक के वृक्ष |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| सतकठा | 700 | 400 |
| सागौन | 0 | 0 |

- 1 साईट क्वालिटी --- IVB
 2 पूर्ण वन वृद्धन का क्षेत्र --- 25 हेक्ट.
 3 उपलब्ध प्रजाति --- सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

| प्रकार | | जैविक दबाव |
|------------|-----|------------|
| वन्यप्राणी | --- | औसत |
| चराई | --- | अत्यधिक |
| मानव | --- | अत्यधिक |

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण


- 1 कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र --- 02 हेक्ट.
 2 वृक्षारोपण का क्षेत्र --- 25 हेक्ट.
 3 लेंटाना --- 22 हेक्ट.
 4 रोपणी का नाम --- दरौली रोपणी
 5 रोपणी से स्थल की दूरी --- 40 कि.मी.
 6 पौधों का परिवहन --- 40 कि.मी.
 7 सिर बोझ द्वारा --- 01 कि.मी.
 8 योजना की अवधि --- 2025-26 से 2035-36 तक
 9 योजना पर होने वाला संभावित व्यय --- 11942427
 10 प्रति हेक्ट. व्यय --- 477697.08
 11 अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय --- 2507909.70
 12 प्रति हेक्ट. व्यय --- 100316.38

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट डबरा के कक्ष को RF 311 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्का 25 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 22 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।


परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-मनेरा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)



उप वनमण्डलाधिकारी
सिहारा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट डबरा के कक्ष क्र0 RF 311 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्षा नियम हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 25000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :—

| प्रजाति | पौधों की संख्या | पौधों की आयु | पौधों की उंचाई (से.मी.) | कॉलर गोलाई (से.मी.) |
|----------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| सागौन | 12500 | 1 से 1.5 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| आवंला | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| नीम | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| खम्हेर | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| सिरस | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| शीशम | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| बहेडा | 1500 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| अन्य | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| योग पौधा | 25000 | | | |

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :— क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुलेशन टेंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्डर चेकडेन निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैकट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :— वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिंग फॉसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :— क्षेत्र में ढूठ ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :— क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :— रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :— रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृष्ठियां रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

| | |
|---------------------------|-------------|
| परिक्षेत्र सहायक द्वारा | 100 प्रतिशत |
| परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा | 50 प्रतिशत |
| उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |
| वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।

वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. ६७ दिनांक ११/१०/२०२३ द्वारा जारी की गई


वनसरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-25 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रक्का

25

हेक्टेयर



क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 274 449

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | सर्वे एवं सीमांकन हेठो | मात्रा 25 ha | इकाई 0.45 | मानव दिवस प्रति हेठो 11 | जाँबदर |
| 2 | पक्के मुनारों का निर्माण | मुनारा 0 | मुनारा 16 | मुनारा 0 | गणना के आधार पर |
| 3 | ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट. | ha 25 | इकाई 1.00 | | 25 अनुमानित |
| 4 | क्षेत्र सफाई (हेठो) | ha 25 | इकाई 4.00 | प्रति हेठो 100 | जाँबदर |
| अ | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन) | ha 15 | इकाई 22.00 | प्रति हेक्ट 330 | जाँबदर |
| ब | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम) | ha 5 | इकाई 12.50 | प्रति हेक्ट 63 | जाँबदर |
| स | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विवर) | ha 2 | इकाई 8.00 | प्रति हेक्ट 16 | जाँबदर |
| 5 | वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज़, 12 गेज चेनलिंक फैंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। | 2900 | Rmt | 2.4 | Rmt 6960 गणना के आधार पर |
| 6 | गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट | गड्डे 25000 | प्रति हजार 2.5 | 63 | जाँबदर |
| 7 | रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm. | गड्डे 25000 | प्रति सैकड़ा 5 | प्रति सैकड़ा 1250 | जाँबदर |
| 8 | गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु क्य आयतन का 20 प्रतिशत | घ0मी0 455.625 | प्रति घ0मी0 1.5 | प्रति घ0मी0 683 | वाजार दर |
| 9 | गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 10 प्रतिशत | घ0मी0 227.8125 | प्रति घ0मी0 3 | प्रति घ0मी0 683 | वाजार दर |
| 10 | उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना | गड्डे 25000 | प्रति सैकड़ा 1.5 | प्रति सैकड़ा 375 | जाँबदर |
| 11 | 2 हट निर्माण | L.S. | | 100 | अनुमानित |
| 12 | अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि) | | | 100 | अनुमानित |
| | योग | | | 10759 | |
| 13 | भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत | हेठो | इकाई 24.5 प्रति हेठो | 2690 | अनुमानित |
| | कुल योग | | | 13449 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमंडलाधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमंडलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|----------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| | रोपणी कार्य | | | | | | |
| 1 | प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या | 25000 | पौधे | | 12/प्रति पौधा | 1294 | बाजार दर |
| | मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत | 5000 | पौधे | | 12/प्रति पौधा | | बाजार दर |
| | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | |
| 2 | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा | 30000 | पौधे | 1.5 | 1.5/100 | 450 | जॉयदर |
| 3 | सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 30000 | पौधे | 0.4 | 0.4 प्रति सैकड़ा | 120 | जॉयदर |
| 4 | लेटाना मापिंग अप आपरेशन | 38 | हेक्टेयर | 8 | 8 प्रति हेक्ट | 160 | जॉयदर |
| | रोपण | | | | | | |
| | 45x45x45 cm. | 25000 | पौधे | 1.8 | 1.8 प्रति सैकड़ा | 450 | जॉयदर |
| 5 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1.25 | 1.25/100 | 312.5 | जॉयदर |
| 6 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1 | 1/100 | 250 | जॉयदर |
| 7 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1 | 1/100 | 250 | जॉयदर |
| 8 | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 25000 | पौधे | 0.6 | 0.6 प्रति सैकड़ा | 150 | जॉयदर |
| 9 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | कि.मी. | 5.5 | 2.25/कि.मी | 16 | जॉयदर |
| 10 | सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह | | 1x9 | | | 270 | अनुमानित |
| 11 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 25000 | पौधे | | Lumsum | 200 | अनुमानित |
| 12 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 100 | अनुमानित |
| | | | | | | योग:- | 4184 |

वन परिसेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनप्रस्ताविकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डलकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल जानवर दिवस | रिमार्क |
|------|---|--------|-----------------|-----------|------------------------|----------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 2500 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 81 | याजार दर |
| | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | याजार दर |
| 2 | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा | 2500 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.सै. | 38 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 2500 | पौधे | 0.4 | 0.4 मा.दि.प्र.सै. | 10 | जॉबदर |
| 3 | चेनलिंग फॉर्सिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 40 | अनुमानित |
| 4 | प्रथम निर्दाइ | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 312.5 | जॉबदर |
| 5 | द्वितीय निर्दाइ | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 250 | जॉबदर |
| 6 | तृतीय निर्दाइ | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 250 | जॉबदर |
| 7 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | 16 | जॉबदर |
| 8 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 9 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 25000 | पौधे | | Lumsum | 300 | अनुमानित |
| 10 | अन्य व्यय (वीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 100 | अनुमानित |
| | | | योग:- | | | 1757 | |

वन परिषेक्त्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|--------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 2500 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 81 | बाजार दर |
| | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | बाजार दर |
| 2 | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा सिर बोझ द्वारा 1 किं०मी० | 2500 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.सै. | 38 | जॉबदर |
| 3 | प्रथम निर्दाइ | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 312.5 | जॉबदर |
| 4 | द्वितीय निर्दाइ पौधों में | 25000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 250 | जॉबदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | 16 | जॉबदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 7 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 100 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 1167 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

M. J. S.
उप वनपालाधिकारी
सिहोरा (सा.)

G.
वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | चेनलिंग फॉसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| 3 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 312.5 | जाँचदर |
| 4 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 25000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 250 | जाँचदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | mtr | 5.5 | किमी | 16 | जाँचदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 7 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 1088 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोपा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.वि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | mtr | 5.5 | किमी | 16 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 426 | |

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.वि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | mtr | 5.5 | किमी | 16 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 426 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | mtr | 5.5 | किमी | 16 | जाँचदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 426 | |

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | mtr | 5.5 | किमी | 16 | जाँचदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 426 | |

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | mtr | 5.5 | किमी | 16 | जाँचदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 426 | |

योजना का चौथाहवा वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 2.9 | mtr | 5.5 | किमी | 16 | जाँचदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 426 | |

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिंहरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जड़लपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 25 हे० असिंचित

| वर्ष | प्रस्तावित (मानव दिवस) | 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक | प्रस्तावित मानव दिवस | राशि |
|----------|---------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| प्रथम | 13449 | 1 | 13449 | 6038559 |
| द्वितीय | 4184 | 1.06 | 4435 | 1991321 |
| तृतीय | 1757 | 1.1236 | 1974 | 886306 |
| चतुर्थ | 1167 | 1.191 | 1390 | 623964 |
| पंचम | 1088 | 1.2625 | 1374 | 617001 |
| षष्ठम | 426 | 1.3382 | 570 | 255933 |
| सप्तम | 426 | 1.4185 | 604 | 271290 |
| अष्टम | 426 | 1.504 | 641 | 287642 |
| नवम | 426 | 1.594 | 679 | 304855 |
| दशम | 426 | 1.69 | 720 | 323215 |
| ग्यारहवा | 426 | 1.79 | 762 | 342340 |
| कुल योग | | | 26598 | 11942427 |

| | | |
|------------------------|------------|-------------------------|
| आस्था मूलक कार्य | 5 प्रतिशत | 597121 |
| मानव संसाधन विकास | 1 प्रतिशत | 119424 |
| अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 4 प्रतिशत | 477697 |
| कुल योग | | 13136669 |
| पर्यवेक्षण शुल्क | 10 प्रतिशत | 1313667 |
| महायोग | | 14450336 |
| Or say | | 144.50 Lakh Only |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

| | |
|--------------------|-----------------------|
| वर्ष | :- 2025-26 से 2035-36 |
| परिक्षेत्र का नाम | :- कुडम |
| समिति का नाम | :- जमुनिया |
| बीट का नाम | :- बघराजी |
| कक्ष क्रमांक | :- O- 593 |
| फेलिंग सीरीज | :- RDF |
| कूप क्रमांक | :- - |
| क्षेत्रफल (हेक्टर) | :- 35 |
| कुल राशि (रु.) | :- 20339046.00 |

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

योजना

- 1
- 2 कार्यस्थल का नाम
- 3 कक्ष कं.
- 4 कक्ष का कुल रक्कवा
- 5 वनखण्ड का नाम
- 6 पातन श्रेणी
- 7 प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल
- 8 कार्य प्रारंभ होने का वर्ष
- 9 कार्य की अवधि
- 10 परिसर
- 11 परिक्षेत्र सहायक वृत्त
- 12 वन परिक्षेत्र
- 13 वनमण्डल
- 14 समिति का प्रकार एवं नाम
स्थल चयनकर्ता अधिकारी
- 15
- 16
- 17 कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम
- 18 समिति का गठन दिनोंक

| |
|--|
| मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| तौरी |
| 0- 593 |
| 36.43 |
| 41 नारायणपुर |
| डबरा |
| 35 |
| 2025-26 |
| 2025-26 to 2035-36 |
| बघराजी |
| बघराजी |
| कुण्डम (सामान्य) |
| जबलपुर (सामान्य) |
| वन सुरक्षा समिति जमुनिया |
| (1.) श्री एम.एल. बरकड़े, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य) |
| (2.) श्री महेशवन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल |
| वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य) |
| श्री विनोद कुमार अहिरवार उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक बघराजी |
| श्री संजीत शाह वनरक्षक, बीटगार्ड बघराजी |
| 24.06.1996 |

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति जमुनिया के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति जमुनिया के द्वारा किया जायेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति जमुनिया गठन दिनोंक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.वी.ओ. कार्य 15 सेमी० से अधिक एवं 90 सेमी० गोलाई की आढी-टेढी यिकृत पौध एवं भूत्यवान सदस्यों के जीवित घूंठों गें कराया जायेगा तथा कार्य से प्राप्त बिकी आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के अनुश्रयण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार रागय समय पर किया जायेगा।
- 5 अनुश्रयण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार रागय समय पर किया जायेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-बघराजी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उपवनमण्डलाधिकारी
(सिहोरा (सा.))

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक
सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

| | | | |
|----|--------------------------------|-----|---|
| अ | योजना का नाम | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| ब | सरकार का अनुमोदन | --- | -- |
| स | प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण | --- | मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2 | जिला | --- | जबलपुर |
| 3 | वनमण्डल | --- | जबलपुर (समान्य) |
| 4 | वन परिक्षेत्र | --- | कुँडम (समान्य) |
| 5 | ग्राम | --- | जमुनिया |
| 6 | तहसील | --- | कुँडम |
| 7 | विधान सभा क्षेत्र | --- | सिहोरा |
| 8 | ग्राम पंचायत | --- | टिकरिया |
| 9 | परिक्षेत्र सहायक वृत्त | --- | बघराजी |
| 10 | परिसर | --- | बघराजी |

(2) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 1 | वन सुरक्षा समिति | --- | जमुनिया |
| 2 | कक्ष कं. | --- | ओ. 593 |
| 3 | रक्षा | --- | 35 हेक्ट. |
| 4 | कार्यवृत्त | --- | आर.डी.एफ. |
| 5 | उपचार श्रेणी | --- | डबरा |
| 6 | स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी | --- | 40 कि.मी. |
| 7 | कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी | --- | - |
| 8 | गठित समिति का प्रकार | --- | वनसुरक्षा समिति |
| 9 | समिति का मुख्यालय | --- | जमुनिया |
| 10 | समिति में सम्मिलित गांव | --- | - |
| 11 | समिति के अध्यक्ष का नाम | --- | श्री सबल सिंह |
| 12 | परिसर रक्षक का नाम | --- | श्री संजीत शाह व.र. |
| 13 | परिक्षेत्र सहायक का नाम | --- | श्री विनोद कुमार अहिरवार उगवनक्षेत्रपाल |

| विवरण | लंघु कृषक | | | सीमांत कृषक | | | भूमिहीन | | | अन्य | | | योग | | |
|---------|-----------|----|-----|-------------|----|-----|---------|----|-----|------|----|-----|-----|----|-----|
| | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग | पु. | म. | योग |
| अ.जा. | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 29 |
| अ.ज.जा. | 45 | 15 | 60 | 25 | 4 | 28 | 14 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 89 | 36 | 125 |
| अ.पि.व. | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| सामान्य | 28 | 13 | 41 | 24 | 12 | 36 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 86 |
| योग | 80 | 38 | 118 | 54 | 20 | 74 | 36 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 170 | 92 | 286 |

| | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------------|
| 14 | उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना | | |
| A | टोपोग्राफी | --- | अर्धपहाड़ी |
| B | एस्पेक्ट | --- | पश्चिमी |
| C | ढलान | --- | मध्यम |
| D | पानी निकासी | --- | अच्छी |
| E | भू क्षरण | --- | मध्यम एवं गली |
| F | चट्टानों का विवरण | --- | सेन्ड स्टोन लेटेराईट |
| G | मिट्टी का प्रकार | --- | पथरीली मुरमीली |
| H | औसत वार्षिक वर्षा | --- | 110 एम.एम. |
| I | कड़ी मिट्टी का क्षेत्र | --- | 30 हेक्ट. |
| J | नरम मिट्टी का क्षेत्र | --- | 5 हेक्ट. |
| K | पथरीली मिट्टी का क्षेत्र | --- | 3.24 हेक्ट. |
| L | उपलब्ध प्रजाति | --- | सागौन, पलास, लैडिया तेंदू |
| वृक्षों की जानकारी | | | |

| प्रजाति | 20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध | 20 से.मी. से अधिक के वृक्ष |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| सतकठा | 700 | 500 |
| सागौन | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------------------------|-----|-------------------------|
| 1 | साईट क्वालिटी | --- | IVB |
| 2 | पूर्ण वन वृद्धन का क्षेत्र | --- | 35 हेक्ट. |
| 3 | उपलब्ध प्रजाति | --- | सतक. पलास, लैडिया तेंदू |

जैविक दबाव

| प्रकार | | जैविक दबाव |
|------------|-----|------------|
| वन्यप्राणी | --- | औसत |
| चराई | --- | अत्यधिक |
| मानव | --- | अत्यधिक |

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

| | | | |
|----|---|-----|-----------------------|
| 1 | कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र | --- | 02 हेक्ट. |
| 2 | वृक्षारोपण का क्षेत्र | --- | 35 हेक्ट. |
| 3 | लेटाना | --- | 28 हेक्ट. |
| 4 | रोपणी का नाम | --- | परियट रोपणी |
| 5 | रोपणी से स्थल की दूरी | --- | 60 कि.मी. |
| 6 | पौधों का परिवहन | --- | 60 कि.मी. |
| 7 | सिर बोझ द्वारा | --- | 01 कि.मी. |
| 8 | योजना की अवधि | --- | 2025–26 से 2035–36 तक |
| 9 | योजना पर होने वाला संभावित व्यय | --- | 16809129 |
| 10 | प्रति हेक्ट. व्यय | --- | 480260.82 |
| 11 | अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय | --- | 3529917 |
| 12 | प्रति हेक्ट. व्यय | --- | 100854.77 |

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बघराजी के कक्ष क0 O- 593 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्का 35 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 28 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-बघराजी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

~~उप वनमण्डलाधिकारी~~
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

— प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बघराजी के कक्ष क0 0-593 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रक्का 35 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौने एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त पीली भिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

○
वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 35000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :—

| प्रजाति | पौधों की संख्या | पौधों की आयु | पौधों की उंचाई (से.मी.) | कॉलर गोलाई (से.मी.) |
|----------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| सागौन | 21000 | 1 से 1.5 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| आवंला | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| नीम | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| खम्हेर | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| सिरस | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| शीशाम | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| बहेडा | 2000 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| अन्य | 0 | 1 वर्ष | न्यूनतम 45 समी. | 3.5 से 5.0 से.मी. |
| योग पौधा | 35000 | | | |

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :— क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पक्कलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैकट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :— वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिंक फेसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :— क्षेत्र में ठूठ ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्यर ऑपरेशन :— क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :— रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :— रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जातेगी। एन गणना की पृष्ठिएँ रोपण गंजी में की जायेगी। समय समय पर पिभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

| | |
|---------------------------|-------------|
| परिक्षेत्र सहायक द्वारा | 100 प्रतिशत |
| परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा | 50 प्रतिशत |
| उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |
| वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।

वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. दिनांक द्वारा जारी की गई

वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-35 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

35

हेक्टेयर



क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर भा 449

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल भानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | सर्व एवं सीमांकन है० | मात्रा 35 | इकाई ha 0.45 | प्रति है० 16 | जाँचदर |
| 2 | पक्के मुनारों का निर्माण | मुनारा 0 | 16 / | मुनारा 0 | योजना के आधार पर |
| 3 | ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) है० | ha 35 | 1.00 / | | अनुमानित |
| 4 | क्षेत्र सफाई (है०) | ha 35 | 4.00 / | प्रति है० 140 | जाँचदर |
| अ | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन) | ha 20 | 22.00 / | प्रति हेक्ट 440 | जाँचदर |
| ब | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम) | ha 5 | 12.50 | प्रति हेक्ट 63 | जाँचदर |
| स | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विशेष) | ha 3 | 8.00 / | प्रति हेक्ट 24 | जाँचदर. |
| 5 | वृक्षारोपण क्षेत्र का धेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंक फैसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडडों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। | 3370 | Rmt 2.4 | Rmt 8088 | योजना के आधार पर |
| 6 | गडडा खुंदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट | गडडे 35000 | 2.5 / | प्रति लगार 88 | जाँचदर |
| 7 | रोपण हेतु गडडा खोदाई संरक्षण 45x45x45 cm. | गडडे 35000 | 5 / | प्रति सैकड़ा 1750 | जाँचदर |
| 8 | गढ़ों गें गिट्टी बदलने हेतु क्य आवश्यन का 20 प्रतिशत | घ0मी० 637.875 | 1.5 / | प्रति घ0मी० 957 | बाजार दर |
| 9 | गोबर खाद डालने हेतु कग आवश्यन का 10 प्रतिशत | घ0मी० 318.9375 | 3 | प्रति घ0मी० 957 | बाजार दर |
| 10 | उपजाऊ मिट्टी, रसानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडडो में डालना | गडडे 35000 | 1.5 / | प्रति सैकड़ा 525 | जाँचदर. |
| 11 | 2 हट निर्माण | L.S. | | | |
| 12 | अन्न लग (निरीक्षण पथ, सूचना नोंद, पैट, चूता प्रादि) | | | | अनुमानित |
| | योग | | | 13281 | अनुमानित |
| 13 | भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत | है० 24.5 | प्रति है० 3320 | | अनुगामी |
| | कुल योग | | | 16602 | |

यह परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनस्पति अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|----------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी कार्य | | | | | | |
| | प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या | 35000 | पौधे | | 12 / प्रति पौधा | 1294 | बाजार दर |
| | मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत | 7000 | पौधे | | 12 / प्रति पौधा | | बाजार दर |
| | | | | | | 226 | |
| 2 | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | |
| | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा | 42000 | पौधे | 1.5 ₹ | 1.5 / 100 | 630 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 42000 | पौधे | 0.4 | 0.4 प्रति सैकड़ा | 168 | जॉबदर |
| 3 | लेटाना मापिंग अप आपरेशन | 38 | हेक्टेयर | 8 ↗ | 8 प्रति हेक्ट | 160 | जॉबदर |
| 4 | रोपण | | | | | | |
| | 45x45x45 cm. | 35000 | पौधे | 1.8 | 1.8 प्रति सैकड़ा | 630 | जॉबदर |
| 5 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 35000 | पौधे | 1.25 | 1.25 / 100 | 437.5 | जॉबदर |
| 6 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 35000 | पौधे | 1 | 1 / 100 | 350 | जॉबदर |
| 7 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 35000 | पौधे | 1 | 1 / 100 | 350 | जॉबदर |
| 8 | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 35000 | पौधे | 0.6 | 0.6 प्रति सैकड़ा | 210 | जॉबदर |
| 9 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | कि.मी. | 5.5 | 2.25 / कि.मी | 18 | जॉबदर |
| 10 | सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह | | | 2X9 | | | 540 |
| 11 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 35000 | पौधे | | Lumsum | 600 | अनुमानित |
| 12 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 300 | अनुमानित |
| | | | | | | योग:- | 5914 |

वन परिसेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(आसिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|--------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनर्रोपण हेतु) | 3500 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 113 | वाजार दर |
| | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | वाजार दर |
| 2 | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा | 3500 | पौधे | 1.5 | 1.5 मा.दि.प्र.से. | 53 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 3500 | पौधे | 0.4 | 0.4 मा.दि.प्र.से. | 14 | जॉबदर |
| 3 | चेनलिंग फैसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 40 | अनुमानित |
| 4 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 35000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.से. | 437.5 | जॉबदर |
| 5 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 35000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.से. | 350 | जॉबदर |
| 6 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 35000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.से. | 350 | जॉबदर |
| 7 | आन्तरिक अप्लिन सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | 18 | जॉबदर |
| 8 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 9 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 35000 | पौधे | | Lumsum | 600 | अनुमानित |
| 10 | अन्य व्यय (कोटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 200 | अनुमानित |
| | | | योग:- | | | 2895 | |

दन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

जा. वनमाला समिकारी
सिंहोला (सा.)

वनगणकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मादि.) | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|--------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 3500 | पौधे | | 12 रुपये प्रति पौधा | 113 | बाजार दर |
| | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | बाजार दर |
| 2 | ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा सिर बोझ द्वारा 1 किमी | 3500 | पौधे | 1.5 - | 1.5 मा.दि.प्र.सै. | 53 | जॉबदर |
| 3 | प्रथम निर्दाइ | | | | | | |
| | पौधों में | 35000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.सै. | 437.5 | जॉबदर |
| 4 | द्वितीय निर्दाइ | | | | | | |
| | पौधों में | 35000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.सै. | 350 | जॉबदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | कि.मी. | 5.5 | मा.दि.प्र.कि.मी. | 18 | जॉबदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक | | | 12 माह | | 360 | अनुमानित |
| 7 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 200 | अनुमानित |
| | | | योग:- | | | 1545 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

M. L. O. O.
उम्र वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डला अधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष—योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|--|-----------------|--------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| 3 | प्रथम निंदाई पौधों में | 35000 | पौधे | 1.25 | 1.25 मा.दि.प्र.से. | 437.5 | जॉबदर |
| 4 | द्वितीय निंदाई पौधों में | 35000 | पौधे | 1 | 1 मादि मा.दि.प्र.से. | 350 | जॉबदर |
| 5 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 6 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 7 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योगा- | | | | | 1676 | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुमुद (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिंहोद (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

वन परिषेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सं.)

योजना का घट्टम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 | मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

वन परिषेन्न अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमन्त्रिमाधिकारी
सिंहासन (सा.)

दनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सू.)

योजना का अमृत वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | | 12 माह | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | | 12 माह | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | | 12 माह | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

योजना का चारहठा वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | | 12 माह | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

वन परिकेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

योजना का आठहवा वर्ष

(असिंचित)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 3 मीटर चौड़ी | 3.3 | mtr | 5.5 | किमी | 18 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | | 788 | |

वन परिषद्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिंहरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 35 हे० असिंचित

| वर्ष | प्रस्तावित (मानव दिवस) | 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक | प्रस्तावित मानव दिवस | राशि |
|----------|---------------------------|--|-------------------------|----------|
| प्रथम | 16602 | 1 | 16602 | 7454172 |
| द्वितीय | 5914 | 1.06 | 6269 | 2814645 |
| तृतीय | 2895 | 1.1236 | 3253 | 1460697 |
| चतुर्थ | 1545 | 1.191 | 1841 | 826394 |
| पंचम | 1676 | 1.2625 | 2116 | 949863 |
| षष्ठम | 788 | 1.3382 | 1055 | 473561 |
| सप्तम | 788 | 1.4185 | 1118 | 501978 |
| अष्टम | 788 | 1.504 | 1185 | 532235 |
| नवम | 788 | 1.594 | 1256 | 564084 |
| दशम | 788 | 1.69 | 1332 | 598056 |
| ग्यारहवा | 788 | 1.79 | 1411 | 633444 |
| कुल योग | | | 37437 | 16809129 |

| | | |
|------------------------|------------|------------------|
| आस्था मूलक कार्य | 5 प्रतिशत | 840456 |
| मानव संसाधन विकास | 1 प्रतिशत | 168091 |
| अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 4 प्रतिशत | 672365 |
| कुल योग | | 18490042 |
| पर्यवेक्षण शुल्क | 10 प्रतिशत | 1849004 |
| महायोग | | 20339046 |
| Or say | | 203.39 Lakh Only |

वन परिष्कार अधिकारी
कुण्डम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिंहोरा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रथम - 1


कक्ष की स्थिति

विवरण

| | | | | | |
|------|-------------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 1. | वनमण्डल | जबलपुर | | | |
| 2. | परिक्षेत्र | कुण्डम | | | |
| 3. | वनखण्ड | नारायणपुर | | | |
| 3.1. | अधिसूचना का विवरण | - | | | |
| 3.2 | टोपोशीट क्रमांक (1:12,500) | 64A/07/A/3 | | | |
| 4. | कक्ष क्रमांक | O-593 | | | |
| 5. | सामान्य विवरण | - | | | |
| 6. | क्षेत्रफल (हेक्टेर) | 38.60 | | | |
| 7. | भौगोलिक स्थिति | अक्षांश | ... ° ... ' ... " | देशान्तर | ... ° ... ' ... " |
| 8. | सीमा विवरण | | | | |
| 8.1 | उत्तर | ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि। | | | |
| 8.2 | पूर्व | ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि। | | | |
| 8.3 | दक्षिण | संरक्षित वन का कक्ष क्रमांक 299 की सीमा लाईन। | | | |
| 8.4 | पश्चिम | ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि। | | | |
| 9. | वैधानिक स्थिति | प्रस्तावित आरक्षित वन | | | |
| 10. | वन संरचना | | | | |
| 10.1 | वनों का प्रकार | सागौन✓ / साल / मिश्रित / बांस / अन्य | | | |
| 10.2 | आयु वर्ग | मुख्यतः परिपक्व / मुख्यतः मध्यम आयु✓ / मुख्यतः युवा आयु / मुख्यतः अग्रिम पौधे | | | |
| 10.3 | सन्निधि | अति सघन / मध्यम सघन / विरल✓ / झाड़ी वन | | | |
| 10.4 | स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.) | I, II, III, IVa✓, IVb, Va, Vb | | | |
| 11. | सामान्य स्थलाकृति | | | | |
| 11.1 | धरातल विवरण | समतल✓ / अर्द्ध पहाड़ी / पहाड़ी✓ / दुर्गम पहाड़ी / ऊबड़-खाबड़ | | | |
| 12 | समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में) | | | | |
| 12.1 | न्यूनतम | मीटर | | | |
| 12.2 | अधिकतम | मीटर | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|----------------------|--|--|--|
| 12.3 | बैंध मार्क | | | | | |
| 12.4 | स्थायी चिन्ह | | | | | |
| 13. | ढाल की दिशा | उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम/पश्चिम✓/उत्तर-पश्चिम/चारों ओर | | | | |
| 14. | ढाल (ग्रेडिएंट) | ढाल वर्ग (प्रतिशत) | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | | | |
| | | 10 तक | 18.01 | | | |
| | | 10 से 30 तक | 3.06 | | | |
| | | 30 से 40 तक | 17.53 | | | |
| | | 40 से अधिक | 0.00 | | | |
| | | ग्रोग- | 38.60 | | | |
| 15. | भौमिकी | आरकियन/विस्थान/विजावर/लोअर गोंडवाना/अपर गोंडवाना/लमेटा/डेवकन ट्रेप✓ | | | | |
| 16. | शैल (चट्टानें) | बेसाल्ट✓/सेंडस्टोन/शैल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/क्वार्टजाइट/चर्ट/कांगलोमेरेट/लाइमस्टोन/मेटामार्मिक | | | | |
| 17. | मृदा का विवरण | | | | | |
| 17.1 | प्रकार | दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट✓/रेतीली/चिकनी दोमट/कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़ | | | | |
| 17.2 | संरचना | भुखुरी✓/किंचित ठोस/अंत्यधिक ठोस/ठोस | | | | |
| 17.3 | आर्द्रता | दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क | | | | |
| 17.4 | गहराई | मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली✓/मध्यम गहरी/गहरी/बहुत गहरी | | | | |
| 17.5 | हयूमस | हयूमस विहीन/अपर्याप्त/मध्यम✓/पर्याप्त/अधिक | | | | |
| 18. | भू-क्षरण | | | | | |
| 18.1 | स्थिति | नगण्य / सामान्य✓/मध्यम/बहुत अधिक | | | | |
| 18.2 | प्रकार | शीट✓/गली/अन्य | | | | |
| 18.3 | जल धारण क्षमता | कम✓/मध्यम/अधिक | | | | |
| 19. | वन संनिधि का विवरण | | | | | |
| 19.1 | सामान्य विवरण — कक्ष में मुख्यतः निम्न संनिधि युक्त सागौन वन पाया गया है। जो चतुर्थ 'अ' स्थल गुणवत्ता का है तथा घनत्व 0.4 तक पाया गया है। कक्ष में पाए गए वृक्ष मुख्यतः मध्यम आयुवर्ग के हैं। | | | | | |

| 19.1.1 | शीर्ष स्तरीय प्रजातियां | सागौन, साजा, महुआ। | |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 19.1.2 | अधः स्तरीय प्रजातियां | पलास, अमलतास। | |
| 19.1.3 | अधोस्तरीय प्रजातियां | तेन्दू। | |
| 19.1.4 | बांस | है / नहीं है✓ | |
| 19.1.5 | झाड़ियां | लेंटाना, करौदा। | |
| 19.1.6 | शाक | चकौड़ा | |
| 19.1.7 | बिखरी प्रजातियां | — | |
| 19.1.8 | दुर्लभ प्रजातियां | — | |
| 19.2 | मुख्य अकाष्ठीय प्रजातियां | | |
| 19.2.1 | शीर्ष स्तरीय प्रजातियां | तेन्दू। | |
| 19.2.2 | अधः स्तरीय प्रजातियां | अचार। | |
| 19.2.3 | निम्न स्तरीय प्रजातियां | तेन्दू। | |
| 19.2.4 | झाड़ी प्रजातियां | करौदा। | |
| 19.2.5 | शाक प्रजातियां | चकौड़ा। | |
| 19.2.6 | कंद प्रजातियां | सफेद मूसली। | |
| 19.2.7 | बेला प्रजातियां | — | |
| 20. | पुनरुत्पादन का विवरण | | |
| | प्रकार | वर्गीकरण | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह |
| 20.1 | नवागत पौध | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह✓ |
| 20.2 | अस्थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह |
| 20.3 | स्थापित | अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर | बीजांकुर / स्थूण प्ररोह✓ |
| 21. | अवैध कटाई | नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक | |
| 22. | चराई विवरण | | |
| 22.1 | चराई भार | नगण्य ✓ / कम / मध्यम / बहुत अधिक | |
| 22.2 | पशु शिविर | है / नहीं✓ | |
| 23 | अग्नि घटनाएं | नगण्य✓ / कम / मध्यम / अधिक | |
| 24 | जैविक हस्तक्षेप | नगण्य✓ / कम / मध्यम / अधिक / अत्यधिक | |



| क्र मां क | उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम | विषय एवं प्रस्तुत संकल्प | बैठक की कार्यवाही | | प्रस्ताव / संकल्प जो पास हुए | उपस्थित समस्याओं के सारांश हस्ताक्षर |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 4 | 5 | | |
| 1. | सुब्रह्मण्यम् (अट्टवल) | कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण | आगे बढ़ियाँ । 2023 तक | बने छेदका लिया भी अभाव - जमियों में शैक्षक विषया आया। अध्ययन - सरकार ने इसमें सहायी उपायिका में घोषित किया। बड़े विषयों का विवरण दिया। जाना। | प्रस्ताव जो पास हुए | उपस्थित हस्ताक्षर |
| 2. | मुख्यमा. गिरि (मध्यग) | | | | | |
| 3. | पुलमा। लाल (मध्यग) | | | | | |
| 4. | सुविजयीविहारा (मध्यग) | | | | | |
| 5. | काशिका औल (मध्यग) | | | | | |
| 6. | सुन्दरेश. कमरेन (मध्यग) | | | | | |
| 7. | मोहन औल (मध्यग) | | | | | |
| 8. | ललित (मध्यग) | | | | | |
| 9. | अक्षो. बु. डोल (मध्यग) | | | | | |
| 10. | नितेश. बुल्ला (मध्यग) | | | | | |
| 11. | श्रील. कृष्ण (मध्यग) | | | | | |

श्री समाष्ट हिन्दी पंचांग ही अपनाइये।

विल. सुरक्षाकृष्णप्रियमाण प्रियमाण प्रेस, 280, सराफा, दलहार्ड, जबलपुर फोन: 0761-26552477
.....(अनुमति देखा.....)

विल. सुरक्षा साक्षिति
.....(अनुमति देखा.....)

कार्यालय परियोजना प्रशासक मोरण्ड – गंजाल एवं होशंगाबाद वैराज
 परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
 सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

Telephone no. 07570299010

Email ID – piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्रमांक1.....

सिवनी मालवा, दिनांक 22/11/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 भू-प्रबन्ध
 भोपाल

विषय :- मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव
 क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एफसी डिवीजन) F. No. 10-125/2013-FC (pt.-III)
 दिनांक 25 फरवरी, 2014 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार।

—00—

संदर्भित पत्र के माध्यम से "भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए दिशा-निर्देश – सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विपथन के प्रस्तावों को विभिन्न चरणों में विभाजित कर राज्य सरकार केंद्र सरकार के संबंधित (चरण-1) अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अधिनियम के तहत परियोजना के लिए आवश्यक संपूर्ण वन भूमि के विचलन के लिए आवश्यक वन भूमि की सीमा और इसके प्रत्येक चरण के निष्पादन के लिए समय-सारणी की सूचनाएँ दे सकता है, और केंद्र सरकार से अंतिम (चरण-2) के अनुदान पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है, के प्रावधान को ऐसायक 22(iii) में सम्मिलित किया गया।"

विषयांकित परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में वनमण्डल हरदा, नर्मदापुरम्, बैतूल (उत्तर), बैतूल (पश्चिम) एवं खंडवा वनमण्डल की कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.189 हेक्ट. गैर वन भूमि क्रमशः सागर जिले की – 1575.44 हेक्ट., बैतूल जिले की 386.469 हेक्ट., आगर मालवा की 275.28 हेक्ट. एवं जबलपुर की 170.00 हेक्ट. की गैर वनभूमि संबंधित जिलाधीश द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना को परिवेश पौर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सभी संबंधित वन विभाग कार्यालय द्वारा प्रचलित है।

परियोजना निर्माण कार्य चार वर्ष में होना संभावित है जिसमें वनभूमि की आवश्यकता चार चरण में प्रस्तावित की जाती है:-

प्रथम चरण में आवागमन मार्ग, विद्युत संचारण लाईन, बांध निर्माण, खदान एवं मुख्य नहर के घटक में आवेदित भूमि कुल 138.27 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता 2022–23 में होगी इसके लिए प्रतिपूरक गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला जबलपुर की 138.27 हेक्ट. गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

द्वितीय चरण (FRL-4) हेतु 1135.57 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता 2024–25 में होगी, इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जबलपुर जिले की शेष 31.73 हेक्ट., आगर मालवा की 275.28 हेक्ट. एवं सागर जिले की 828.56 हेक्ट की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

तृतीय चरण (FRL-4) हेतु 616.748 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता 2025-26 में होगी, इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सागर जिले की शेष 616.748 हेक्ट. की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

चतुर्थ चरण (FRL) हेतु 381.462 हेक्ट. की आवश्यकता 2025-26 में होगी इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सागर जिले की शेष 130.132 हेक्ट. एवं बैतूल जिले की 251.33 हेक्ट., की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि 2272.05 हेक्ट. के प्रतिपूरक भूमि वनीकरण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. जो कि संबंधित जिलाधीश द्वारा वन विभाग को आबांटित की गई छे


परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध है जिसमे से 135.139 हेक्ट गैर वन भूमि अतिरिक्त समायोजन हेतु उपलब्ध है।

परियोजना निर्माण हेतु भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना को अनुमोदन प्राप्त है।

परियोजना निर्माण हेतु वनाधिकार कानून 2006 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 संबंधित जिलाधीश द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

अतः निवेदन है कि मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रथम चरण निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित 138.27 हेक्ट. वनभूमि पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके जिसके लिए प्रतिपूरक भूमि वनीकरण हेतु जिला—जबलपुर की 138.27 हेक्ट. की गैर वनभूमि जिलाधीश द्वारा वन विभाग को आबांटित की गई है।


संलग्न :— 01. पत्रक
02. संदर्भित पत्र


परियोजना प्रशासक
मोरण्ड—गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

पृ. क्रमांक

सिवनी मालवा, दिनांक / / 2022

प्रतिलिपि :— मुख्य अभियंता / परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक ईकाई, मोरण्ड—गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज (पी.एम.यू.) सनावद जिला—खरगोन (म.प्र).


परियोजना प्रशासक
मोरण्ड—गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्थीकृती हेतु

पत्रक

| क्रमांक | प्रस्तावित चरण | परियोजना निर्माण घटक | प्रस्तावित वनभूमि | निर्माण चर्ष | वनमण्डल | प्रस्तावित जिले वार क्षतिपूर्ति गैर वनभूमि |
|---------|----------------|--|-------------------|--------------|---|---|
| 1 | प्रथम | बॉध निर्गाण, मुख्य नहर, विद्युत संचारण लाईन, खदान, आवागमन मार्ग, | 138.27 हेक्ट. | 2022-23 | हरदा, नर्मदापुरम, खंडवा | जबलपुर - 138.27 हेक्ट. |
| 2 | द्वितीय | झूब क्षेत्र (FRL-4) | 1135.57 हेक्ट. | 2024-25 | नर्मदापुरम, वैतूल (उ.), वैतूल (प.) | जबलपुर - 31.73 हेक्ट आगर मालवा - 275.28 हेक्ट., सागर 828.56 हेक्ट. |
| 3 | तृतीय | झूब क्षेत्र (FRL-4) | 616.748 हेक्ट | 2025-26 | हरदा | सागर 616.748 हेक्ट. |
| 4 | चतुर्थ | झूब क्षेत्र (FRL) | 381.462 हेक्ट. | 2025-26 | हरदा, नर्मदापुरम वैतूल (उ.); वैतूल (प.) | सागर 130.132 हेक्ट. वैतूल 251.33. हेक्ट. |
| | | कुल योग | 2272.05 हेक्ट. | | | 2272.05 हेक्ट. |

** परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध है जिसमे से 135.139 हेक्ट गैर वन भूमि अतिरिक्त समायोजन हेतु उपलब्ध है।

D.M.C
परियोजना-प्रशासक

मोरण्ड - गंजाल एवं होशंगाबाद वैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

F. No. 10-125/ 2013-FC (pt.-III)
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 010
Dated: 25th February, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State /Union Territory Governments

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980- Submission of proposals for diversion of forest land for irrigation projects- reg.

Sir,

I am directed to say that this Ministry received suggestions to streamline the process for formulation of proposals for obtaining prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for irrigation project.

After careful examination of the matter I am directed to say that the following shall be added after Paragraph 2.2 (iii) in guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980:

"To have a holistic view of the impact on flora and fauna, proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for irrigation projects shall be processed in their entirety. However, keeping in view the long gestation period for such projects, user agency, for valid and cogent reasons, may split such projects into different phases. State Government while submitting proposal to obtain "in-principle (stage-I)" approval of Central Government under the Act for diversion of the entire forest land required for the project, may intimate extent of forest land required and time-schedule for execution of its each phase, and may request the Central Government to consider grant of "final (stage-II)" approval under the Act for diversion of forest land required for the project in the phased manner, as may be specified by them."

In such cases, at the time of submission of the proposal, scheme for compensatory afforestation for the forest land required for execution of initial phases, consisting of inter-alia the dam, reservoir and main canals originating from the reservoir, as indicated by the State Government in the proposal, may only be insisted upon. The Forest Advisory Committee after examination of such proposals, may stipulate time-schedule for transfer and mutation in favour of the State Forest Department, of the non-forest land and funds for creation of compensatory afforestation in lieu of the forest land required for execution of remaining phases, so as to ensure that expenditure

incurred on initial phases of the project does not become infructuous. Stage-II approval under the Act for diversion of forest land required for execution of such phases will be accorded with approval of the Forest Advisory Committee".

Yours faithfully,

(H.C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
2. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
3. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.
4. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
5. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEF.
6. Director, R.O. (HQ), Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi.
7. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
8. Sr. PPS to the Secretary, Environment and Forests.
9. Sr. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEF.
10. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF.
11. PS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEF.
12. Guard File.

(H.C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests